खण्ड-216, अंक-6
मंगलवार, 15 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(6 सितम्बर, 1960 ई0)

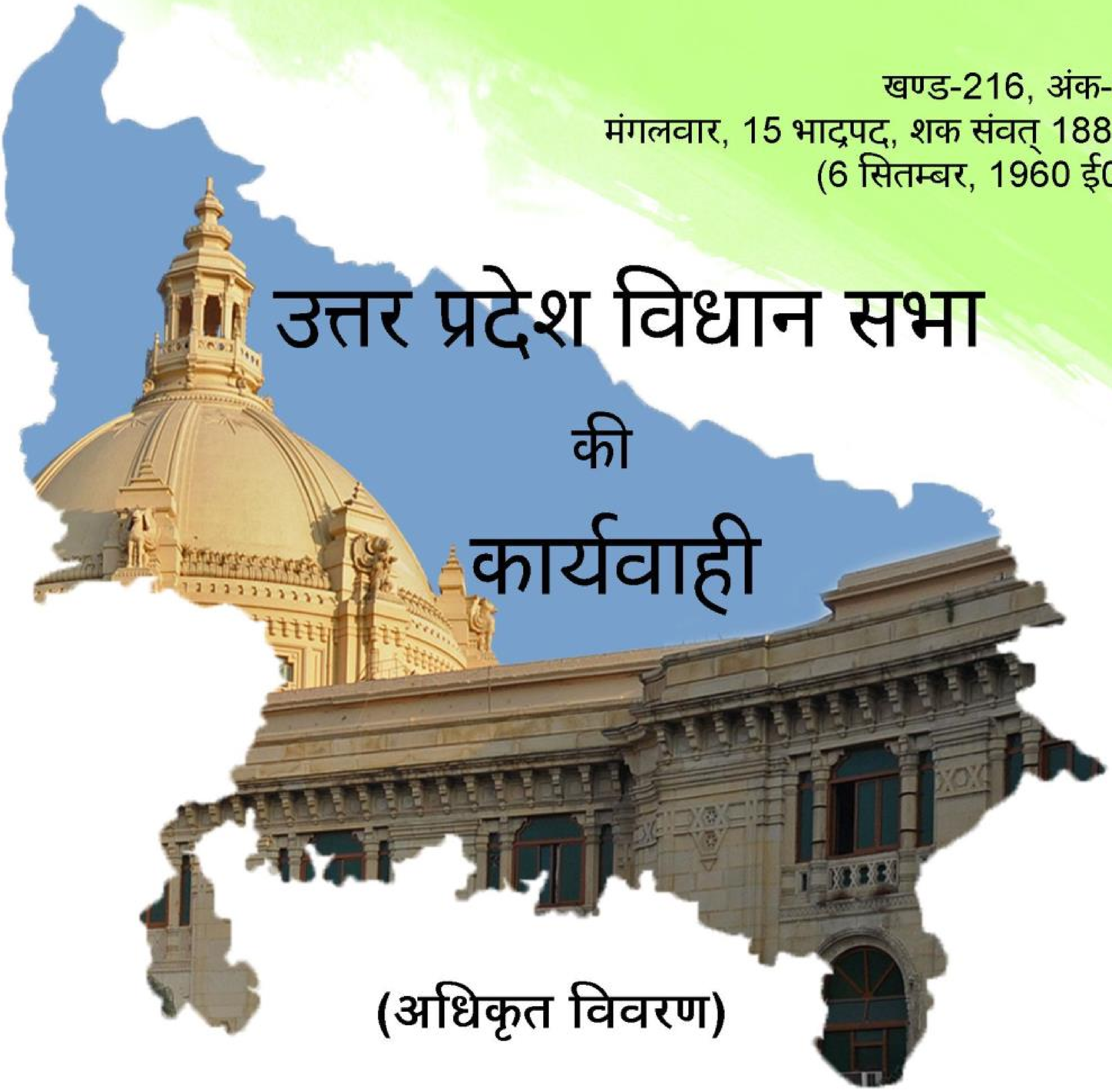

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 216 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ६ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३६१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्र हास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन श्री
चिरंजीलाल जाटव श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री

प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री

रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
बसी नकदी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती

उत्तर प्रदेश सभा

सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह, पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ६ सितम्बर, १९६०

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

नानक सागर की डूब में कथित फार्म

*१—**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नानकमत्ता, जिला नैनीताल में फार्म नम्बर ९ में १८ परिवार, फार्म नम्बर ३ में १३ परिवार, फार्म नम्बर १ में ६ परिवार और फार्म नम्बर ४ में ३ परिवार, नानकसागर में बरसात का पानी आने से डूबने की हालत में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको वहां से उठाकर जमीन के बदले जमीन देने की शीघ्र कृपा करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)—ये फार्म नानकमत्ता में नहीं पड़ते हैं, इसलिये प्रश्न के शेष भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*२—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नानक सागर योजना में कितने परिवार प्रभावित हुये हैं और उनमें से कितनों को जमीन के बदले जमीन दी गई ?

श्री महावीरसिंह—कुल ७९३ काश्तकार प्रभावित हुये हैं जिनमें से २३८ को जमीन के बदले में जमीन दी गई है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि ये फार्म सितारगंज तहसील में पड़ते हैं और फार्म नम्बर ९ में १८ परिवार, फार्म नम्बर ३ में १३ परिवार, फार्म नम्बर १ में ६ परिवार और फार्म नम्बर ४ में ३ परिवार नानकसागर में बरसात का पानी आने से डूबने की हालत में हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उनको वहां से हटा कर दूसरी जगह जमीन देने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरसिंह---ये फार्म नानक सागर में नहीं पड़ते हैं ।

श्री प्रतापसिंह---इसीलिये मैंने कहा है कि सितारगंज तहसील में पड़ते हैं ।

श्री महावीरसिंह---आपने नानक सागर के बारे में पूछा है । तो नानक सागर में ये फार्म नहीं पड़ते है इतनी इत्तला है । अब ये कहां पड़ते हैं इसकी इत्तला तो आपको ज्यादा होगी ।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, मैंने डेफीनिट क्वेश्चन पूछा कि ये फार्म सितारगंज तहसील में पड़ते हैं, क्या यह सही है ? यदि हां, तो क्या उन परिवारों को दूसरी जगह जमीन देने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरसिंह---तहसील में पड़ते हैं, लेकिन नानक सागर से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---आपको अगर यह मालूम हो कि ये फार्म कहां हैं तो बता दीजिये ।

श्री महावीरसिंह---जी नहीं, यह नहीं मालूम ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १५५५ काश्तकार बच गये हैं उनको सरकार कब तक जमीन देने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरसिंह---उसके ऊपर गौर हो रहा है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग ने बड़ी मेहरबानी करके उपमंत्री, निर्माण की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने अपनी फाइंडिंग दे दी है ? यदि हां, तो क्या उस कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि जमीन के बदले जमीन ही दी जाय, यह सिफारिश कब तक कार्यान्वित हो जायगी ?

श्री महावीरसिंह---कोई कमेटी नहीं बनाई गई । विचार चल रहा है और उसके अनुसार काम करने की कोशिश की जायगी ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---जब प्रश्नकर्त्ता ने डेफीनिट फार्म और उनके नम्बर और परिवार बताये तो क्या माननीय मंत्री ने यह जानने की कोशिश की कि इन फार्मों का कहीं अस्तित्व है भी या नहीं ?

श्री महावीरसिंह---मैं सवाल को दोहरा देता हूं । इसमें साफ लिखा हुआ है कि नानक सागर में बरसात का पानी आने से डूबने की हालत में हैं । तो नानकसागर में वह नहीं पड़ते हैं यह मैं निश्चित जवाब दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---नानकमत्ता क्या चीज है ?

श्री महावीरसिंह---मान्यवर, उन्होंने प्रश्न किया कि क्या इन इन फार्मों में इतने परिवार नानक सागर में बरसात का पानी आने से डूबने की हालत में हैं ? इसका मैंने जवाब दे दिया कि नानक सागर में ऐसे कोई फार्म डूबने की हालत में नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष---नानकमत्ता कोई चीज है, इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है ?

श्री महावीरसिंह---एक गांव है ।

श्री अध्यक्ष---तो उसमें यह फार्म हैं ?

श्री महावीरसिंह---जी नहीं, उसमें नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष---नानक सागर को तो छोड़ दीजिये । हो सकता है कि नानक सागर सौ मील की दूरी पर हो । असल में सवाल यह है कि नानकमत्ता में ये फार्म हैं या नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—ये फार्म नहीं हैं । दूसरे ये कहां हैं, यह हमने जानने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उसकी इत्तला हमारे पास नहीं आई ।

श्री प्रतापसिंह—प्रश्न यह नहीं है कि ये फार्म कहां पड़ते हैं बल्कि प्रश्न यह है कि जो किसान डूब रहे हैं पानी भरने से तो वह फार्म नानकमता में पड़ते हैं....

श्री अध्यक्ष—आपका सवाल समझ में नहीं आयेगा तो वह जवाब कैसे दे सकते हैं ?

श्री प्रतापसिंह—सवाल तो यह है कि ये फार्म नानकमत्ता में पड़ते हैं ।

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि नहीं हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन फार्मों के नम्बर दिये हैं उनको ध्यान में रखते हुये और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह फार्म सितारगंज में पड़ते हैं, उनके संबंध में पुनः जानकारी प्राप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—अभी कोई इत्तला नहीं आई है । जिस समय आयेगी और प्रश्नकर्त्ता जानना चाहेंगे तो मेरे दफ्तर में आ जायं मैं बता दूंगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार ने जांच की है या जानकारी है कि वहां पानी आने से कोई फार्म या खेत डूबे हैं, यदि डूबे हैं तो वहां के पीड़ित किसानों की सहायता के लिये क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष—नानकमत्ता में यह फार्म कहां हैं, वह कैसे बता सकते हैं ?

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि फार्म नम्बर ९, ३, १ और ४—यह नानक सागर में बरसात का पानी आने से डूबे हैं, इसकी सूचना है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि नानकमत्ता में यह फार्म नहीं हैं । जब फार्म ही नहीं हैं तो डूबेंगे कैसे ?

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने एक संख्या बताई कि इतने परिवारों पर इस पानी का असर पड़ा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन परिवारों पर असर पड़ा है उनको सरकार बदले की जमीन देने का विचार रखती है ?

श्री महावीरसिंह—बदले में दी गई है, दी जा रही है और देंगे । इन सब बातों पर विचार हो रहा है ।

रिहन्द बांध की डूब में आये निवासियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत

*३—**श्री आनन्दब्रह्मशाह (जिला मिर्जापुर)**—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रिहन्द बांध के डूब में आने वाले क्षेत्र के निवासियों को वहां से हटाने के लिये सरकार ने जिन ट्रकों का प्रबन्ध किया था उनके ड्राइवरों ने उस क्षेत्र की बहुत सी लड़कियों का अपहरण कर लिया है और उस क्षेत्र के निवासियों से १०–१५ मील का किराया दो-दो सौ रुपया वसूल किया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

*४—**श्री आनन्दब्रह्मशाह**—क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उक्त क्षेत्र के निवासी जो मध्य प्रदेश जाना चाहते थे उन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा अपना खाद्यान्न साथ में नहीं ले जाने दिया गया था ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---क्या जिलाधीश मिर्जापुर का इन अपहरण की हुई लड़कियों के संबंध में कोई पत्र मिला है और जांच हुई है ?

श्री धर्मसिंह---सरकार को कोई पत्र नहीं मिला और इसकी जांच की गई तो यह पाया गया कि इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है । प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, वह ठीक है ।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रिहन्द बांध एरिया के डूब में आने के बाद सरकार ने ट्रक द्वारा निवासियों को निकालने का प्रबन्ध किया था ?

श्री धर्मसिंह---ट्रक इत्यादि की सब प्रकार की सहूलियतें दी गई थीं ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की मेहरबानी करेंगे कि जो ट्रकों के द्वारा सरकार ने हटाया था उसका कोई चार्ज उनसे किया गया या नहीं किया गया ?

श्री गिरधारीलाल---उनसे चार्ज किया गया था । ट्रांसपोर्ट के लिये जो रुपया सरकार ने दिया उसमें से उन्होंने रुपया दिया था ।

श्री आनन्दब्रह्मशाह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद और बनारस से जो ट्रकें अधिकारियों द्वारा मंगाई गई थीं, उनसे सिंगरौली तक खाली आने-जाने का किराया विस्थापितों से प्रति ट्रक कितना लिया गया है ?

श्री धर्मसिंह---यह ब्योरे का सवाल है । इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या सरकार को यह सूचना है कि जिन लड़कियों के अपहरण की बात कही गई है यह लड़कियां उन विस्थापितों की हैं जो मध्यप्रदेश में जाकर बस गये हैं, इस लिये वहां के जिलाधीश ने कायदे में नोटिस नहीं लिया है ?

श्री धर्मसिंह---जैसा कि मैंने उत्तर में निवेदन किया था माननीय एम० एल० ए० साहब उनसे मिले थे और इस प्रकार की घटना उन को बतलाई । जिलाधीश महोदय ने यह कहा कि आप लिखित देना चाहते हैं, कोई इस तरह की रिपोर्ट है, या प्रार्थना पत्र है ? उन्होंने इसमें असमर्थता प्रकट की जिलाधीश महोदय ने कहा कि आप कोई लड़की का नाम बतायें, या कोई ऐसी चीज हो जो आप बताने के लिये तैयार हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बताई । बावजूद इसके जिलाधीश ने जांच करवाई और कोई इस तरह की गड़बड़ी नहीं निकली कि कोई अपहरण इत्यादि हुआ हो ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माननीय सदस्य जो जिलाधीश से मिले थे और उन्होंने लड़कियों के अपहरण का जिक्र किया था, उसकी जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री अध्यक्ष---किन्होंने जिक्र किया था ?

श्री मदन पांडेय---माननीय आनन्दब्रह्मशाह ने जिलाधीश से मिल कर जो बताया था उसके संबंध में प्रकाश डालेंगे ?

श्री धर्मसिंह---मैंने उत्तर दिया था कि एम० एल० ए० साहब मिले थे । जिलाधीश ने उनसे कहा कि किसी तरह का लड़कियों का नाम मालूम हो तो बताइये या उनके आप ने कोई प्रार्थनापत्र दिया हो, कोई इस तरह की बात हो तो बताइये । उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं । उसके बाद भी जांच करवायी गयी । लेकिन उसमें मालूम हुआ कि यह सब गलत है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग रिहंद बांध के पास से हटाये गये हैं, उनके हटाने का क्या किराया वसूल किया गया और किया गया तो किस रेट से, माइलज के हिसाब से ?

श्री गिरधारीलाल—माननीय सदस्य देर में आये । मैंने सदन में यह चीज पहले बतला दी थी कि ७५ से १५०० रुपये तक दिया गया है ।

श्री आनन्दब्रह्मशाह—क्या यह सही है कि इस तरह से खाली आने जाने का किराया एक रुपया प्रति मील के हिसाब से उन विस्थापितों से वसूल किया गया ?

श्री धर्मसिंह—वह तो कायदे में वसूल किया गया ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री आनन्दब्रह्मशाह ने नाम बताये थे और क्या यह भी सही है कि मध्य प्रदेश के कुछ थानों में उनमें से कुछ नाम आ गये हैं, तो वहां से खबर मंगाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मदन पांडेय जी ने भी ऐसा ही प्रश्न पूछा था । माननीय आनन्दब्रह्म शाह खुद बैठे हुए हैं । वह खड़े हो कर कह दें कि क्या उन्होंने नाम बताए थे ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—उन्होंने मुझे अभी बताया ।

श्री अध्यक्ष—वह क्यों नहीं कहते ?

श्री आनन्दब्रह्मशाह—मैंने इस बारे में बताया था ।

श्री अध्यक्ष—आप इस संबंध में प्रश्न पूछिए यह बताकर कि आपने नाम बताये थे या नहीं ।

श्री आनन्दब्रह्मशाह—यदि अपहरण की गयी लड़कियों के नाम और पते बताये जायं तो क्या सरकार जांच करवायेगी ?

श्री अध्यक्ष—आपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नाम बताये थे या नहीं ? आप असर्ट करते हुए बताएं ।

श्री आनन्दब्रह्मशाह—जी हां । मैंने नाम बताये थे ।

श्री अध्यक्ष—और पते भी बताये ?

श्री आनन्दब्रह्मशाह—जी हां ।

श्री धर्मसिंह—जिलाधीश के द्वारा जो हमको रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर मैं जवाब दे रहा हूं । जिलाधीश ने खास तौर से आपसे यह बात कही कि किसी लड़की का नाम, उसका पता, कोई प्रार्थना-पत्र या कोई रिपोर्ट वगैरह कहीं हुई हो, किसी भी प्रकार की कि इस तरह के वाकयात हैं, उसका कोई विवरण आपके पास हो तो बतायें, लेकिन आपने बिलकुल असमर्थता प्रकट की । यह जो रिपोर्ट जिलाधीश की है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—(श्री आनन्दब्रह्मशाह से) तो अगर आपने बताया हो तो आप फिर से लिखकर भेज सकते हैं ।

[६ सितम्बर, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

घोसी-मुहम्मदाबाद सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*१—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की घोसी—मुहम्मदाबाद रोड को सार्वजनिक निर्माण विभाग में कब लिया गया है तथा कितनी बार कितना रुपया व्यय करके उस पर मिटटी डाली गई है ?

श्री महावीरसिंह—प्रथम भाग—१९४६-४७ में, द्वितीय भाग—सूचना उपलब्ध नहीं है ।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त सड़क पर कंकड़ डालने की योजना कब से है ?

श्री महावीरसिंह—तृतीय-पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायेगा ।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सड़क के बन जाने के कारण घोसी से आजमगढ़ जाने का मार्ग क्या १२ मील से ऊपर कम हो जायेगा ?

श्री महावीरसिंह—जी हां, लगभग १४ मील कम हो जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना उपलब्ध न होने के कारण क्या है ?

श्री महावीरसिंह—किस प्रश्न के बारे में आप पूछ रहे हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—पहले वाले के ।

श्री महावीरसिंह—इसका कारण यह है कि सब कच्ची सड़कों का खर्चा एक लिख दिया जाता है और इसलिए उसमें कितनी बार मिट्टी डाली गई और कितनी मिट्टी पड़ी इसका विवरण नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह सड़क विभाग में ले ली गई थी तो पुनः परिषद् को वापस करने का कारण क्या था ?

श्री महावीरसिंह—पुनः परिषद् को वापस नहीं की गई ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इसका भी उनके विभाग में लेखा-जोखा नहीं रहता है कि इस सड़क पर प्रति वर्ष कितनी मिट्टी डाली जाती है ?

श्री महावीरसिंह—एक अन्दाजन २५०० रुपये और २६०० रुपये के बीच में डाली जाती है ।

माताटीला विद्युत योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब

*४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध पर बिजली योजना के लिये विदेशी मुद्रा की समस्या हल हो जाने के कारण भारत सरकार ने उक्त योजना के कार्य को पुनः प्रारम्भ करने की स्वीकृति कब दी थी और उस पर अभी तक कार्य प्रारम्भ न हो सकने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—माताटीला विद्युत गृह के लिये विदेशी मुद्रा के लिये तो नहीं पर आवश्यक यंत्रों के टेण्डर मांगने की आज्ञा अक्तूबर, १९५९ में प्राप्त हुई और मशीनों के टेण्डर मंगाये गये हैं ।

*५—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त योजना के कार्य सम्पादान के लिये झांसी में इंजीनियरों व अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी गई है ? यदि हां, तो उनका कार्यालय झांसी में स्थापित हो गया है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने उक्त योजना के कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक इंजीनियर तथा अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी है । यह कर्मचारी प्रारम्भिक कार्यों के लिये अभी चीफ इंजीनियर के कार्यालय में ही काम कर रहे हैं ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त टेंडर कब मंगाये गये थे और कब स्वीकार कर लिए गए हैं ?

श्री धर्मसिंह—टेंडर मंगाने के लिए जुलाई, सन् १९६० में कार्यवाही की गई थी। आ रहे हैं और कुछ आ गए हैं । आगे चलकर खुलेंगे ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को यह स्मरण है कि भूतपूर्व विद्युत मंत्री श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने १९५८ में यह बताया था कि उक्त योजना १९६०-६१ तक पूर्ण हो जायगी ? तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब कब तक यह पूर्ण होगी ?

श्री धर्मसिंह—यह तो श्रीमान्, देखना पड़ेगा कि क्या कहा था ।

श्री अध्यक्ष—वह आगे के लिए पूछ रहे हैं कि अब कब तक पूर्ण होगी ?

श्री धर्मसिंह—१९६४-६५ में इसके पूरी होने की सम्भावना है ।

श्री रामहेतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, कि जो शुरू में माताटीला बांध की योजना का एस्टीमेट बना था उसमें और बाद में उस योजना को बदल करके जो एस्टीमेट बना दोनों में भारी अन्तर था और इसी कारण यह इतना बड़ा है ? यदि हां, तो दोनों में कितना अन्तर था ?

श्री धर्मसिंह—शुरू में जो प्राजेक्ट था उसमें कम बिजली उत्पादन की जा रही थी और इस वक्त जो प्रोजेक्ट है उसमें ज्यादा बिजली उत्पादान की जा रही है, ३० हजार किलोवाट के करीब, इसलिये खर्च बढ़ गया है थोड़ा-सा ?

श्री नवलकिशोर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब माताटीला प्रोजेक्ट उनके सामने आया था उसके हिसाब से यह बिजली योजना कब तक समाप्त होने वाली थी ?

श्री धर्मसिंह—अब यह तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही समाप्त होने वाली थी, लेकिन उत्तर प्रदश की सरकार का इसमें कोई कसूर नहीं है । भारत सरकार से फारेन एक्सचेंज इत्यादि की दिक्कत रही और रुकावट पड़ती रही, इसलिये यह आगे बढ़ी ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी वह बतलायेंगे कि माताटीला बांध के प्राक्कलन में कितना अन्तर हुआ है और उसकी जो बिजली की क्षमता थी उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है ?

श्री धर्मसिंह—उस वक्त ३७४·२५ लाख अनुमान था और १५ हजार कि० वा० बिजली की क्षमता थी । इस वक्त जो अनुमानित व्यय है वह ७·५ करोड़ है जिसमें ६४५·०० लाख रुपया तीसरे प्लान के लिये है और संभव हुआ तो आगे के लिये होगा । उस वक्त ३० हजार कि० वा० बिजली का उत्पादन होगा इस खर्च में ।

श्री प्रतापसिंह—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वे दिक्कतें क्या थीं जिनके कारण बनने में देर हुई और वे दूर हो गई और यह योजना कब तक पूरी होगी ?

श्री अध्यक्ष—वह उन्होंने बतला दिया कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई थी ।

श्री प्रतापसिंह—उन्होंने टेंडर के बारे में कहा है ।

श्री धर्मसिंह—मैंने पूर्णतः निवेदन कर दिया कि उस वक्त फौरन एक्सचेन्ज इत्यादि की दिक्कत हो रही थी । इसलिये पूरी नहीं हो पाई ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह जो विदेशी मुद्रा की समस्या हल हो जाने पर टेंडर मांगे थे वह कितने धन के मांगे थे और क्या विदेशी कम्पनियों से भी मांगे गये थे ?

श्री धर्मसिंह—जब मशीन इत्यादि के स्पेसिफिकेशन के टेंडर खोले जायेंगे तब उसके बाद इन सब बातों को ध्यान में रखकर निर्णय किया जायगा ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह व्यवस्था कब कर दी गई थी और उसका स्टाफ चीफ इंजीनियर के दफ्तर में कब तक काम करता रहेगा ?

श्री धर्मसिंह—चीफ इंजीनियर के कार्यालय में इस योजना का प्रोजेक्ट वगैरह बनाने, स्पेसिफिकेशन और टेंडर इनवाइट करने पर खोलने आदि सभी बातें हैं । जब तक यह कार्य समाप्त हो तब तक वह स्टाफ वहां रहेगा । उसके बाद भेजना ही पड़ेगा ।

श्री नवलकिशोर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उनके पास प्रोजेक्ट आया था तो उसके साथ स्पेसिफिकेशन वगैरा प्रोजेक्ट का नहीं था बिजली की योजना के बारे में ?

श्री धर्मसिंह—स्पेसिफिकेशन तो होता है, लेकिन डिटेल में बहुत सी बातें हुआ करती हैं जिसके बगैर फील्ड वर्क नहीं हो सकता है । उसके बनाने में समय लगता है ।

श्री नवलकिशोर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो शिड्यूल्ड टाइम था उसके बाद भी और इसके एस्टीमेट के बावजूद भी डिटेल्स बनाने में क्या खास कठिनाई पेश आई ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक उत्तर प्रदेशीय सरकार का संबंध है उसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई और न देरी की गई । भारत सरकार ने फारन एक्सचेन्ज रिलीज नहीं किया था । उसके लिये मना कर दिया गया था । इसलिये इस काम में देरी होती रही ।

*६—८—**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—[२० सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।

*९—११—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—[२० सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

हिण्डन नदी पर बिनौली के निकट पुल की स्वीकृति

*१२—**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या हिण्डन नदी पर बिनौली-बरणावा, मेरठ जिले के पास पुल बनाने की योजना उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह पुल कब तक बनना-शुरू हो जायगा ?

श्री महावीरसिंह—प्रथम भाग—बिनौली के पास बिनौली-सरधना सड़क पर हिण्डन नदी के ऊपर पुल निर्माण की योजना स्वीकृत की जा चुकी है ।

द्वितीय भाग : उसका आगणन बन जाने तथा स्वीकृत कर दिये जाने के बाद ।

आचार्य दीपंकर—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इसका जो एस्टीमेट है उसमें कितने खर्च का अनुमान किया गया है और कब तक इस पुल के बनने की सम्भावना है ?

श्री महावीरसिंह—इसमें दो नदियां हैं। एक कृष्णा नदी के लिये ८.७ लाख रुपये की लागत लगने का अन्दाजा है और जहां तक हिण्डन का प्रश्न है उसमें ५।। लाख रुपया लगेगा।

आचार्य दीपंकर—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल के बनने में कितना समय लगेगा?

श्री गिरधारीलाल—मैं समझता हूं कि इस वर्ष के आखिर तक किसी न किसी वक्त यह चीज पूरी हो जायगी, डिटेल्ड एस्टीमेट, डिजाइन और प्लानिंग पूरी हो जायगी और उसके बाद काम शुरू हो सकेगा।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब पुल की स्वीकृति हो गई है और उसके लिये रुपया भी मन्जूर हो गया है तो उसके इस्टीमेट्स अभी तक तैयार न होने का क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल—अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह मन्जूर होता है उस वक्त एक रफ एस्टीमेट के साथ मन्जूर होता है और उसके बाद डिटेल्ड एस्टीमेट बनते हैं और तमाम डिजाइनिंग वगैरह बाद में मन्जूर होती है, तो उसमें काफी समय लगता है।

अलावलपुर नाले के लिये भूमि की प्राप्ति

*१३—**आचार्य दीपंकर**—क्या यह सही है कि सरकार ने अलावलपुर नाले में हितवाड़ी तथा बड़का ग्राम, जिला मेरठ के बरसाती पानी के निकासी के लिये नया नाला खोदने की योजना पिछले दो साल से स्वीकार कर रखी है?

श्री धर्मसिंह—यह नाला प्रथम बार दिसम्बर, १९५९ में बड़ौत ब्लाक के अन्तर्गत होने वाले कार्यों में सम्मिलित किया गया था।

*१४—**आचार्य दीपंकर**—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस नाले की खुदाई का कार्य कब से आरम्भ हो जायगा?

श्री धर्मसिंह—भूमि की प्राप्ति के बाद इस नाले पर कार्य आरम्भ होगा और चूंकि यह नाला ५ मील से कम लम्बा है मिट्टी का काम श्रमदान द्वारा होगा।

आचार्य दीपंकर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस नाले की भमि प्राप्ति के सम्बन्ध में पिछले दो वर्षों से लगातार कार्यवाही हो रही है और फिर भी उस प्रश्न के अभी तक न सुलझने में क्या कठिनाई है?

श्री धर्मसिंह—कठिनाई केवल जमीन मिलने की रही और मैं यह बतला देना चाहूंगा कि जमीन के लिये नोटिस अभी तक दिये जा रहे हैं। जिलाधीश महोदय के प्लानिंग अफसर को यह कागजात भेज दिये गये हैं।

आचार्य दीपंकर—क्या यह सही है कि पिछले दो साल से यह कार्यवाही चल रही है परन्तु जमीन लेने के लिये जिलाधीश के पास कागज अभी तक नहीं भेजे गये हैं?

श्री धर्मसिंह—प्लानिंग अफसर को कागजात ३० जून, १९५९ को भेज दिये गये हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इस नाले के निर्माण में श्रमदान के अतिरिक्त सरकार और कितना व्यय करने जा रही है?

श्री धर्मसिंह—लागत २९,३०० रुपया है।

*१५-१७—**श्री लोकनाथ सिंह** (जिला वाराणसी)—[२० सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।

उतरौड़ा के निकट सरयू पर निर्मित पुश्तों का टूटना

*१८—श्री प्रतापसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा के ग्राम गैरखेत तथा हरसीला (पट्टी तल्लादानपुर) की भूमि जो प्रति वर्ष सरयू नदी के कटाव से कटती व बहती जा रही है, की रक्षा हेतु दीवार तथा पुश्तें बनाने की योजना कितनी बार बनाई गई है ?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न में कथित ग्रामों के रक्षार्थ योजना प्रथम बार जून, १९६० में बनाई गई है।

*१९—श्री प्रतापसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा में ग्राम उतरौड़ा (पट्टी तल्लादानपुर) के सामने सरयू नदी पर जो पुश्ते बनाये गये थे, उनकी कुल लागत कीमत क्या थी ? उन पुश्तों में से कितने ऐसे हैं जो जून, १९५९ की बाढ़ से नष्ट हो गये थे ?

श्री धर्मसिंह—पुश्तों की कुल लागत १७,९५२ रुपये थी। जून, १९५९ की बाढ़ से कोई भी ब्लाक स्पर्स (Block spurs) नष्ट नहीं हुये। केवल मामूली टूट-फूट हुई थी, जिसकी मरम्मत १५० रुपये में की गई।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो योजना १९६० में बनाई गई थी वह कितने रुपये की थी और क्या उसमें कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह—जो योजना बनाई गई थी वह गैरखेत तथा हरसीला की थी और उस में १५,२५० रुपया और ४६,८६५ रुपया खर्च होना था। फिलहाल उस पर काम नहीं हो रहा है मगर पंचवर्षीय योजना में यदि धन उपलब्ध हुआ और वह टेक्नीकली साउन्ड हुई तो उन पर विचार किया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—गैरखेत तथा हरसीला का सारा गांव टूट गया था और मैंने इस सिलसिले में कई पत्र भी लिखे कि यह टूटने वाला है और हर साल कट रहा है और इसमें कुछ नहीं हो रहा है, क्या यह सही है ?

श्री धर्मसिंह—एक ही बार इस तरह की बात हुई है जब कि बाढ़ में इस प्रकार की ठोकर इसमें लग गई थी और उस समय थोड़ा बहुत टूट गया होगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टेक्निकली साउन्ड है या नहीं, इसको जांचने की कोई व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है ?

श्री गिरधारीलाल—यहां एक टेक्नीकल कमेटी भी है जो इस किस्म की तमाम स्कीमों को देखती है।

कुमायूं वन-वृत्त में सड़कों का निर्माण

*२०—श्री प्रतापसिंह—क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं वन वृत्त में सरकार द्वारा कौन-कौन सड़कें बन रही हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जो सड़कें कुमायूं वन वृत्त में (१९६०-६१ में) सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रक्खी हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९२-४९४ पर)

श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस नत्थी में पहले नम्बर पर जो सड़क है, सौड़धार, अंखलकांडा और मनागेर सड़क का कुछ भाग आदि, जो मोटर रोड हैं, उन पर कितना रुपया नियोजन विभाग खर्च कर रहा है और कितना फारेस्ट विभाग ?

श्री सैयद अली जहीर—इन पर ८३,५०० रुपये खर्च के लिये रखे गये हैं।

श्री प्रताप सिंह—यह ८३,५०० रुपयों का जो तजकिरा माननीय मन्त्री जी ने किया है यह तो नियोजन विभाग की तरफ से है, मैं पूछना चाहता हूं कि वन विभाग की तरफ से भी कुछ रुपया लगाया गया है या नहीं।

श्री सैयद अली जहीर—इसकी तफसील कुछ भी इस समय मालूम नहीं है। बहरहाल, बजट में इसके लिये ८३,५०० रुपये रखे गये हैं जो इस पर खर्च होंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दक्षिणी अलमोड़ा रेंज में २० मील लम्बी सड़क बनना स्वीकृत हुई थी, जिसका कि जिक्र नत्थी के दूसरे पेज में है—जागेश्वर रेंज में दोड़क–छ:ोंज मोटर सड़क–किन्तु वह अब दो मील ही रखी गई है, और अगर हां, तो वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, यह तो अलग सवाल है, इसके लिये अलग से लिखकर देना चाहिये।

मेंहदावल, बखिरा तथा अमरडोमा से बिजली के लिये प्रार्थना

*२१—**श्रीमती गेंदादेवी** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के अन्तर्गत टाउन एरिया मेंहदावल व बखिरा तथा अमरडोमा में बिजली लगाने के लिये सरकार को १९५८, १९५९ और १९६० में आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं। राज्य विद्युत परिषद् ने चालू वित्तीय वर्ष में मेंहदावल तथा बखिरा के विद्युतीकरण का निर्णय कर लिया है, धनराशि की कमी के कारण अमरडोमा का विद्युतीकरण चालू वित्तीय वर्ष में होना सम्भव नहीं है।

श्रीमती गेंदादेवी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अमरडोमा जो कि बखिरा से एकदम सटा हुआ खलीलाबाद से मेंहदावल जाने वाली पक्की सड़क के पश्चिम और लबे सड़क पर बखिरा के दूसरे मुहल्ला के रूप में है और बुनकरों की बहुत बड़ी आबादी है, वहां वह बिजली देने के प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री धर्मसिंह—अभी तो वहां का सर्वे वगैरा होगा, उसके बाद इस प्रश्न पर विचार होगा।

श्रीमती गेंदादेवी—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेंहदावल, बखिरा और मगहर में कब तक विद्युतीकरण हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह—जल्दी कोशिश की जायगी।

श्री बलदेवसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह धनाभाव के कारण अब तक नहीं हुआ तो कब तक हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह—तृतीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायगा।

*२२–२३—**श्रीमती गेंदादेवी**—[२० सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*२४-२६—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—[२० सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*२७—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—[२० सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।

*२८-२९—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—[२० सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

भारत इलेक्ट्रिक व जनरल स्टोर्स, मुरादाबाद, से सिंचाई विभाग के लिये खरीदे सामान की जांच

*३०—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि सिंचाई विभाग के एक उच्च अधिकारी ने जनवरी, फरवरी, १९५९ में एक परिपत्र द्वारा प्रदेश के ट्यूबवेल डिवीजनों के इक्जेक्यूटिव इंजीनियरों से गत सात वर्षों में मुरादाबाद की बिजली व जनरल स्टोर्स नाम की फर्म से खरीदे जाने वाले माल के स्टेटमेन्ट मांगे थे ? यदि हां, तो उन स्टेटमेन्टों के अनुसार उस फर्म से कितनी रकम का माल खरीदा गया है ?

श्री धर्मसिंह—बिजली व जनरल स्टोर नाम की कोई फर्म मुरादाबाद में नहीं है। भारत इलेक्ट्रिक व जनरल स्टोर्स नाम की एक फर्म है जिससे कुछ माल खरीदा गया था, इसके बारे में जांच की जा रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त फर्म ने जो ३५ हजार के बालबियरिंग दिये, वे बहुत घटिया किस्म के सप्लाई किये ? यदि हां, तो उस संबंध में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल उस मामले में जांच की जा रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी को पता है कि उक्त फर्म की प्रोपाइटर एक महिला हैं तथा उनके पति ट्यूबवेल कार्यालय, मुरादाबाद, में कर्मचारी हैं और वह माल के लिये आर्डर सिक्योर करते हैं और एग्रीमेंट पर दस्तखत भी करते हैं ?

श्री गिरधारीलाल—इसी किस्म की एक शिकायत आयी थी, जिसके ऊपर यह तमाम इंक्वायरी की जा रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—यह शिकायत कब आयी थी और जांच कब खत्म होने की उम्मीद है ?

श्री धर्मसिंह—तिथि मेरे पास नहीं है। कोशिश की जा रही है, जल्दी ही मामला समाप्त हो जायगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जांच किस अधिकारी द्वारा करायी जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—चीफ इंजीनियर कार्यालय के द्वारा ऐसा पत्र गया है कि कितने एग्जीक्युटिव इंजीनियरों से सम्बन्ध है। प्रश्न किया गया है, फिलहाल उनसे जांच की जा रही है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—जो शिकायतीपत्र मंत्री जी को मिला है उसमें मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह—उसकी कापी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, नोटिस की आवश्यकता है कि क्या क्या डिटेल की मुख्य शिकायत है।

रसेमर तालाब से पानी निकास की व्यवस्था न होना

*३१—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की तहसील मैनपुरी में रसेमर के तालाब के पानी को निकाले जाने के लिये और काकनन्दी का पानी रसेमर के तालाब में न आ सके उसकी रोक लगाने के लिये बीस हजार रुपया १९५८ में और १९५९ में मैनपुरी नहर विभाग के अधिकारियों को दिया गया था ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं ।

*३२—श्री गनेश चन्द्र काछी—यदि हां, तो पानी की निकासी का इन्तजाम अब तक क्यों नहीं हो सका है ?

श्री धर्म सिंह—प्रश्न नहीं उठता ।

माती-देरापुर सड़क पक्की करने का विचार

*३३—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या यह सही है कि कानपुर जिले के अन्तर्गत माती से अकबरपुर रूरा होती हुई देरापुर जाने वाली सड़क की खराबी के कारण सवारियों का उस पर चलना असम्भव हो रहा है ?

श्री महावीरसिंह—सड़क की हालत वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिये, अतः आवागमन में असुविधा होती है ।

*३४—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार उपरोक्त सड़क को डामर रोड बनाने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरसिंह—जी हां । तृतीय पंचवर्षीय योजना में उपरोक्त सड़क को डामर रोड बनाने के कार्य को सम्मिलित करने के लिये विचार किया जा रहा है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह सड़क यदि तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गयी है तो इसका प्राक्कलन क्या है ?

श्री महावीरसिंह—तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का विचार हो रहा है । शायद आपने सुना नहीं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक सरकार विचार कर रही है कि किस योजना के अन्तर्गत इसको रखना चाहिये, तब तक मरम्मत करने की कृपा करेंगे जिससे असुविधा न हो ?

श्री महावीर सिंह—सालाना मरम्मत होती है, वह होती रहेगी ।

कटेलवा व बरहज को सरजू के कटान से बचाने की प्रार्थना

*३५—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार को ज्ञात है कि बरहज नगरपालिका के भीतर का कटेलवा गांव सरयू नदी से तेजी से कट रहा है जिससे बरहज को भी खतरा है ? सरकार इस कटान को रोकने का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—गोरा ग्राम का एक छोटा सा पुरवा कटेलवा नामक है जो बरहज नगरपालिका की सीमा से ३ फरलांग पर स्थित है । इसका थोड़ा सा कटाव घाघरा द्वारा हो रहा है परन्तु इस कटाव से बरहज नगर को कोई वर्तमान खतरा नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि घाघरा उन नदियों में से है जिनमें एक ही दिन में कई मील का फासला होता है पहले बहाव में, दूसरे बहाव में ? तो चूंकि ३ ही फरलांग में बता रहे हैं, तो क्या ऐडीशनल प्रोटेक्शन का इन्तजाम उन्होंने किया है ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल जहां तक इस वर्ष का संबंध है, कोई ऐसा विचार नहीं है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस पर विचार किया जायगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि बरहज नगर, जो कि कई हजार की आबादी का कस्बा है, उसके लोग इस खतरे के कारण बाहर जा रहे हैं यानी दूसरी जगह अपने मकान बना रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी बात नहीं है । बरहज को इस प्रकार का कोई खतरा नहीं है कि लोग छोड़कर के जायं ।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कटेलवा गांव का कितना हिस्सा नदी की बाढ़ से कट चुका है ?

श्री धर्मसिंह—पिछले १० वर्षों की बाढ़ में आठ दस एकड़ बंजर भूमि कटी है और इधर ०·१२ एकड़ कटी है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि पहले इंजीनियर्स ने वहां सर्वेक्षण करके देखा था और यह सुझाव दिया था कि अगर कटेलवा का कटाव रोका नहीं गया तो बरहज घाघरा की बाई-पास और मेन धारा के बीच में पड़ जायगा ?

श्री धर्मसिंह—इंजीनियर्स की रिपोर्ट के आधार पर ही उत्तर दिया जा रहा है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—यदि माननीय मंत्री जी बरहज को खतरे से बाहर समझते हैं तो फिर उस छोटे से गांव को, जो कि कट रहा है, उसको बचाने की क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक मकान और आबादी का संबंध है, इसके लिये वहां कोई खतरा नहीं उत्पन्न हुआ । केवल कुछ बंजर भूमि जो वहां पड़ी है उसको थोड़ा-बहुत खतरा हुआ ।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय मंत्री जी ने कहा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस बात पर विचार किया जायगा कि बरहज कैसे बचाया जाय । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने घाघरा नदी से कोई समझौता कर लिया है कि वह तृतीय पंचवर्षीय योजना तक प्रतीक्षा करे ।

श्री अध्यक्ष—ऐसा जवाब उन्होंने नहीं दिया ।

श्री देवनारायण भारतीय—पूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि तृतीय योजना में इस पर विचार किया जायगा ।

श्री धर्मसिंह—घाघरा नदी से किसी समझौते का प्रश्न नहीं उठता । तृतीय योजना में विचार किया जायगा, यह मैंने अवश्य कहा था ।

श्री उग्रसेन—मुझे माननीय मंत्री जी की अंतिम सूचना, जिसको कि अंग्रेजी में लेटेस्ट कहते हैं, यह देनी है कि कटाव से वह गांव बिलकुल कट गया है । मैं यह कल तक की बात कह रहा हूं ।

श्री धर्मसिंह—मेरे पास जो लेटेस्ट सूचना है उसी पर मैंने यह जवाब दिया ।

श्री बलदेवसिंह—क्या यह सही है कि कटेलवा गांव को कटाव से बचाने का प्रबन्ध इसलिए नहीं किया जा रहा है कि उसका नाम ही कटेलवा है ?

(हंसी—कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री मदन पांडेय—श्री उग्रसेन जी के इस कथन को सूचना मानकर कि कटेलवा गांव के निवासी बेघर-बार हो गये हैं, सरकार उनको सहायता देने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है । जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, यदि वह लिखकर देंगे तो जांच कराने के बाद उचित कार्यवाही की जायगी ।

हिन्दी में साहित्य देने की मांग

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आज हम लोगों के सामने तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कुछ खाके वगैरह रखे गये हैं, यह ऐसी भाषा में रखे गये हैं जोकि इस सदन की भाषा भी नहीं है और इस सदन के आधे सदस्य उसका एक अक्षर भी नहीं समझ पावेंगे । इस पर सदन में विवाद भी होने वाला है और यह अध्ययनशील विषय भी है ।

श्री अध्यक्ष—हिन्दी में भी अनुवाद १ या २ दिन में आ जायगा, दोनों रहेंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इसे वापिस कर दें या यह रद्दी की टोकरी में जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—आपके पड़ोस में अंग्रेजी पढ़ने वाले हों उन्हें दे दें ।

फूलबाग, कानपुर में हो रही केन्द्रीय सरकारी प्रदर्शनी में भीड़ द्वारा उपद्रव व मारपीट करने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—मैंने कामरोको प्रस्ताव तो कोई स्वीकार नहीं किया है । नियम ५२ के अनुसार गोविन्द सिंह विष्ट जी का विषय स्वीकार किया है—"फूलबाग, कानपुर के के० ई० एम० हाल के भीतर की रोज से, यह शायद कई रोज से होना चाहिये, एक केन्द्रीय सरकारी प्रदर्शनी हो रही है । कल जब करीब ४,००० व्यक्तियों का बारावफ़ात का एक जुलूस उधर से गुजरा तो सदैव की भांति लोगों को आकर्षित करने के लिये उक्त हाल में ग्रामोफोन के रेकार्ड बज रहे थे । तभी कुछ लोग नमाज पढ़ने लगे जिस पर रेकार्ड बन्द कर दिये गये । नमाज समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय गान का रेकार्ड लगाया गया जो असामयिक होने के कारण एक लाइन बजते ही बन्द कर दिया गया । मगर राष्ट्रीय गान का बजना सुनते ही भीड़ का काफी भाग देशद्रोही नारे लगाता हुआ उत्तेजित व अशान्त उपद्रव करता हुआ हाल के भीतर घुसा । पुलिस के रोकने पर भी भीड़ ने ईंटें व अन्य वस्तुओं से मार शुरू की जिससे भारत सरकार के फील्ड पब्लीसीटी अधिकारी को चोटें भी आईं व सामान को बहुत नुकसान पहुंचा । राष्ट्रीय गान को जानबूझ कर अपमानित किया, जिससे कानपुर की सारी शान्ति प्रिय लाखों जनता में क्षोभ है । आये दिन इस तरह की शांति भंग तथा अराष्ट्रीय घटनायें इस प्रदेश में हो रही हैं और राष्ट्र-द्रोही तत्त्वों का एक जाल प्रान्त में फैला है जो यह सब करा रहा है और जिससे देश की शांति व सुरक्षा भारी खतरे में है । सरकार की दब्बू नीति से, यह तो आपने आक्षेप किया है, खैर, इनको प्रश्रय मिल रहा है ।"

मंत्री जी आज ही या किसी दूसरे दिन वक्तव्य देंगे ?

*गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—आज ही दे सकता हूं। मेरे पास कलेक्टर की रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस सम्बन्ध में कलेक्टर ने एक प्रेस नोट भी ५ सितम्बर को निकाला था और उसके बाद यह उनकी रिपोर्ट भी मुझे उपलब्ध हो गई है। इसमें यह कहा गया है कि बारा वफात के दिन हमेशा मुसलमानों का जुलूस निकलता था जो फूलबाग जाया करता था। रवैये की भांति इस बार भी करीब ४,००० आदमियों का जुलूस सायंकाल ६ बजे के करीब फूलबाग पहुंचा। वहीं के० ई० एम० हाल के सामने ४००-५०० लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू किया। इस हाल में भारत सरकार की ओर से प्लान पब्लीसीटी एग्जीबीशन हो रही थी करीब एक हफ्ते से। प्लान पब्लीसीटी के अधिकारी हमेशा ग्रामोफोन के रेकार्ड वगैरह बजाया करते हैं कि जनता उधर आये। रेकार्ड बज रहा था। जब यहां के कार्यकर्ताओं ने यह देखा कि यहां नमाज हो रही है तो उन्होंने रेकार्ड का बजना बन्द कर दिया। ज्योंही नमाज खत्म हुई त्योंही वहां के चपरासी ने गलती से जन-मन-गण का रेकार्ड लगा दिया और १ ही लाइन रेकार्ड ने गाया होगा कि यह देख कर कि यह असामयिक बज रहा है, तुरन्त अफसर ने उसे बन्द करा दिया। राष्ट्रीय गान के गाने का तो निश्चित समय होता है और निश्चित अवसरों पर गाया जाता है। कुछ आदमी हाल की तरफ बढ़े और कुछ भीड़ वहां जमा हो गई। उनमें से ५०, ६० आदमी "अल्लाहो-अकबर", "नाराये-तकबीर" के नारे लगाते हुये हाल में घुस गये और प्रदर्शनी के सामान को उन्होंने उलट-पुलट दिया। २ फोटो शीशे के एग्जीबिट्स वहां रखे थे, उनको उन्होंने कुछ क्षति पहुंचाई। चपरासी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उसे भी उन्होंने धक्का-धक्का दिया। यह देख कर वहां की पुलिस ने हाल में जाकर गैरजायज ढंग से हाल में घुसने वालों को बाहर निकाला। वे बाहर निकल आये। वहां कुछ कंकड़ पड़े थे, जो किसी मरम्मत के सम्बन्ध में थे, उनमें से कुछ कंकड़ उठा कर उन्होंने फेंके। गवर्नमेंट आफ इंडिया के फील्ड पब्लीसीटी आफीसर, श्री मरवाहा, को कुछ चोट लगी, यद्यपि वह ज्यादा नहीं थी। साधारण-सी चोट आई और उसके बाद पुलिस वहां पहुंच गई। घटनास्थल पर तुरन्त कलेक्टर और एस० पी० भी पहुंच गये। फिर जलूस बना और वह वापिस होता हुआ परेड की तरफ जाकर डिसपर्स हो गया।

नुमायश के सामान की क्षति अधिक नहीं है, लेकिन कुछ क्षति पहुंची है और सौभाग्य से इस घटना की कोई प्रतिक्रिया भी शहर में नहीं है। केस दर्ज कर लिया गया है, जिसकी छानबीन की जा रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहां की परिस्थिति पूर्णतया शान्त है, यह रिपोर्ट है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जब जुलूस पहले आया तो उस समय रेकार्ड बज रहा था लेकिन कोई उपद्रव नहीं हुआ लेकिन जब बाद को गलती से पवित्र राष्ट्रीय गान का रेकार्ड चढ़ गया तो उस समय अल्लाहो-अकबर के नारे बोले गये और हल्ला हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। मैंने बतलाया रिपोर्ट से कि वहां साधारणतया रेकार्ड बजते हैं। सभी नुमायशों में बजते हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी। जब लोग वहां नमाज पढ़ने लगे तो रेकार्ड बजाना बन्द कर दिया। नमाज खत्म हो गई और खत्म होते ही चपरासी ने गलती से जन-मन-गन का रेकार्ड चढ़ा दिया। क्योंकि उसका कोई वक्त नहीं था, एक मिनट बाद ही उन्होंने उसे बन्द कर दिया। अवश्य ही इस पर कुछ लोगों ने आक्रमण किया और हाल में घुस कर तोड़ा-फोड़ा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि जुलूस ने जो उपद्रव किया वह क्या इसलिये किया कि राष्ट्रीय गान चढ़ा हुआ था या इसलिये किया कि बाजे क्यों बज रहे थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अभी इस मामले में जांच हो रही है, केस रजिस्टर हो गया है और इन्क्वायरी हो रही है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह भीड़ जो फूलबाग में नमाज पढ़ रही थी तो वहां मैदान में पढ़ रही थी या वहां कोई मसजिद है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---के० ई० एम० हाल के सामने एक बड़ा भारी मैदान है, उसी में नमाज हो रही थी, वहां कोई मसजिद नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन ५०० आदमियों ने नमाज पढ़ी, वह इस साल कोई नयी बात हुई या प्रति वर्ष बारावफात के दिन वहां नमाज पढ़ी जाती रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसका कोई स्पष्ट उल्लेख हमारे पास नहीं है कि प्रति वर्ष यहां नमाज पढ़ी जाती रही है लेकिन यह बात जरूर है कि प्रति वर्ष जुलूस वहां जाया करता था, संभवतः नमाज भी होती रही हो।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी ने कानपुर के जिलाधीश के इस वक्तव्य की ओर अपना ध्यान घुमाया है कि इस प्रकार की नमाज पिछले सालों में पहले भी पढ़ी जाती थी और यह एक रवैया-सा बन गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---संभवतः ऐसा हुआ हो, मैं जानता नहीं, जांच-पड़ताल हो रही है। डिटेल्ड सूचना जांच के बाद आयेगी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो नाजायज व्यक्ति हाल में घुसे तो अधिकारियों ने उनमें से कुछ को तुरन्त क्यों गिरफ्तार नहीं किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---क्यों नहीं गिरफ्तार किया, यह तो वही अधिकारी जानें जो उस वक्त वहां थे। मुमकिन है उस समय कोई बाधा रही हो या उन्होंने सोचा हो कि इस समय गिरफ्तार करने का अच्छा असर न होगा। "मैन आन दि स्पाट" ने जैसा उचित समझा वैसा किया। उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया गया, यह ठीक बात है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि जिस वक्त नमाज पढ़ी जा रही थी, उस वक्त बाजा बन्द कर दिया गया, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह बाजा किसी के कथन से बन्द किया गया था या वैसे ही बन्द कर दिया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---फील्ड पब्लिसिटी आफीसर ने यह देख कर कि नमाज हो रही है, बाजा बन्द कर दिया। बाजा बन्द करने के लिये उससे किसी ने कहा, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने स्वयं बन्द करा दिया।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---जब जुलूस वहां पहुंचा तो रिकार्ड बज रहे थे यानी नमाज के प्रारम्भ होने के पहले, तो उसको बन्द करने के लिये किसी ने आग्रह नहीं किया, यह बात स्पष्ट है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, रिपोर्ट से तो यही मालूम होता है कि किसी ने आग्रह नहीं किया, स्वयं फील्ड पब्लिसिटी आफीसर ने नमाज शुरू होते देख कर रिकार्ड बन्द कर दिया।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो जुलूस नमाज पढ़ने गया था क्या उसके पास किसी प्रकार के झंडे भी थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी तफसील से सूचना नहीं है। जुलूस के पास मुमकिन है झंडे रहे हों। झंडे, गाजे, बाजे जुलूस में रहते ही हैं। लेकिन थे या नहीं, इसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

श्री गोविन्द सहाय विष्ट—यह देखते हुए कि और गानों के ऊपर कोई एतराज नहीं हुआ और राष्ट्रीय गान के शुरू होने पर ही उपद्रव हुआ, क्या माननीय मंत्री जी कोई विशेष कदम ऐसा उठा रहे हैं कि आये दिन जो राष्ट्रीय गान के खिलाफ इस तरह की घटनायें होती हैं वे न होने पायें और क्या वे ऐसे राष्ट्रीय गान विरोधी लोगों के खिलाफ कोई जांच करावेंगे कि सारे प्रदेश में शान्ति भंग करने वालों का ऐसा कोई षड़यंत्र तो नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, किसी षड़यन्त्र की सूचना है नहीं मेरे पास और न कोई षड़यन्त्र ऐसा मालूम होता है। अब यह कि रेकार्ड का बजना ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बिलकुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, यद्यपि एक अफसर ने उसे बन्द कर दिया था। नमाज खत्म हुई, फिर एक चीज बजने लगी, इस पर इस प्रकार आवेश में आ जाना उचित नहीं था लोगों का। इसके सिवा और किसी प्रकार की सूचना हमारे पास नहीं है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या यह सही है कि नमाज शुरू होने के कई मिनट बाद तक भी बाजा बजता रहा और नमाजियों की तरफ से कुछ व्यक्तियों के प्रार्थना करने पर बाजा बजना बन्द हुआ ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जवाब दे दिया है कि किसी ने प्रार्थना नहीं की।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने हाल के अन्दर हमला किया और चीजों को तोड़ने-फोड़ने की कोशिश की, तो जब वे ऐसा कर रहे थे या करने जा रहे थे, तो भीड़ में से कुछ लोगों ने आगे बढ़ कर उन हमला करने वालों को रोकने की कोशिश की, ऐसी कोई सूचना सरकार के पास है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना तो यही है कि पुलिस के जो कर्मचारी वहां मौजूद थे, वे वहां गये और जो लोग हाल के अन्दर जाकर घुस गये थे, उन लोगों को निकाल कर बाहर किया।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो ये भजन करने वालों और नमाजियों में झगड़े होते हैं, उनमें आपस में प्रेम बढ़े और ये झगड़े न हों, इस प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—अगर आप उत्तर देना उचित समझते हों तो दे सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—उत्तर तो तब दें जब समझ में आयी हो।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे, जैसा उन्होंने कहा कि मौके पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और छानबीन अभी जारी है इसलिये नहीं हुई, तो जो केस जिन आदमियों के खिलाफ किया गया है वह किस आधार पर दायर किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं तो समझता हूं, शायद उस पुलिस ने ही केस रजिस्टर्ड किया होगा और उसकी जांच कर रही है।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के संबंध में जानकारी

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलिया और आजमगढ़ की बाढ़ के सम्बन्ध में एक प्रश्न किया था जो नहीं लिया गया। इस समय वहां की जैसी स्थिति है उसकी जानकारी सरकार को है। वह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर उसे आज नहीं लिया गया तो कल के लिए उसे रख दिया जाय। लेकिन इस पर अविलम्ब कार्यवाही होनी चाहिये, कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—१० तारीख को सब इकट्ठा आयेगा। अभी तो पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में वे उत्तर देने वाले हैं, शायद बहुत से गांव के लोग छतों पर बैठे हैं, बहराइच में।

श्री उग्रसेन—हम लोगों ने जो प्रश्न उनके पास भेजा है उसका उत्तर वे देंगे?

श्री अध्यक्ष—सबका उत्तर देंगे। जिस-जिस जिले की बाढ़ के बारे में जिनको जो कुछ जानकारी हो उसे वे कृपा करके माननीय मालमंत्री जी के पास भेज दें।

श्री उग्रसेन—हम लोगों ने जो घाघरा-राप्ती की बाढ़ के सम्बन्ध में भेजा था उसकी नकल पहुंच गई उनके पास?

श्री अध्यक्ष—आज पहुंच गई होगी।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, मैंने एक कामरोको प्रस्ताव बांदा में हैजे के सम्बन्ध में दिया था जिसे आपने नामंजूर कर दिया। बांदा के देहातों में है जेकी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। करीब ४५० लोग उस बीमारी से वहां ग्रस्त हैं।

श्री अध्यक्ष—उस सम्बन्ध में आप कोई प्रश्न दे दें जिसमें बांदा का जिक्र आयेगा तो मैं उसे ले लूंगा। अगर उसमें यह है कि उस प्रकोप पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आप आधा घंटा डिस्कशन की बात मांग लें, मैं उसके लिये समय दूंगा। लेकिन कामरोको प्रस्ताव में स्वीकार नहीं करता।

श्री गौरीशंकर राय—प्रश्नों के सिलसिले में नहीं आया था. . . .

श्री अध्यक्ष—प्रश्नों में यह उत्तर आ गया था। यह उत्तर दिया गया था कि हैजे को कंट्रोल उन्होंने किया है।

श्री लतीफ को अवैधानिक रूप से जेल में बन्द रखने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—कुंवर श्रीपालसिंह जी ने जो ध्यान आकृष्ट करने का प्रश्न रखा था, उस पर समाज कल्याण मंत्री अब अपना वक्तव्य देंगे।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमन, प्रारंभिक जांच से मुझे ज्ञात हुआ है कि यह श्री लतीफ, पुत्र श्री अब्दुल्ला खां, भेड़ी मंडी, लालकुआं, लखनऊ, के निवासी हमारे यहां जेल में २ वर्ष ३ माह के लगभग डिटेन हो गये। अब यह छोड़ दिये गये हैं। जो अधिकारी इसके लिये दोषी हैं, उनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। पूरी जांच भी मैं करवा रहा हूं। इसमें २ व्यक्तियों को सस्पेंड करने की बात भी थी और उसकी आज्ञा दे भी दी गई। एक तो जिस जमाने में इनका अमेन्डेड वारन्ट अदालत से आना बतलाया जाता है उस समय जो हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट जेल, लखनऊ, के सुपरिन्टेन्डेन्ट थे उनको सस्पेंड करने की बात थी और दूसरे जो असिस्टेन्ट जेलर थे जिनका कि सीधा संबंध था यह वारन्ट लेने से या उसको दुरुस्त करने से, उनको भी सस्पेंड करने की आज्ञा दी गई। इनमें से लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव जो असिस्टेंट जेलर थे उनको मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन जो उस समय सुपरिन्टेन्डेन्ट थे वह ऐसा प्रतीत होता है कि अवकाश प्राप्त कर चुके हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---यह जो २ साल ३ महीन उस आदमी को गैर-कानूनी ढंग से जेल में रखा गया इसके लिये कुछ मुआवजा सरकार उसके बीबी-बच्चों को देने वाली है या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसके सम्बन्ध में इस समय मेरे लिये कुछ भी कहना कठिन है। इसका कारण यह है कि अभी यह दृढ़ता के साथ नहीं कहा जा सकता कि किसके दोष से ऐसा हुआ है। जब इस पर पूर्ण विचार हो जाएगा तब इस प्रश्न पर विचार करने का सवाल आएगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उस व्यक्ति को जो २ साल ३ महीने से ज्यादा जेल में रखा गया उसमें दोष किसका था यह प्रश्न अलग था, लेकिन किसी का दोष हो या न हो वह व्यक्ति २ साल से अधिक गैर-कानूनी ढंग से जेल में बन्द रहा इसलिये उसका मुआवजा देने की बात पर सरकार विचार करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैंने तो अभी निवेदन किया था कि उसमें कुछ कठिनाइयां हैं। इस प्रकार की कठिनाइयां हैं कि अदालत से वह वारन्ट समय पर गया या नहीं और यदि गया तो कहां रह गया। इस प्रकार की कुछ बातें हैं, उनमें निश्चित जांच आवश्यक है। मैंने निवेदन किया कि प्रारंभिक जांच से ऐसा ज्ञात होता है। जब तक पूरी जांच न हो जाय तब तक इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना मुश्किल है।

कुंवर श्रीपाल सिंह---क्या सरकार को मालूम है कि उच्च न्यायालय का फैसला ९-५-५८ को सेशन जज के यहां भेज दिया गया था और १६-५-५८ को सेशन जज ने लखनऊ के जेल अधिकारी के पास भेज दिया था, इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उच्च न्यायालय का जो फैसला था वह १६-५-५८ को ही जेल अधिकारी के पास पहुंच गया था और उसके बाद भी २ साल ३ माह उसे जेल में रखा गया, और अभी जैसा मन्त्री जी ने कहा कि जांच की जा रही है कि किसकी गलती से हुआ, चाहे किसी एक अधिकारी की गलती से हुआ, मगर यहां तो गलती आयी है पूरी सरकार की कि सरकार ने क्यों उसको गैरकानूनी ढंग से जेल में रखा और अगर रखा तो उस दरमियान के लिये उसके बीबी-बच्चों को कुछ मुआवजा सरकार देगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप बहस कर रहे हैं, उन्होंने दो दफ़ा जवाब दे दिया।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---हाई कोर्ट का रिहाई का आर्डर पहुंचने के बाद इनकी रिहाई किन कारणों से नहीं की जा सकी, इस पर मंत्री जी प्रकाश डालेंगे ?

श्री अध्यक्ष---वह तो कह ही रहे हैं कि जांच कर रहे हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---मंत्री जी बतायेंगे कि २ साल ३ महीन बाद जब जेल से छोड़ा गया तो उस दिन किस प्रकार छोड़ा गया ? सरकार को मालूम हुई अपनी ग़लती, या जेलखाने वालों को मालूम हुई, या. . . .

श्री अध्यक्ष---या प्रश्नकर्ता के प्रश्न की वजह से छोड़ा गया ?

श्री गेंदासिंह---जी हां। किस प्रकार वह शख्स छोड़ा गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसके सम्बन्ध में सरकार को प्रार्थना-पत्र भी मिला था। श्री बी० पी० सक्सेना, वकील, के द्वारा और उस पर भी कुछ प्रारम्भिक जांच हुई थी। उसके बाद कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद कुछ गलती हुई है, तो उनको छोड़ दिया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है क्योंकि मैंने इस सम्बन्ध में कि एक नागरिक के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न की सूचना दी थी बहुत समय पहले। लेकिन मंत्री जी ने या किसी ने

उसे स्वीकार नहीं किया और मेरे पास यह सूचना पहुंची कि इसे हम तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। वह तो आप की कृपा से आज भी इसलिये आ गया कि आप ने ध्यान आकर्षित करने के प्रश्न को स्वीकार कर लिया। इसलिये मन्त्री जी को जल्दी करनी पड़ी। लेकिन जो वकील साहब ने ध्यान दिलाया था उसको तो २ हफ्ते हो चुके हैं। २ हफ्त तक मेरे प्रश्न के बाद भी सरकार सोचती रही और प्रारंभिक जांच करती रही और इस बात पर उसने ध्यान नहीं दिया कि एक नागरिक गैर-कानूनी तरह से जेल में पड़ा हुआ है। मैं समझता हूं इसमें तो केवल सरकार का और मंत्री जी का दोष है. . .

श्री अध्यक्ष—आप तो स्टेटमेंट दे रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जी हां, मैं ध्यान दिला रहा हूं कि यह कहां तक ठीक है सरकार के लिये कि ऐसे गम्भीर मामले में. . .

श्री अध्यक्ष—आप उनसे प्रश्न पूछें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं जानना चाहता हूं कि जब मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया गया था वकील साहब द्वारा तब उन्होंने तुरन्त ही कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—तुरन्त ही यह मालूम हो सके कि वकील साहब ठीक कह रहे हैं और माननीय प्रश्नकर्ता ठीक कह रहे हैं इसका मेरे पास तो कोई साधन नहीं है। उसके लिये कुछ समय की आवश्यकता पड़ती ही है और पता लगाना पड़ता है। न जाने कितनी दरख्वास्तें इस तरह की हमारे पास गलत आती हैं। इसलिये तुरन्त ही किसी के ऊपर कार्यवाही करना असम्भव है।

कुंवर श्रीपालसिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री वी० पी० सक्सेना का जो रिप्रेजेन्टेशन था वह १०-८-६० को ही मंत्री जी को मिल चुका था तब उसे ३० तारीख को छोड़ा गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरा खयाल है यह तो सही है कि श्री वी० पी० सक्सेना का जो पत्र था मुझे शायद वह जैसा मेरे मित्र बताते हैं उन्हीं तिथियों में मिला, और जिस दिन वह मिला कदाचित उसी दिन वह विभाग को कार्यवाही करने के लिये भेज दिया गया।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मंत्री जी बतलायेंगे कि लतीफ़ नामक व्यक्ति जिसे २ साल ३ महीने अकारण जेल में रहना पड़ा उस को जेल कब हुई थी और कितने दिन वह जेल में अपनी सजा के पूरा करने के लिये इससे पहले रह चुका था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कुछ लम्बा सा विवरण है लेकिन मैं देवता हूं। यह व्यक्ति २ जून, १९५५ को धारा ३७९, ३०७, ३२३, ३२४ और एक दूसरी धारा ३७९ के अन्तर्गत जेल में गया था इसके ऊपर ३ आरोप थे। एक ३७९ का था और दूसरे में दफ़ा ३०७ ३२३ और ३२४ थे। ३७९ वाले आरोप में इनको २८-१२-५५ को ६ मास का सपरिश्रम कारावास का दंड मिला। इसक बाद इसकी जमानत १-६-५६ को हो गई। किन्तु इसको रोक लिया क्योंकि इसके ऊपर दूसरे आरोप चल रहे थे। इसक बाद इसको ३०७ वाले में ४ वर्ष की सपरिश्रम सजा और २०० रुपये अर्थ दंड की सजा हुई और अर्थदंड के डिफाल्ट में ६ मास का सपरिश्रम कारावास का दंड मिला था और ३२४ के अन्तर्गत २ वर्ष का अर्थदंड मिला था। यह दोनों कारावास एक के बाद एक प्रारम्भ होन को थीं। इसके बाद ३७९ में इसको १५-६-५६ को १ वर्ष का कारावास का दंड मिल गया। फिर इसमें जो ३०७ और ३२४ में सजा हुई थी उस में १२-७-५६ को उसकी जमानत हुई परन्तु उस को ३७९ के दूसरे मामले में सजा भुगतने के लिये रोक लिया गया। फिर इसकी जमानत १७-७-५६ को ३७९ वाले मामले में हुई। किन्तु वह फिर १-८-५६ को जिला जेल में आ गया और ३७९ वाले की अपील खारिज हो गयी

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

और उसको उसमें ९ मास का सपरिश्रम कारावास रह गया। इसके अतिरिक्त ३० अप्रैल, १९५८ को जो यह ३०७ वाला मामला था उसकी अपील माननीय हाई कोर्ट के सामने हुई। उस में ३०७ के स्थान पर इसको ३२४ के अन्दर २ वर्ष की सपरिश्रम कारावास की सजा हुई और ३२४ में १ वर्ष का सपरिश्रम कारावास का दंड बहाल रहा। यह दोनों सजायें एक साथ चलने की आज्ञा हुई जैसा जजमेंट से स्पष्ट था। यह जो तीसरा मुकदमा था ३७९ वाला इसमें जज के यहां से १ वर्ष की जगह ९ मास का कारावास हो गया था और फिर इसका रिवीजन हाई कोर्ट में हुआ और उसमें ३० अप्रैल, सन् १९५८ को यह आज्ञा हो गयी और इस प्रकार यह सजायें ३०७ और ३२४ वाली साथ-साथ चलती थीं, इस प्रकार की आज्ञा थी। इस प्रकार ये सजायें थीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह साधारण शिकायत नहीं है, इससे एक नागरिक के जीवन के खतरे का सम्बन्ध है और स्वाधीनता के खतरे का प्रश्न नहीं अधिक महत्वपूर्ण है इसलिये ऐसे मामलों में सरकार जल्द से जल्द विशेष रूप से जांच करना आवश्यक समझती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—समझती है और करती भी है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—माननीय मन्त्री जी ने बताया कि मुआविजे के प्रश्न पर वह निश्चित रूप से नहीं बता सकते क्योंकि जांच करने के बाद ही निर्णय हो सकता है कि कौन दोषी है लेकिन क्या माननीय मन्त्री जी यह बता सकते हैं कि अब तक की जांच के आधार पर क्या सरकार इस निश्चय पर पहुंची है कि अब्दुल लतीफ का कोई दोष नहीं है और अगर ऐसी बात नहीं है और उसे अधिक सजा भुगतनी पड़ी है तो क्या माननीय मन्त्री जी उसको मुआवजा देने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप उसी तरह का प्रश्न फिर कर रहे हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—जैसा मन्त्री जी ने स्वयं कहा कि १०-५-६० नहीं, अध्यक्ष महोदय, १०-८-६० को वकील साहब ने उनको सूचना दे दी थी जो उन्हें उसी दिन मिल गयी थी, लेकिन फिर भी इतने दिनों तक क्यों इस गम्भीर मामले में देर लगी ?

श्री अध्यक्ष—कितना समय हो गया ? क्या आप इसको १०-५-६० समझ कर ३ महीने तो नहीं समझ रहे हैं ?

श्री गौरीशंकर राय—इस मामले में एक मिनट की देरी भी गम्भीर समझता हूं। मैं २० ही दिन समझ रहा हूं, ३ महीने नहीं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैंने अभी निवेदन किया था कि जैसे ही यह वकील साहब का पत्र आया वैसे ही उसको विभाग में भेज दिया गया। इसके बाद जहां वह मझौला में कैद थे वहां पूछतांछ की गयी। वहां यह पता लगा कि इसके साथ जो वारन्ट लगा था उसमें अपील वाली सजा का जिक्र नहीं था। इसके बाद जब विभाग में आया इसका उत्तर तो फौरन यहां से उत्तर दिया गया कि इसको फौरन छोड़ना चाहिये क्योंकि इस दौरान में यह पता लगा कि उसको सजा अधिक हुई है शायद, तो कदाचित् यह बात ठीक हो।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास ऐसी सूचना है कि यह व्यक्ति हैबिचुअल प्रिजनर है या यह प्रथम बार जेल गया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरे पास इस समय तो इसकी सूचना नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि इल्लीगल डिटेंशन बहुत गम्भीर बात है भविष्य में कोई व्यवस्था करेंगे कि इस तरह की शिकायतें जब मन्त्री जी के पास आयें तो उसमें शीघ्र जांच की जाय ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो वह जवाब दे चुके।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लतीफ साहब को किन्हीं जेलों में रखा गया या सम्पूर्णानन्द कैम्प में इनसे काम कराया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—पहले तो यह लखनऊ में थे। उसके बाद वाराणसी केन्द्रीय कारागर में २०-८-५६ को चले गये थे। वहां से फिर २५-३-६० को बरेली भेजे गये मझोला भेजने के लिये और २७-३-६० को मझोला भेजे गये।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने कोई ऐसी नीति इस वक्त अपनाई है कि जिसमें अगर कोई भूले-भटके से जेलों में चला जाय तो उसको जल्दी न छोड़ा जाय और इसी नीति के अनुसार इस मामले में कार्यवाही की गयी है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि जो सुपरिंटेंडेंट इसके दोषी हैं वे कौन से महानुभाव हैं और क्या उनकी पेंशन दंडस्वरूप नहीं रोकी जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न के दूसरे भाग की तो मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप अगर नाम बतलाना चाहें तो बता सकते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उस समय नाजिर अली उस्मानी सुपरिन्टेन्डेन्ट थ। वे भी किसी समय किसी और कारण से कम्पलसरी रिटायर हुये थे।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी को इस गैरकानूनी घटना पर हार्दिक खेद है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री गौरीशंकर राय—क्या मुख्य मंत्री जी यह देखते हुये कि एक नागरिक को सरकार की वजह से दो साल तक अधिक जेल में रहना पड़ा है, इस बात की गम्भीरता को देखते हुये और नागरिक अधिकारों के सम्मान में क्या सरकार में इतनी ऊंचाई है कि सांकेतिक रूप से ही इस्तीफा दे ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न भी उठता नहीं है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन सुपरिन्टेन्डेन्ट महोदय का उल्लेख उन्होंने अभी किया है उनके सामने उक्त कैदी ने जबानी परेड के अवसर पर कई बार अपने रिहा होने की सूचना दी थी मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मुझे इसका बिलकुल ज्ञान नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि वाकई एक दुखद घटना हुई है और इतना मैं सदन को जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो लोग इसके लिये दोषी हैं उनको अधिक से अधिक दंड दिया जायगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर वकील साहब के द्वारा और इस सदन के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित न किया गया होता तो यह कैदी अभी कितने दिन तक और जेल में रह सकता ?

श्री अध्यक्ष—जितने दिन तक नागर साहब अपनी कल्पना से रखते उतने दिन रहता ! वह आप की इच्छा पर था !!

अब यह समाप्त किया जाता है।

प्रक्रिया नियमावली के नियम ३१२ में संशोधन की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम ३१२ के अनुसार हलीमुद्दीन साहब के संशोधन को पढ़ कर सुनाता हूं जो उन्होंने दिया है :

"नियमावली के नियम २६ को हटा दिया जाय तथा उसमें लगे प्रतिबन्ध को २६वें नियम का रूप दिया जाय।"

इस तरह का उनका संशोधन आया है लेकिन यह संशोधन मैं समझता हूं कि अवैध है क्योंकि ऐसा कोई संशोधन नहीं हो सकता कि प्रतिबंध का अमुक स्वरूप हो जाय। उनको बताना चाहिये था कि कौन से शब्द होने चाहियें। वह निश्चित होना चाहिये था। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं कि यह सदन की राय के लिये उपस्थित किया जाय।

१९६०–६१ के प्रथम अनुपूरक अनुदान

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के प्रथम पूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

१९५६–५७ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांगें

श्री धर्मसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९५६–५७ की अतिरिक्त व्यय की मांगें प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० (खंड १३—क्रमागत*)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक १९६० पर विचार जारी होगा।

मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं कि स्वायत्त शासन मन्त्री ने मेरा ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया है कि दिनांक २ सितम्बर, १९६० को खंड ६ के उपखंड (२) की मद ३ में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या ५ के स्थान पर ८ करने सम्बन्धी माननीय श्री रामेश्वर प्रसाद जी का एक प्रस्ताव जो सदन में विचार के दौरान में उपस्थित किया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। उक्त प्रस्ताव के आधार पर खंड १२ के उपखंड (१) के प्रतिबंध में एक आनुषंगिक संशोधन करना आवश्यक था जो भूल से रह गया और खंड १२ पारित हो गया। अतः उनकी प्रार्थना है कि उक्त आनुषंगिक संशोधन की अनुमति आज प्रदान की जावे। नियमों में यह चीज नहीं है कि फिर से पीछे के स्वीकृत खंड पर पुनः विचार किया जाय। लेकिन एक दूसरा रास्ता मौजूद है। वह यह है कि जब कोई विधेयक सदन द्वारा पारित हो जाय तब सचिव खंडों को पुनरंकित करेगा, उनकी उपांतीय टिप्पणियों को पुनरीक्षित एवं पूर्ण करेगा, उनमें केवल ऐसे औपचारिक, शाब्दिक अथवा आनुषंगिक संशोधन करेगा जो आवश्यक हों और ऐसी त्रुटियों का शोधन करेगा जो उसकी असावधानता के कारण रह गयी प्रतीत हों।" तो यह आनुषंगिक या कांसीक्वैनल संशोधन है। अगर गलती से रह जायं

*२ सितम्बर, १९६० की कार्यवाही से।

तो यह मुझ से पूछ कर सचिव दुरुस्ती कर देते हैं जिस वक्त बिल दूसरे सदन के पास भेजा जाता है। चूंकि आपने मुझे सूचना दे दी, इसलिये हमने आपकी सूचना नोट कर ली है और सुधार खंड १२ में कर दिया जायगा। सदन को मैं केवल सूचना देता हूं कि मैं उक्त संशोधन कर दूंगा।

एक श्री प्रतापसिंह जी ने प्रार्थना की है। उन्होंने एक संशोधन दिया था कि खंड १३ के उपखंड (क) की पंक्ति २-३ में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर अंक तथा शब्द "छः मास" रख दिये जायं। वह कहते हैं कि गलती से "छः मास" वे कह गये, "छः साल" होना चाहिये। लेकिन वह भाषण भी दे चुके हैं। भाषण में इतनी गफलत नहीं हो सकती। मैं यह मान सकता हूं कि संशोधन देते समय गलती हो गयी। लेकिन उनका भाषण उसके समर्थन में हो गया और उसमें "६ मास" कई दफा कहा गया है। उसके बाद अवस्थी जी ने उसके ऊपर टीका-टिप्पणी भी की है। इसलिये मैं समझता हूं कि "६ मास" ही कार्यवाही में रहेगा। अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि वह गलत कह गये हैं तो राय लेते वक्त संशोधन को वे वापस ले सकते हैं।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन इस खंड १३ के उप खंड (क) में प्रस्तावित कुंवर श्रीपालसिंह जी के उन संशोधनों पर कुछ बोल रहा था। मैंने उक्ति रखी थी कि उन्होंने शब्द "द्वारा" तथा शब्द "किसी" के बीच में शब्द "राजनैतिक कारणों के अतिरिक्त" रखने की जो बात रखी है वह उचित है। मैं उस सिलसिले में यह कह रहा था कि इसके पहले भी इसी सम्बन्ध में कारपोरेशन विधेयक में इसी प्रकार के संशोधन मैंने रखे थे। उस समय भी मैंने इस बात को कहा था। इसके पहले सरकार ने जो पंचायत ऐक्ट पास किये हैं उनमें अनैतिक अपराधों की परिभाषा दी है, बल्कि उसमें कुछ दफायें भी दी हुई हैं कि उन दफाओं में जो अपराधी होंगे वही अनैतिक अपराधी कहलायेंगे। ठीक उसी आधार पर मैं कह रहा था कि इसमें भी अनैतिक अपराधों की परिभाषा विस्तृत रूप में होनी चाहिये। उसमें अनैतिक शब्द का इस प्रकार प्रविष्ट हो जाना चाहिये लेकिन इसके साथ-साथ जो यह भावना लगी है कि वह लोग जो राजनैतिक कारणों से अपराधी हो चुके हैं, चाहे उनकी अवधि दो वर्ष या उससे अधिक हो उनमें अनर्हता न पैदा हो, इस बात का भी सरकार विशेष रूप से ध्यान रखे, इसलिये मैं चाहता हूं कि यदि इसकी भावना को समझ लें तो इससे लाभ अवश्य होगा। वह लोग जो राजनैतिक कारणों से सरकार से मुठभेड़ लेते हैं, सम्भव है कि उन्हें लम्बी-लम्बी सजायें मिलें, और मिलती भी हैं। हमारे नेता, श्री राजनाराण जी पर कई दफायें लगी हैं। इसका यह भी परिणाम हो सकता है कि उन सभी दफाओं में उनको सजा मिलने का योग हो जाय और दो साल से अधिक हो जाय और भी ऐसे कभी-कभी वक्त आते हैं जबकि राजनीतिक पार्टियां योग देती हैं और उनमें कार्य-कर्त्ताओं को या उनके सभी साथियों को लम्बी-लम्बी सजायें मिलती हैं तो इन राजनीति कारणों से मिली हुई सजाओं का यह परिणाम नहीं होना चाहिये कि वे इन स्वायत्त शासन संस्थाओं में शामिल न हो सकें। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि यह कारण उसमें से हटा लिया जाय और इस कारण से कोई आदमी अनर्ह न हो। इस स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में जितने भी विधेयक यहां प्रस्तुत हुये हैं चाहे वह अन्तरिम जिला परिषद् के समम्न्ध में आया हो या कारपोरेशन के सम्बन्ध में हो या पंजायत राज के सम्बन्ध में हो, हमेशा इसको रखा गया है और सरकार ने इसके आधार को स्वीकार भी किया है। यहां भी आशा है कि सरकार इस आधार को स्वीकार करते हुये इस संशोधन को स्वीकार करेगी और उन लोगों को जो राजनीतिक कारणों से सरकार से विमुख हैं, उन्हें इसकी कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी कि वह इसमें भाग नहीं ले सकेंगे। इतना ही कहकर मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि यह संशोधन बड़ा ही उचित है और इसे सदन स्वीकार करने की कृपा करेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वायत्त शासन उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)---श्रीमन्, एक संशोधन और है इसके बाद। वह भी इसके साथ ही ले लिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष---यह मैं समझता हूं कि इसके ऊपर इतनी बहस हो चुकी। इसके ऊपर आप कह लीजिये। इस पर मैं राय ले लूं, फिर उसके बाद उसको ले लेंगे या वह इन सब चीजों को कवर करता है ?

श्री जयराम वर्मा---जी हां।

श्री अध्यक्ष---तो ठीक है। उसको पेश कर दीजिये। (श्री मुक्तिनाथ राय से) आपको वह अधिकार दे गये हैं ?

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)---जी हां।

श्री अध्यक्ष---तो पेश कीजिये।

***श्री मुक्तिनाथराय**---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्न प्रस्ताव करता हूं---

खंड १३ की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(क) इसे ऐसेन्शल सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४६ या यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ के अन्तर्गत दी गई किसी आज्ञा का उल्लंघन करने में, अथवा किसी ऐसे अपराध में जिसके विषय में राज्य सरकार ने यह घोषित कर दिया हो कि उसमें ऐसा नैतिक पतन अन्तर्भूत है जो उसे सदस्य होने के लिये अयोग्य कर देता है छः महीने से अधिक के कारावास का अथवा निर्वासन के दंड का आदेश हुआ हो, अथवा कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा १०९ अथवा ११० के अधीन की गई कार्यवाही के परिणाम-स्वरूप उसे सद्व्यवहार बनाये रखने के लिये प्रतिभूति देने की आज्ञा दी गई हो, और उक्त दंडादेश अथवा आज्ञा बाद में पलट न दी गई हो अथवा उसे उससे पूर्णतया विमुक्ति (रेमिशन) न दे दी गई हो, अथवा अपराध को क्षमा न कर दिया गया हो।"

अध्यक्ष महोदय, यह मेरा संशोधन बहुत ही पूर्ण है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री जयराम वर्मा---अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भावनायें यहां पर व्यक्त की थीं उनका सबका खयाल रखते हुये यह जो संशोधन उपस्थित किया गया है इसमें उन सबका समावेश कर दिया गया है। मैं इसे स्वीकार करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदन भी इसको स्वीकार करेगा और बाकी संशोधन जो माननीय सदस्यों ने उपस्थित किये हैं उनको वह वापस ले लेंगे।

श्री हीरालाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने पेश किया था वह बहुत ही आवश्यकीय है क्योंकि 'अपराध' के पहले 'नैतिक' शब्द जोड़ने से इतना बड़ा लम्बा संशोधन जो मंत्री जी स्वीकार करने जा रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। उस नैतिक शब्द के अन्दर वह तमाम बातें जो लोगों को चुनाव से वंचित कर सकती हैं वह सभी आ जाती हैं और राजनीतिक कारणों से जिन लोगों को सजायें हो जाती हैं वे भी इस परिधि में नहीं आते हैं। इसलिये मैं जरूरी समझता हूं कि अपराध के पहले नैतिक शब्द जरूर जोड़ दिया जाय।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मुझे अधिक नहीं कहना है। मेरा केवल निवेदन यह है कि मेरे दो संशोधन हैं। उनमें से "घृणित" वाला तो मैं वापस लेता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं लेकिन जो दूसरा है उसको मैं फिर प्रेस करना चाहता हूं । किसी राजनीतिक कारण से किसी को २ साल की सजा हो जाना कोई मुश्किल बात नहीं है । अभी आप देख सकते हैं कि एक आदमी को किसी सजा के बिना ही और कानून के बिना ही २ साल ३ महीने तक यों ही जेल में रखा गया । तो जब इस प्रकार से सरकार किसी को भी जेल में रख सकती है तो दो साल की मियाद तक किसी को भी रखकर वह यह कह सकती है कि इतने समय तक वह जेल में रहा है इसलिये वह अयोग्य है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको फिर सोचा जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन संख्या ३९ वापस लिया गया ।)

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--मैं आपकी आज्ञा से ४० कक वाले अपने संशोधन को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (क) की दूसरी पंक्ति में शब्द "न्यायालय द्वारा किसी" तथा शब्द "अपराध" के बीच शब्द "नैतिक" जोड़ दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (क) की पंक्ति दो में शब्द "द्वारा" तथा शब्द "किसी" के बीच में शब्द "राजनीतिक कारणों के अतिरिक्त" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (क) की पंक्ति २ तथा ३ में शब्द "दो वर्ष या अधिक कारावास दंड" के स्थान पर अंक तथा शब्द "६ मास या अधिक का कारावास या १०० रुपये आर्थिक दंड" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(क) उसे एसेन्शल सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४६ या यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ के अन्तर्गत दी गई किसी आज्ञा का उल्लंघन करने में, अथवा किसी ऐसे अपराध में जिसके विषय में राज्य सरकार ने यह घोषित कर दिया हो कि उसमें ऐसा नैतिक पतन अन्तर्भूत है जो उसे सदस्य होने के अयोग्य कर देता है, छः महीने से अधिक के कारावास का अथवा निर्वासन के दंड का आदेश हुआ हो, अथवा कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा १०९ अथवा ११० के अधीन की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप उसे सद्व्यवहार बनाये रखने के लिये प्रतिभूति देने की आज्ञा दी गई हो, और उक्त दंडादेश अथवा आज्ञा बाद में पलट न दी गई हो अथवा उसे उससे पूर्णतया विमुक्ति (रेमिशन) न दे दी गई हो, अथवा अपराध को क्षमा न कर दिया गया हो" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

***श्री मोतीलाल अवस्थी**--अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (घ) की पहली पंक्ति में शब्द "जिला परिषद्" तथा शब्द "के बीच ग्राम या ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत या सहकारी समिति या क्षेत्र समिति" बढ़ा दिया जावे तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "राजद्रोह" के स्थान पर "देशद्रोह" कर दिया जावे ।

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन बहुत स्पष्ट-सा है । इसके छपने में थोड़ी-सी गलती हो गयी है । इसमें यह हो जायगा कि वह सरकार या जिला परिषद् के ग्राम या ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत या सहकारी समिति या क्षेत्र समिति के अधीन किसी पद पर रहा हो और उसे भ्रष्टाचार या देशद्रोह के कारण पदच्युत कर दिया गया हो, सिवाय उस दशा के जब उसके पदच्युत किये जाने के समय से पांच वर्ष बीत चुके हों । मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, इसमें जो रखा गया है.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि १३ (घ) के और संशोधन भी उपस्थित किये जांय तब आप सब का एक साथ उत्तर दें।

श्री जयराम वर्मा—बहुत अच्छा।

*श्री प्रतापसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (घ) में शब्द "जिला परिषद्" तथा शब्द "के अधीन" के बीच में शब्द "या ग्राम सभा, न्याय पंचायत एवं सहकारी समिति" रख दिये जांय।

अध्यक्ष महोदय, इस खंड का मंशा यह है कि जो सरकार या जिला परिषद् के अधीन किसी पद पर रहा हो उसने भ्रष्टाचार या राजद्रोह किया हो, उसके कारण पदच्युत हुआ हो, सिवाय उस दशा के जब उसके पदच्युत किये जाने के समय से पांच वर्ष बीत चुके हों—तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जो इस उपखंड की मंशा है वह पूरी तरह से पूरी हो, गांव के स्तर पर गांव सभा के सभापति का पद भी महत्वपूर्ण होता है। न्याय पंचायतों के हाथ में सारी न्याय व्यवस्था होती है और नियोजन के युग में ग्राम स्तर पर सहकारी समितियों आदि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिये मैंने यह आवश्यक समझा कि इन तीनों का समावेश भी इसमें कर दिया जाय और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे मानेंगे।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (घ) की तीसरी पंक्ति के शब्द "सिवाय" से ले कर "हों" तक के शब्द निकाल दिये जांय।

श्रीमन्, मूल अधिनियम में यह धारा इस प्रकार है:—"वह सरकार या जिला परिषद् के अधीन किसी पद पर रहा हो और उसे भ्रष्टाचार या राजद्रोह के कारण पदच्युत कर दिया गया हो, सिवाय उस दशा के जब उसके पदच्युत किये जाने के समय से पांच वर्ष बीत चुके हों।" श्रीमन्, मेरे संशोधन को मान लेने से वह इस रूप में हो जायेगा—"वह सरकार या जिला परिषद् के अधीन किसी पद पर रहा हो और उसे भ्रष्टाचार या राजद्रोह के कारण पदच्युत कर दिया गया हो।" मेरे इस संशोधन को रखने का मतलब यह है कि क्या ऐसा व्यक्ति जो किसी भ्रष्टाचार या राजद्रोह के कारण पदच्युत किया गया हो, उसका आचरण ५ साल के बाद ठीक हो जायेगा? क्या फिर उसमें ५ साल के बाद आचरण संबंधी कोई खराबी नहीं रहेगी? क्या यह कहा जा सकता है कि उसके बाद उसका आचरण ठीक ही रहेगा?

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि क्या इससे उन व्यक्तियों को खुली छूट नहीं मिल जायेगी? तीसरी बात मुझे यह कहना है कि बहुत से कर्मचारी ऐसा करते हैं कि जब वे देखते हैं कि किसी अभियोग में उनकी नौकरी जाने वाली होती है, तो वे पहले से इस्तीफा दे देते हैं। उसके लिये इसमें कोई प्राविजन नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन उपयुक्त है और इसे सरकार को मान लेना चाहिये।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, खंड १३ (घ) की मंशा यह है कि जो व्यक्ति सरकार या जिला परिषद् के किसी पद पर रहा हो और वह भ्रष्टाचार या राजद्रोह के कारण पदच्युत किया गया हो, तो उसे क्षेत्र समिति के लिये अयोग्य समझा जायेगा.....

श्री मोतीलाल अवस्थी—कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयराम वर्मा---जो संशोधन पेश किये गये हैं, पहले वाले दो, उनकी मंशा यह है कि उनमें जिला परिषद् के पश्चात कुछ और संस्थाओं को भी जोड़ दिया जाय। श्रीमन्, इस संशोधन को मान लेने से तो कठिनाई और बढ़ जाती है। इसके बाद भी और संस्थायें रह जाती हैं जैसे टाऊन एरिया है, नोटिफाइड एरिया है, म्युनिसिपल बोर्ड है, नगर महापालिका वगैरह हैं। इसलिये मैं इन संशोधनों के पक्ष में नहीं हूं और मैं इनका विरोध करता हूं। आप एक और कठिनाई क्यों पैदा कर रहे हैं, इतनी सारी संस्थायें इसमें छूट जाती हैं।

अब माननीय रघुवीर सिंह ने जो संशोधन किया है उसका अर्थ यह है कि अगर भ्रष्टाचार और राजद्रोह के कारण कोई पदच्युत होता है तो मान लिया जाय कि वह कभी ठीक ही नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी निराशा की भावना नहीं होनी चाहिये कि आदमी से कोई गलती हो जाय तो उसका सुधार होगा ही नहीं। इसलिये यह मान कर कि उसका सुधार हो सकता है यह ५ वर्ष की अवधि रख दी गयी है कि उसके बाद उसकी अयोग्यता हट सकती है, इसीलिये यह प्राविधान किया गया है। मैं आशा करता हूं कि सदन इन संशोधनों को अस्वीकार कर देगा।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**---श्रीमन्, मैंने श्री जयराम वर्मा, उपमंत्री, का भाषण सुना तो समझ में नहीं आया कि वह खानापूरी के लिये कहते हैं या तर्क के लिये कहते हैं। उन्होंने कहा है कि इनको ले लेते हैं तो और भी छूट जाते हैं, यानी अगर हमारी गलती रह गयी है तो उसे ढकी रहने दो। उप-धारा १२ में एक गलती पकड़ी गयी। आप मौजूद थे, और तत्कालीन संशोधन सोच नहीं पाये। यह गलती पीछे से कितनी अखरती है। आप ही अपने अधिकार से उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसमें जिला परिषद् के अधीन किसी पद पर रहा हो .....

श्री अध्यक्ष---इसमें मैं संशोधन नहीं करूंगा। यदि आप संशोधन नहीं रखेंगे तो स्वयं मैं कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---वह आपकी सहायता के पात्र नहीं हैं। इसमें जो आप चाहते हैं कि जो सरकार या जिला परिषद् के अधीन हों और उन्होंने दमन किये हों, भ्रष्टाचार और राजद्रोह किया हो वे फिर मेम्बर बन जांय, तो यह मनोकल्पना विचित्र दिखलाई पड़ती है। इसमें ग्राम पंचायत के मंत्री उसी जगह मंत्री होते हैं और वह हजारों रुपया निकाल कर सरकार के चंगुल से निकल जाते हैं क्या उनको भी चाहेंगे कि बाकायदा मेम्बर हो जांय? इसी क्षेत्र समिति में जो बहुत से विकास अधिकारी होंगे वही क्षेत्र संचालक भी होंगे। अगर वह लाखों रुपये का गबन करेंगे जिस पर आप उनको लम्बी-लम्बी सजायें भी करेंगे फिर भी उनकी अनर्हता नहीं करना चाहें तो यह कहां तक उचित होगा? आपको इसे बढ़ाने में दिक्कत क्या है? यह बढ़ा देने से यही होगा कि चन्द एक परसेंट आदमी जो इसमें निकल आवें वह अनर्हता में आ जांय। तो मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को क्या दिक्कत है। यह तो बड़ा उचित संशोधन रखा गया है कि सरकार या जिला परिषद् में किसी पद पर कोई रहता हो तो वह समितियां मैंने रख दीं जिनके अन्तर्गत सचमुच ही इसमें ऐसे आदमी घुस जायेंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार या राजद्रोह भी किया हो। तो जो सफाई दी गयी वह किसी आधार पर उचित नहीं है। वह तो कहते हैं कि मैं कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं, चाहे वह उचित हो या सही हो, और वह कान बन्द कर लेते हैं....

श्री अध्यक्ष---उन्होंने इसे अनुचित नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अड़चन पैदा हो जायगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---जहां तक अड़चन पैदा होने की बात है, अंतरिम जिला परिषदों का काम तो चल ही रहा था। अब जब मंत्री जी यह विधेयक लाये इसमें चुनाव की क्रिया है और बहुत-सी बातें हैं इन सबसे अड़चनें ही पैदा होंगी। लेकिन जब हम कोई सुधार की बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

कहते हैं तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता है और अड़चन की बात कही जाती है। इस समय माननीय उपमंत्री और मंत्री जी कुछ सलाह कर रहे हैं। मुझे आशा है कि शायद वह इसको मान लें। कभी-कभी ज्ञान पिछड़ कर आता है। मैं समझता हूं कि अगर रामेश्वर जी इस संशोधन को लाये होते तो शायद यह जल्दी स्वीकार हो जाता। मैं रामेश्वर जी से भी कहूंगा कि जब कभी कोई उचित बात हुआ करे तब मंत्री जी से हां जरूर भर दिया करें, क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि सरकार कभी भी विरोधी पक्ष की बात नहीं मानती....

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---मान्यवर, अगर इसकी ड्राफ्टिंग ठीक से हो जाय तो फिर उसूलन इसको मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर ठीक से ड्राफ्ट होकर आ जाय तो इसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---इस संशोधन से उनका अर्थ यही है कि जो कोई भी सदस्य अनैतिक हों वह न आने पायें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसमें टाउन एरिया वगैरह भी जोड़ दिया जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---तो इसको मैं अभी पोस्टपोन कर देता हूं और आगे के खंड शुरू हो जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी---देर आयद दुरुस्त आयद।

श्री अध्यक्ष---आप इसमें दो-एक शब्द तारीफ के उनके लिये कह ही सकते थे।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैंने पहले ही "देर आयद दुरुस्त आयद" कह दिया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म ही हमारे लिये सौभाग्य की बात है, धन्यवाद नहीं।

***श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)**---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (ङ) की प्रथम पंक्ति में शब्द "निधि-व्यवसायी" के स्थान पर शब्द "विधि व्यवसायी" रख दिया जाय।

यह शब्द गलत छप गया है। केवल शाब्दिक संशोधन है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---अब एक बज चुका है इसलिये राय लेना मुश्किल है।

श्री प्रतापसिंह---मान्यवर, ड्राफ्टिंग के बारे में अभी जो कहा गया, मैं समझता हूं कि इसमें ड्राफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें "जिला परिषद् के अधीन" तो रहेगा ही और टाउन एरिया से या और जो हमने तीन संस्थायें बढ़ाई हैं उससे पूरा हो सकता है...

श्री अध्यक्ष---टाउन एरिया जिला परिषद् के अधीन नहीं आती इसलिये बात स्पष्ट तो होना ही चाहिये। मंत्री जी इसको और व्यापक बनाना चाहते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लोकल बाडीज की और जो संस्थायें रह गई हों उनकी भी लिस्ट बना लीजिये। मतलब यही है कि शुद्ध आदमी ही आने चाहिये, अशुद्ध नहीं।

अभी इसपर राय तो ली नहीं जायगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं कि खंड १३ में नया उप-खंड (च) इस प्रकार बढ़ा दिया जाय :---

"(च) कुष्ठ रोगी अथवा आजीवन साथ रहने वाली ऐसी बीमारी-ग्रस्त व्यक्ति जिसकी छूत से दूसरों को संसर्गज रोग ग्रस्त होने का भय हो।"

मान्यवर, मैं जो संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं वह इसलिये कि जितनी संस्थायें हैं या दूसरे जो चुनाव होते हैं उनमें हर जगह यह व्यवस्था की गई है कि ऐसी बीमारी वाले जिसकी छूत से दूसरों को भी प्रभावित होने का खतरा हो, ऐसी संस्थाओं के चुनाव से अलग रखे गये हैं।

मैं समझता हूं कि भूल से ही यह बात नहीं आ सकी है। इसलिये इस पर ज्यादा न कह कर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो चीज छूट गयी है माननीय मंत्री जी उसको सुधार लेंगे।

श्री जयराम वर्मा---अध्यक्ष महोदय, जहां तक रामेश्वर प्रसाद जी के संशोधन का सम्बन्ध है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। इसके अतिरिक्त नागेश्वर प्रसाद जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसकी भावना से तो सहमत हूं लेकिन उसके शब्दों में कुछ हेर-फेर करना चाहता हूं जिससे उसकी भाषा कुछ निश्चित-सी हो जाय।

श्री अध्यक्ष---इसको भी मैं पोस्टपोन किये देता हूं। आप उसका रिड्राफ्टिंग करा कर, स्वीकार करा लीजिये।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---माननीय मंत्री जी दोनों को बाद में लेना चाहते हैं या कुष्ठ रोग वाले संशोधन का ही रिड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष---बहुत से संशोधन रिड्राफ्ट होने हैं और अभी एक घंटे तक उन पर राय नहीं ली जानी है। इसलिये रिड्राफ्ट हो जाने के बाद उनको ले लिया जायगा। बाद को सब संशोधनों पर राय ले ली जायगी।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मेरा ४६ (क) का संशोधन रह गया।

श्री अध्यक्ष---आपको तो पूरे खंड का विरोध करना है।

श्री देवनारायण भारतीय---माननीय मंत्री जी जो संशोधन लाने वाले हैं, मुझको उसके बाद वक्त मिल जायगा?

श्री अध्यक्ष---जी हां, उस वक्त आप विरोध कर दीजिये।

(इस समय १ बज कर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री जगदीश शरण अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

खंड १४

सदस्यता या अनर्हता के सम्बन्ध में विवाद।

१४---(१) यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (१), (२) अथवा (५) से (७) तक में से किसी के अधीन क्षेत्र समिति का सदस्य है अथवा नहीं, तो वह विवाद राज्य सरकार को नियत रीति से अभिदिष्ट कर दिया जायगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा बंधनकारी होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(२) यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति धारा ६ के अधीन क्षेत्र समिति का विधितः चुना गया या अनुमेलित सदस्य है अथवा नहीं या वह क्षेत्र समिति का सदस्य होने के लिये पात्र है अथवा नहीं, तो वह मामला न्यायाधीश को नियत रीति से अभिदिष्ट कर दिया जायगा और उस पर उसका निर्णय अन्तिम तथा बंधनकारी होगा

(३) यदि न्यायाधीश यह निर्णय करे कि सदस्य विधितः नहीं चुना गया था या नहीं अनुमेलित किया गया था, या वह क्षेत्र समिति का सदस्य रहने का पात्र नहीं रह गया है तो वह सदस्य उस निर्णय के दिनांक से क्षेत्र समिति का सदस्य न रहेगा ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "न्यायालय" तथा चौथी पंक्ति में "राज्य सरकार" के स्थान पर "उच्च न्यायालय" कर दिया जाय, इस प्रकार का मेरा यह संशोधन है ।

इस संशोधन को रखने से यह खंड इस प्रकार हो जायगा—

"यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (१), (२) अथवा (५) से (७) तक में से किसी के अधीन क्षेत्र समिति का सदस्य है अथवा नहीं, तो वह विवाद न्यायालय को नियत रीति से अभिदिष्ट कर दिया जायगा और उस पर उच्च न्यायालय का निर्णय अन्तिम तथा बंधनकारी होगा ।"

श्रीमन्, यद्यपि इसमें यह बताया गया है कि इन अनर्हताओं के सम्बन्ध में जो विवाद उठेगा तो वह विवाद राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा और वह अपने नियमों के अनुसार फैसला करेगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि यह सरकार के पास न भेजा जाय । क्योंकि सरकार के पास इस प्रकार का विवाद भेजना मैं समझता हूं कि अप्रजातांत्रिक होगा ।

क्षेत्र समितियों का संघटन तथा पुनस्संघटन के सम्बन्ध में खंड १० के उपखंड (२) में है—किसी संघटक गांव सभा के प्रधान के या खंड में स्थित किसी टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन अथवा नोटिफाइड एरिया कमेटी के प्रेसीडेन्ट के पद की या किसी खंड से जिला परिषद् के सदस्य के स्थान की रिक्ति के कारण इस सम्बन्ध में कोई विवाद उठे कि फलां निर्वाचित जिला परिषद् का सदस्य था या नहीं, उन सभी का फैसला उसी प्रकार से किसी न्यायालय में हो जाना उचित होगा जिस प्रकार आगे आने वाले उपखंड (२) और (३) में केसेज न्यायालय के सुपुर्द किये जा रहे हैं । क्योंकि ये सभी बातें ऐसी हैं जो कि विवादग्रस्त हो सकती हैं और दोनों पक्ष के जाने के बाद ही उसका फैसला हो सकता है । मैंने कई मौके पर इस बात को पहले भी कहा है कि सरकारी अधिकारी दूसरे पक्ष के विवादों पर मनमाने ढंग से फैसला करते हैं । यदि इस प्रकार का कोई विवाद किसी न्यायालय में जाता है तो उनको पूर्णरूप से मौका मिलना चाहिये ताकि वादी और प्रतिवादी अपने-अपने तर्क को उनके सामने रख सकें । ऐसी हालत में जो हमारा संशोधन है कि "राज्य सरकार" की जगह "न्यायालय" रखा जाय, यह उचित है और इसे सरकार स्वीकार कर ले तो इससे बहुत सुधार हो जायगा । आज सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह अपने हाथ में यह ताकत लेकर निरंकुश तरीके से कार्यवाही करेगी । जहां तक सरकार के अधिकार लेने की बात है, उनके प्रतिवेदक प्रस्तुत वाद का फैसला किये जाने के लिये उसे राज्य अधिकारी के पास भेजेंगे और राज्य कर्मचारी उसका फैसला अपने दफ्तर में बैठ कर करेंगे जिससे उसका ठीक फैसला नहीं हो पायेगा । इसलिये उसकी खुली जांच न्यायालय द्वारा होनी चाहिये । आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपने हाथ में अधिकार न लेकर न्यायालय के जरिये उसका फैसला करावे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामेश्वरप्रसाद--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री मोतीलाल अवस्थी जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अवस्थी जी के प्रस्ताव से यह जाहिर है कि अगर कोई विवाद हो कि फलां-फलां कटेगरी के सदस्य उस क्षेत्र के सदस्य हैं या नहीं तो उस मामले को किसी न्यायालय में रेफर किया जाय। उसके बाद उसे उच्च न्यायालय में भेजने का भी जिक्र किया गया है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक जैसा कि अवस्थी जी चाहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि जिला परिषदों में जल्दी से जल्दी लागू हो जाय और लागू हो करके जनता के अमल में आ जाय। फिर यह जो विधेयक है उसके रास्ते में ऐसे-ऐसे साधारण तर्क लाकर के बाधायें उपस्थित कीं जांय, मेरे खयाल से यह ठीक नहीं है। मेरा खयाल है कि अगर इस सदन के किसी सदस्य को इस सम्बन्ध में न्यायालय को जाने का अधिकार दे दिया जाय कि कोई विधान सभा का सदस्य या लोक सभा का सदस्य उस क्षेत्र में रहता है या नहीं, वहां से इसका फैसला करावे, तो उससे बड़ी दिक्कत पैदा हो जायगी। अगर टाउन एरिया के सदस्य या किसी गांव के प्रधान के लिये ऐसी चीज पास हो जाती है कि वे अदालतों में जा सकते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि क्षेत्र समिति का संगठन नहीं हो सकेगा और वे अदालतों में जाकर स्टे आर्डर ले आवेंगे। श्रीमन्, आजकल तो स्टे आर्डर की धूम मची हुई है। अगर इस तरह से स्टे आर्डर आते रहे तो महीनों लग जायेंगे अदालतों से फैसला होने में और उच्च न्यायालय जाने पर तो और भी देर हो जायगी। तो जिस आइडिया से यह बनाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि उसमें बहुत अर्सा लग जायगा, कई महीने हो जायेंगे तथा क्षेत्र समितियों का संगठन लटका पड़ा रहेगा और वह हो नहीं पायेंगे और भी बहुत-सी दिक्कतें पैदा हो जायेंगी।

अवस्थी जी स्वयं इस बात को देखें कि अगर सरकार इस शक्ति को अपने अधिकार में ले रही है तो उससे किसी तरह की दिक्कत नहीं पैदा होगी। अगर कोई विवाद किसी व्यक्ति के बारे में किसी स्थिति में पैदा हो तो सिर्फ यह कि वह मामला राज्य सरकार को रेफर हो जाएगा और राज्य सरकार उस पर अपना फैसला दे देगी। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार आउट-राइट बिना किसी बात को सोचे समझे फैसला दे देगी, बल्कि नीचे से जो बात आयेगी उसको देखने के बाद और विचार करने के बाद जो उचित फैसला होगा, वह देगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं कोई बदनियती हो सकती हो। क्षेत्र समिति का सदस्य जिसकी सदस्यता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके बारे में अवस्थी जी इतने चिन्तित क्यों हैं कि राज्य सरकार इतनी बड़ी बदनियती कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तो फैसला करेगी नहीं बल्कि कोई कर्मचारी करेगा। तो न्यायालय का न्यायाधीश भी तो राज्य सरकार का कर्मचारी है, वह भी तो राज्य से वेतन पाता है, वह भी राज्य का सर्वेन्ट है। इस झगड़े में मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि काम सुचारु रूप से चलना चाहिये, कुछ इधर से सबूत हों, कुछ उधर से सबूत हों तो उससे शीघ्रता नहीं हो सकती।

उन्होंने एक संशोधन रखा, मंत्री जी उसके शब्दों से सहमत नहीं थे, लेकिन भावना से सहमत थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई उचित बात वह रखें और उसको न माना जाय। यह संशोधन तो जिनका अवस्थी जी हित चाहते हैं उनके अहित में ही होगा, इसलिये वह इसको वापस ले लें तो अच्छा है।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह--मान्यवर, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि कभी अवस्थी जी के संशोधन का भी मैं समर्थन करता हूं और सौभाग्यवश वह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे माननीय दोस्त जो अभी भाषण दे रहे थे, वह गंभीरता से विचार करें कि जो उनको स्टे आर्डर से आपत्ति है तो क्या सरकार स्टे आर्डर नहीं दे सकती।

श्रीमन्, उनका मतलब यह है कि धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (१), (२), (५), (६) और (७) इनके निर्णय के लिये जितने मामलात हैं वह सरकार के पास भेजें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रतापसिंह]

बकिया बचता क्या है ? नं० ३ और नं० ४। मान्यवर, खंड ६(१) में प्रधान हैं और ६(२) में चेयरमैन है नोटीफाइड एरियाज के और टाउन एरियाज के प्रेसीडेन्ट हैं। (५) में जिला परिषद् के मेम्बर हैं। (६) में सदस्य विधान सभा और लोकसभा और (७) में सदस्य कौंसिल आफ स्टेट और स्टेट लेजिस्लेटिव कौंसिल के। जहां तक किसी विधान सभा के सदस्य के क्षेत्र का प्रश्न है, यह हो सकता है कि उपमंत्री महोदय यह कहें कि इसमें अदालत के फैसले की क्या जरूरत है लेकिन जब काउन्सिल आफ स्टेट और लेजिस्लेटिव काउन्सिल के मेम्बरों के रेजीडेन्स का सवाल होगा तो रेजीडेन्स क्या माना जायगा ? सिर्फ एक मकान, एक झोपड़ी बना कर किसी गांव में रख दी जाय, राज्य सभा के सदस्य या विधान परिषद् के सदस्य केवल एक झोपड़ी रख दें और उनका वह क्षेत्र हो गया कोई ऐसी परिस्थिति आये तो रेजीडेंस के माने क्या हैं ? किस जगह होनी चाहिये ? अगर डिस्ट्रिक्ट जज ही इसका फैसला कर देगा तो कौन सी आपत्ति हो जायेगी ? या तो मंत्री जी यह कहें हम कोई फैसला डिस्ट्रिक्ट जज के पास नहीं भेजेंगे हर चीज सरकार तय करेगी और वह अन्तिम होगा। जब डिस्ट्रिक्ट जज के पास यह मसला जा सकता है तो अन्तर इतना है कि वह कौन-सी समस्यायें हैं जो सरकार के पास आवें और कौन सी डिस्ट्रिक्ट जज के पास जांय। तो मैंने यह समझा इसमें बहुत सी ऐसी जगहें हैं कि चिंता नहीं है। आदमी प्रधान है, चेयरमैन नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया है या नहीं, एम० एल० ए० है या नहीं यह न डिस्ट्रिक्ट जज ही इस पर कुछ फैसला दे सकता है और न सरकार ही दे सकती है। लिहाजा इस पर हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन जो चीज मोतीलाल अवस्थी जी के दिमाग में खटकती है, क्योंकि इन दफाओं में तो कोई ऐसी चीज नहीं है, सवाल यह है रेजीडेंस क्या होगा ? सिर्फ दफा ७ को मंत्री जी मुझे पढ़ाने की चेष्टा कर रहे थे मैं कहूंगा कि वह भी देख लें.....

श्री विचित्रनारायण शर्मा—पढ़ा हुआ तोता क्या पढ़ेगा ?

श्री अवधेशप्रतापसिंह—यह तो आप अपने लिये कह रहे हैं, क्योंकि आप पुराने तोते हैं। मैं तो नये उपमंत्री जी के लिये कह रहा हूं। माननीय अवस्थी जी की जो शंका है वह उचित है उसको अगर डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज दिया जाय तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। आप ही देख लें, अधिष्ठाता महोदय, आखिर चेयरमैन के लिये नोटीफिकेशन होता है, एम० एल० ए० के लिये गजट में नोटिफिकेशन होता है, प्रेसीडेंट नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया के लिये अपनी जगह पर नोटिफिकेशन होता है, कांस्टीट्युएंसी कहां है इसका डीलिमिटेशन हो चुका है, होता रहता है। महज एक बात यह है कि अपर हाउस के मेम्बर्स का रेजीडेंस कहां हो सकता है ? मैं तो कहूंगा कि दफा ७, अगर उसको सरकार मान ले कि वह डिस्ट्रिक्ट जज के पास निर्णय के लिये जाय तो विरोधी दल को भी कोई शिकायत नहीं होगी। केवल एक दफा है। उसूलन जब कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास कुछ फैसले जा रहे हैं तो उसको मान लेने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं इसको भी रोक दिया जाय और मंत्री जी इस पर विचार कर लें। अगर अभी दफा ७ को छोड़ दें तो इस बीच में मैं कोशिश करूंगा कि मोतीलाल अवस्थी जी मान जांय, जो अक्सर नहीं माना करते हैं और मोती लाल अवस्थी जी की शिकायत भी दूर हो जायगी। इन शब्दों के साथ मैं मोती लाल अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री जयराम वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, यह खंड बिल्कुल स्पष्ट है और मुझे फिर यह शिकायत रह गई कि अवधेश प्रताप सिंह जी ने इसको पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा होता तो कभी ऐसा एतराज नहीं करते।

इस खण्ड के उपखण्ड (१) में यह व्यवस्था है कि अगर इस तथ्य के बारे में आपत्ति पैदा हो कि कोई व्यक्ति यदि १, २ और ५ से ७ तक में "से किसी के अधीन" सदस्य है या नहीं तो यह प्रश्न राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा। लेकिन अगर यह प्रश्न पैदा

हो जायगा कि कोई विधितः चुना हुआ या अनुमेलित सदस्य है या नहीं या उसकी अनर्हता का प्रश्न पैदा हो जाय तो वह प्रश्न न्यायाधीश को अभिदिष्ट किया जायगा और उसका फैसला उस बारे में अन्तिम होगा। अगर मान लीजिये इस फैक्ट के बारे में कोई सवाल पैदा हो जाय इस प्रकार का कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी किसी क्षेत्रीय समिति के सदस्य हैं या नहीं या इनके निर्वाचन क्षेत्र में उस खण्ड का कोई भाग सम्मिलित है या नहीं तो यह बड़ा आसान सा मामला है फैसला करने का और यह आसानी से निर्णीत हो सकता है। अगर यह हाई कोर्ट के फैसले के लिये जायगा या सुप्रीम कोर्ट को जायगा कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी के क्षेत्र में उस खण्ड का कोई भाग आता है या नहीं या किसी अन्य राज्य सभा या विधान सभा के मेम्बर के इस प्रकार के मामले को ले जाया जाय कि वह खण्ड उनके क्षेत्र में आता है या नहीं और उच्च न्यायालय फैसला करे तब तो बड़ी मुश्किल है। अगर कोई वैधानिक मामला पैदा होता है कि कोई सदस्य अनर्ह हो गया है या नहीं तो उसका मामला तो न्यायालय के अभिदिष्ट किया ही जायगा, लेकिन फैक्ट्स वाले मामलों को भी हाई कोर्ट में भेजा जाय तो बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है।

अब इसके बाद जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पर जो यहां सरकार में बैठे हैं उन पर ही अविश्वास करने लगे तो फिर किसमें विश्वास रह जायगा। इसकी भी हद होनी चाहिये। अगर माननीय सदस्य को अपने में विश्वास हो तो कभी ऐसी बात आयेगी नहीं। यह सदन जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है और उसके प्रतिनिधियों की यह सरकार है और अगर माननीय सदस्य सरकार के फैसले पर इतनी बात भी नहीं छोड़ना चाहते तो क्या कहा जाय। इसमें जो व्यवस्था की गयी है वह बहुत मुनासिब व्यवस्था है और इसमें किसी तरमीम की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिये जो तरमीम पेश की गयी है उसका मैं विरोध करता हूं।

एक सदस्य——अपना संशोधन वापस ले लीजिये।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**——श्रीमन्, एक सज्जन कह रहे हैं कि वापस ले लो, लेकिन वापस लेना तो हम लोग जानते ही नहीं, क्योंकि हम पहले से ही समझदारी से और बहुत समझ-बूझ कर काम करते हैं।

श्रीमन्, इसमें मुख्य प्रश्न यह है कि हम इस सरकार के हाथों में किसी भी हालत में निर्णायक चीजों को सुपुर्द करने के पक्ष में हैं या नहीं। अभी भाई रामेश्वर प्रसाद जी ने कहा कि सरकार पर विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, जैसे कोई ग्रहण लगने के समय कहते हैं दान करो, दान करो, दान करो! श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो तर्क उपस्थित किये हैं उनका उत्तर इसी की धारा ३० में दिया हुआ है:——"धारा ६ तथा १८ के प्रयोजनों के लिये राज्य सभा या राज्य विधान परिषद् के किसी सदस्य का निवासस्थान वही समझा जायगा जो उक्त सदस्य ने राज्य सभा अथवा राज्य विधान परिषद्, जिसका वह सदस्य है, के अधिवेशनों में उपस्थित के निमित्त की गई यात्राओं के संबंध में यात्रिक भत्ता वसूल करने के लिये व्यक्त किया है।" निवास स्थान का स्पष्टीकरण इसी के आगे की धारा में है। मुझे इस आधार पर आपत्ति करने का कारण नहीं था बल्कि मेरा कारण यह है कि क्या हम सरकार को ऐसे निर्णय करने का अधिकार दे सकते हैं। मिसाल के लिये मैं बताऊं कि अभी हाल ही में सहारनपुर की तरफ श्रीमाली जी और भीमसेन जी के उप-चुनाव के नतीजे तीन बार उल्टे-पल्टे और इसी प्रकार से उप-खण्ड ६ और ७ में विधान मंडल के सदस्यों की बात आ सकती है और विधान मंडल के चुनावों के बाद ऐसी पेटीशन्स चलती हैं जिनका निर्णय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पलटता रहता है। इसमें है कि सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। तो सरकार के हाथ में अन्तिम निर्णय करने का अधिकार देना मेरे विचार से उचित नहीं होगा। अपने प्रदेश में एक रेंट कंट्रोल ऐक्ट नाम का कानून है, उसका फैसला कुछ जुडिशल अथारटीज से होता है। उसके बाद एक अपील सरकार के यहां भी होती है।

श्री अधिष्ठाता——अपील नहीं होती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी--अपील न होकर रिवीजन में आता है। मुझे पता चला है कि वास्तविक हालत यह है कि १४-१४ हजार रिवीजन के केसेज सरकार के पास पड़े हैं और वह फैसला नहीं कर पाती है, शायद सौवां हिस्से से भी कम फैसला कर पाती है। तो न्यायिक फैसला सरकार के हाथ में देना उचित नहीं है। चाहे कोई सरल तरीका निकाल लिया जाता, लेकिन होता वह जुडिशल ही, नहीं तो सरकार के हाथ में देने के माने यह होंगे कि सरकार के किसी सेक्रेटरी की फाइलों में पड़ा रहना और दूर रह कर जांच करना और मनमाने तरीके से फैसला कर देना। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग करने की बात हमने पहले भी सोची है और सरकार ने भी उसे माना है। उस आधार पर भी सरकार के हाथ में जुडिशियरी का अधिकार देना खतरे से खाली नहीं है। मुझे आशा है कि सरकार न्याय का फैसला करने की व्यवस्था करेगी और वही हमको स्वीकार होगा।

श्री जयराम वर्मा--श्रीमन् जी, माननीय सदस्य ने कोई नयी बात तो कही नहीं। मैं समझता हूं कि वे समझ जायंगे और इसे वापस ले लेंगे।

श्री अधिष्ठाता--अभी मतदान तो हो नहीं सकेगा, अतः माननीय गेंदासिंह जी अपना संशोधन प्रस्तुत करें

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)--अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्न संशोधन पेश करता हूं :--

"खण्ड १४ के उपखण्ड (१) की तीसरी पंक्ति के शब्द 'नहीं' के आगे का अंश निकाल दिया जाय और उप-खण्ड (२) के आरम्भ में शब्द 'तथा' बढ़ाकर एक ही उपखण्ड बना दिया जाय।"

श्रीमन्, असल में यह दो उपधाराओं में बंटा हुआ है और इनको एक में कर देने से बड़ी सहूलियत हो जाती है और इसके अर्थ भी बदल जाते हैं। अब यह बात कि हम क्यों चाहते हैं वह आप से निवेदन करना चाहता हूं। यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति धारा ६ की उपधारा (१) के खण्ड (१), (२) अथवा (५) से (७) तक में से किसी के अधीन क्षेत्र समिति का सदस्य है अथवा नहीं तो वह विवाद राज्य सरकार को नियत रीति से अभिदिष्ट कर दिया जाय तो और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा। अब मैं चाहता हूं कि "अथवा नहीं" के बाद जो हिस्सा है वह यह बतलाता है कि राज्य सरकार का निर्णय बंधनकारी होगा। यह पूरा निकाल दिया जाय। इसके आगे किस तरह से रहे। वह यह है कि "अथवा नहीं" के आगे "तथा" बढ़ा दिया जाय और एक उप-खण्ड कर दिया जाय। इस तरह से हो जायगा कि "अथवा नहीं" तथा यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति धारा ६ के अधीन क्षेत्र समिति का विधितः चुना गया, आदि-आदि . . . .

श्री अधिष्ठाता--(श्री गेंदासिंह से) इसका परिणाम वही होगा जो मोतीलाल जी अवस्थी के संशोधन का था।

श्री गेंदासिंह--इसमें सब से मुख्य बात यह है कि सरकार के अधीन इस तरह के निर्णय करने का अधिकार न हो। इस तरह के अधिकार देने का अर्थ प्रजातांत्रिक जो अधिकार है, उसमें बाधा डालना होगा और सरकार को इस तरह का अधिकार नहीं लेना चाहिये। कोई भी मंत्री यह सोच सकता है कि जो भी वह सोचता हो, सब के हित की बात वह सोचता है और किसी को भी यह अधिकार हो सकता है कि वह अपने हित की बात सोचे। आखिर कोई भी मंत्री यह नहीं सोच सकता है कि वह अगले चुनाव में हार जाय। मैं सोचता हूं कि ऐसा कोई मंत्री स्वीकार नहीं करेगा। अगर वह सोचता है कि चुनाव में वह न हारे तो वह यह सोचे कि ऐसे काम करे जिससे चुनाव में न हारे। तो अपने देश में जिस तरह की भावना है उससे मैं सोचता हूं कि इस बात से परे रहना न्यायिक मामलों में किसी के अधिकार का फैसला करना उचित नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—(श्री गेंदा सिंह जी से) आप कृपया उस अंश पर प्रकाश डाल दें जो मोतीलाल जी अवस्थी के संशोधन से भिन्न हो।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, असल में मेरी बदकिस्मती है कि उस समय में नहीं था, इसलिये मेरी थोड़ी मजबूरी है कि उसको दुबारा कह जाता हूं। लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसमें दो बातें है कि एक तो सरकार को अधिकार न दिया जाय. . .

श्री अधिष्ठाता—मैं यह जानना चाहूंगा कि मोती लाल जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उससे अगर आपका किसी भी रूप में भिन्न हो तो उसको प्रस्तुत करें तो उचित होगा। यदि वही है तो मुझे सोचना होगा कि प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाय या नहीं।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मेरी ऐसी मजबूरी है कि मैं यह सोचने में असमर्थ हूं कि माननीय अवस्थी जी का जो संशोधन है उसकी शक्ल में है या उससे भिन्न है।

श्री अधिष्ठाता—तो आप मान लें कि यह संशोधन और वह संशोधन भिन्न नहीं हैं। इसलिये इसको आप प्रस्तुत न करें।

***श्री नन्दराम** (जिला प्रतापगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड १४ के उपखण्ड (३) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"सदस्य को उच्च न्यायालय में अपील करने का हक होगा और उच्च न्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा।"

विधेयक में इस प्रकार है —

"(२) यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति धारा ६ के अधीन क्षेत्र समिति का विधितः चुना गया या अनुमेलित सदस्य है अथवा नहीं या वह क्षेत्र समिति का सदस्य होने के लिये पात्र है अथवा नहीं, तो वह मामला न्यायाधीश को नियत रीति से अभिदिष्ट कर दिया जायगा और उस पर उसका निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।

(३) यदि न्यायाधीश यह निर्णय करे कि सदस्य विधितः नहीं चुना गया था या नहीं, अनुमेलित किया गया था, या वह क्षेत्र समिति का सदस्य रहने का पात्र नहीं रह गया है तो वह सदस्य उस निर्णय के दिनांक से क्षेत्र समिति का सदस्य न रहेगा।"

श्री अधिष्ठाता—आप अपना संशोधन कहां जोड़ना चाहते हैं?

श्री नन्दराम—आखिर में।

श्री अधिष्ठाता—कैसे चलता है वह?

श्री नन्दराम—लेकिन उस सदस्य को उच्च न्यायालय में अपील करने का हक होगा और उच्च न्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा।

श्री अधिष्ठाता—'परन्तु' और बढ़ाना चाहते है।

श्री नन्दराम—जी हां, तो मेरा मतलब यह है कि कहीं ऐसा न हो कि लोअर कोर्ट में उसके साथ अन्याय हो जाय या अपनी चाराजोई न कर सके या कोई पक्षपात हो जाय जैसा कि अक्सर देखा गया है कि आजकल की छोटी अदालतें अलग-अलग नहीं हैं और उनमें पक्षपात होता है और ऐसे भी उदाहरण मिले है कि लोगों को न्याय नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में जो मेरा संशोधन है, जो निहायत उचित और व्यावहारिक है, उसको मंत्री जी जरूर स्वीकार करेंगे। यह बात दूसरी है कि मंत्री जी ने निर्णय कर लिया हो कि हम इस विधेयक में कोई संशोधन मानने के लिये तैयार नहीं हैं, जिद करें तो दूसरी बात है, वरना मेरा संशोधन इतना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नन्दराम]

सीधा, सरल और उचित है कि इसको कोई समझदार व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि न माना जाय। इसके न मानने से एक तरह से हम लोग जो वहां सदस्य होंगे, जो कोई भी हों, उनका हक छीना जाता है, उनका गला घोंटा जाता है, बिलकुल पक्षपात किया जाता है। एक तरफ उनके खिलाफ मुकदमा दायर हो गया और फैसला हो गया, तो वह कहीं के नहीं रह जाते हैं, अपने पद से खारिज कर दिये जाते हैं। इसलिये जरूरी है कि उनको उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार हो और उच्च न्यायालय का जो फैसला हो वह अन्तिम हो। उच्च न्यायालय से मतलब है हाई कोर्ट से। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री जयराम वर्मा---माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नन्दराम जी का यह खयाल है कि यह संशोधन इतना उचित है कि इसको तो जरूर मान लिया जायगा। लेकिन उनके संशोधन के औचित्य को उन्हीं के साथी अवस्थी जी ने नहीं माना, क्योंकि जो खण्ड १४ के उपखण्ड (१) और (२) में लिखा हुआ है कि न्यायालय का फैसला अन्तिम और बन्धनकारी होगा तो माननीय अवस्थी जी भी इस बात को मानते हैं कि वह न्यायालय का फैसला अन्तिम और बन्धनकारी हो। फिर उसके बाद में अपील की गुंजाइश कहां रह जाती है? उनके प्रस्ताव के औचित्य को माननीय सदन के किसी सदस्य ने नहीं माना है। इससे यह मालूम होता है कि उनका प्रस्ताव कितना अनुचित है कि एक भी व्यक्ति उसके औचित्य को मानने के लिये तैयार नहीं है। जब हम पहले यह व्यवस्था कर रहे हैं कि उप-खन्ड २ और ३ में न्यायालय के जो निर्णय होंगे वह अन्तिम और बन्धनकारी होंगे तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं रहती है। हां, अगर किसी माननीय सदस्य का विश्वास ही कहीं न टिकता हो किसी न्यायालय पर तो बात दूसरी है। फिर तो उसका विश्वास कहीं भी नहीं रह जायगा। वरना वैसे तो न्यायालय के फैसले में किसी को शक की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। फिर तो यह भी कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय का भी फैसला काफी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जाय। तो इस तरह से उसका अन्त कहाँ पर होगा? इसी वास्ते उप-खन्ड (२) और (१) में यह कह दिया गया कि उस पर उसका निर्णय अन्तिम और बन्धनकारी होगा जिससे कि ये संस्थायें कुछ काम कर सकें, और बेकार की दिक्कत पैदा न हो।

*श्री मोतीलाल अवस्थी---अधिष्ठाता महोदय, मुझे तो आश्चर्य है कि हमारे माननीय मंत्री जी किसी बात को ध्यान से सुनते क्यों नहीं। एक तो वह हर बात में भ्रम पैदा कर देते हैं। आप यह कहते हैं कि दफा (२) में लिखा हुआ है कि उसका निर्णय अन्तिम और बन्धनकारी होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि दफा (२) आप पास कब कर पाये हैं, अभी तो उसका रूप ही निश्चित हो रहा है और मैंने कब कहा कि बन्धनकारी होगा यह मुझे स्वीकार है। मैंने तो दफा १४ (१) के संबंध में संशोधन पेश किया और यह कहा कि सरकार को अधिकार न देकर के न्यायालय को अधिकार दिया जाय और यह दफा (२) के अन्दर है।

अब हमारे साथी नन्द राम जी का जो संशोधन है वह अपने स्थान पर कितना उचित है, यह आप देखें। ऐसी हालत में जब कि यह विवाद उठे कि किसी मामले में विधिवत चुनाव हुआ है या नहीं या विधिवत अनुमेलन हुआ है या नहीं, उसकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सके। इसमें गलती क्या है? थोड़ा-सा समझदारी से काम लें। उनके संशोधन को पढ़ तो लें। उनके संशोधन में है कि उच्च न्यायालय में अपील की जा सके। आप यही नहीं समझ पाये कि उच्च न्यायालय कहते किसको हैं? आपने कह दिया सुप्रीम कोर्ट। एक मंत्री की हैसियत से आप इतना भी ध्यान नहीं देते हैं कि किसी न्यायालय, मुंसिफ या मैजिस्ट्रेट के फैसले की कहीं अगर अपील होती है तो हाईकोर्ट में होती है। तो कौन सी अनर्गल बात हमारे साथी नन्द राम जी ने कह दी? अगर आप जरा-सा भी ध्यान से सुन लें लेकिन आप तो फाइलों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखते जाते हैं, अगल-बगल देखते जाते हैं, हमारी बात को सुनते ही नहीं। मैं तो माननीय अधिष्ठाता महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे मंत्री महोदय को इतनी सुविधा प्रदान करें कि वह हमारी बातों को पूरा-पूरा सुन लें। पूरी बात सुनते नहीं, अर्द्धांश सुनते है और जवाब देने खड़े हो जाते हैं, हाउस का समय बर्बाद करते हैं। नन्दराम जी कहते हैं कि न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील करने का मौका उनको मिले। इसको समझने में आपको इतनी दिक्कत क्या हो रही है? बिना इस बात को समझे कुछ न कुछ जबाब देने के लिये खड़े हो जाते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप जवाब न दीजिये। जबाब आप दीजिए, लेकिन पहले समझकर तब दीजिए, क्योंकि यह आपके स्थान और आपके पद की शोभा के उपयुक्त नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि बाजार में खड़े होकर अनर्गल कोई बात कह दी। यह आपके पद की शोभा के उपयुक्त नहीं था। इसलिये मैंने यह बात कही। अगर दूसरा कोई जैसे माननीय रामेश्वर प्रसाद जी इस बात को कहते तो मैं नहीं कहता, लेकिन जब जयराम वर्मा जी ऐसी बात कहते हैं तो मुझे यह कहना पड़ा।

मंत्री जी मुझे माफ करेंगे। मैंने यह कहा कि जो यह संशोधन है वह अपनी जगह पर उचित है। आप उसको अपने बहुमत से गिरा दें, आप उसको न मानें, अपनी ताकत के बल पर न मानें यह दूसरी बात है, लेकिन उसके औचित्य में कोई अन्तर नहीं है। हर आदमी अपने केस को न्याय की पराकाष्ठा तक ले जाना चाहता है। चुनाव के विवाद में सुप्रीम कोर्ट तक लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं और मंत्री जी भी कर चुके हैं। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिये। एक तो अपीलेट कोर्ट आप ही दे रहे हैं और दूसरा कोर्ट वह बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार का अधिकार सब चाहते हैं। इसमें कोई एतराज की बात नहीं हो सकती है। मैं मंत्री जी से फिर कहूंगा कि आप संशोधन को पढ़ लिया करें और अपनी बुद्धि को खोलकर देख लिया करें तो फिर कोई कठिनाई नहीं मालूम होगी।

*श्री नन्दराम--अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी की बातें सुनीं। मेरा जो संशोधन है उससे मैं यह चाहता था कि जनतन्त्र की रक्षा हो, लेकिन मुझे ऐसा जान पड़ता है मंत्री जी के शब्दों से कि जनतन्त्र नाम की कोई चीज वह रखना नहीं चाहते हैं। जब कोई सदस्य किसी न्यायालय में दूसरे सदस्य के खिलाफ अपील दायर करना चाहता है तो उसमें हो सकता है कि वह सदस्य वहां से संतुष्ट न हो तो उसके लिये यह अनिवार्य होता है कि उस व्यक्ति को एक उच्च से उच्च न्यायालय में अपनी बातें कहने का अधिकार हो। इसके लिये जैसा कि माननीय मोती लाल जी ने कहा, माननीय मंत्री जी के पास कोई उत्तर नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस बिल को प्रवर समिति में न भेजने से यह मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी ने यह तय कर लिया है कि चाहे कोई भी संशोधन रखा जाय चाहे कितना ही उसका समर्थन हो, चाहे कितना भी युक्तियुक्त हो, चाहे कितना भी जनतन्त्र का गला घुटता हो, चाहे कितना भी केन्द्रीकरण होता हो, मगर उसको स्वीकार नहीं किया जायगा। इस विधेयक पर मंत्री जी कोई भी संशोधन मानने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये मैं फिर जोर देकर कहता हूं और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस संशोधन को मान ले। यह बिलकुल एक छोटा सा संशोधन है और बहुत उचित है। यदि माननीय मंत्री जी इसको मानते नहीं हैं तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह मेरे संशोधन को बहुमत से पास करने की कृपा करें।

श्री जयराम वर्मा--अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन माननीय अवस्थी जी ने नाराजी जाहिर की है वह मुझे उचित नहीं जान पड़ती। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके पहले उपखण्ड में यह बात आई है कि उस पर उसका निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा, इस पर कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि वह इससे सहमत है। अगर वह असहमत होते तो वहां पर इस तरह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयराम वर्मा]

का संशोधन पेश कर दिया गया होता। इसलिये मैंने कहा कि वह उचित समझा गया वहां पर संशोधन पेश नहीं किया गया। उपखण्ड (२) पर विचार हो चुका है और उस पर संशोधन नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सदन में, जितने संशोधन पेश किये गये उनके लिये मंजूर हो जाने की बात मैंने नहीं कही है। जब वहां पर हमने कहा है कि उसका निर्णय अन्तिम और बन्धनकारी होगा तो किसी और व्यवस्था की आवश्यकता नहीं समझी गई। इसलिये जो संशोधन पेश किया गया है वह उचित नहीं है और अनावश्यक है।

खंड १५

प्रमुख या उप प्रमुख में अविश्वास का प्रस्ताव

१५—(१) निम्नलिखित उपधाराओं में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार क्षेत्र समिति के प्रमुख या किसी उप-प्रमुख में अविश्वास का प्रस्ताव किया जा सकता है तथा उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

(२) प्रस्ताव करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस, जो नियत प्रपत्र में होगा तथा क्षेत्र समिति के तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई द्वारा हस्ताक्षरकृत होगा, प्रस्तावित प्रस्ताव की एक प्रति के साथ, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से किसी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उस कलेक्टर को दिया जायगा जिसका क्षेत्र समिति पर क्षेत्राधिकार हो।

(३) तदुपरान्त कलेक्टर —

(१) क्षेत्र समिति की एक बैठक उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिये क्षेत्र समिति के कार्यालय में अपने द्वारा निश्चित दिनांक को बुलायेगा और यह दिनांक उपधारा (२) के अधीन उसे नोटिस दिये जाने के दिनांक से तीस दिन के बाद का न होगा; तथा

(२) क्षेत्र समिति के सदस्यों को ऐसी बैठक का कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस ऐसी रीति से देगा जो नियत की जाय।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की गणना करने में वह अवधि निकाल दी जायगी जिसमें इस धारा के अधीन किये गये प्रस्ताव के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी याचिका पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश (यदि कोई हो), प्रचलित रहा हो और वह अतिरिक्त समय भी निकाल दिया जायगा जो, सदस्यों को बैठक के नये नोटिस जारी करने के निमित्त अपेक्षित हो।

(४) ऐसी बैठक की अध्यक्षता उस परगने का परगना अधिकारी करेगा जिसमें क्षेत्र समिति क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि क्षेत्र समिति एक से अधिक परगनों में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो, अथवा परगना अधिकारी किसी कारणवश अध्यक्षता न कर सकता हो, तो कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई वैतनिक अपर या सहायक कलेक्टर उक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(५) इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिये बुलायी गई बैठक स्थगित न की जायगी।

(६) इस धारा के अधीन बुलायी गयी बैठक के प्रारम्भ होते ही, पीठासीन, अधिकारी क्षेत्र समिति को वह प्रस्ताव पढ़कर सुनायेगा जिस पर विचार करने के लिये बैठक बुलायी गयी हो तथा यह घोषित करेगा कि उस पर वादविवाद किया जा सकता है।

(७) इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर विवाद स्थगित न किया जायगा ।

(८) यदि ऐसा वाद-विवाद बैठक आरम्भ होने के लिये निश्चित समय से दो घंटे बीतने के पहले ही समाप्त न हो गया हो, तो वह दो घंटे बीतते ही स्वतः समाप्त हो जायगा। वाद-विवाद की समाप्ति पर अथवा उक्त दो घंटों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, वह प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया जायगा ।

(९) पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव के गुण दोषों पर नहीं बोलेगा और न वह उस पर मत देने का अधिकारी होगा ।

(१०) पीठासीन अधिकारी बैठक समाप्त होने के पश्चात तुरन्त बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति तथा साथ में प्रस्ताव की एक प्रति और उस पर हुए मतदान का परिणाम राज्य सरकार को तथा क्षेत्राधिकारयुक्त जिला परिषद् को भेजेगा ।

(११) यदि प्रस्ताव , क्षेत्र समिति के तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई के समर्थन से पारित हो तो:

(क) पीठासीन अधिकारी उक्त तथ्य का प्रकाशन क्षेत्र समिति के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपकवाकर, तथा गजट में उसे विज्ञाप्ति कराकर भी करायेगा, और

(ख) प्रमुख या उप-प्रमुख जैसी भी दशा हो, उस दिनांक के, जब उक्त नोटिस क्षेत्र समिति के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाया गया हो, अगले दिन से अपने पद पर न रहेगा और उसे रिक्त कर देगा ।

(१२) यदि प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित न हुआ हो अथवा यदि गणपूर्ति न होने के कारण बैठक न हो सकी हो, तो जब तक कि उक्त बैठक के दिनांक से बारह महीने व्यतीत न हो जायं तब तक उसी प्रमुख या उप-प्रमुख में अविश्वास व्यक्त करने वाले किसी अनुवर्ती प्रस्ताव का नोटिस ग्रहण नहीं किया जायगा ।

(१३) इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव का नोटिस प्रमुख या उप प्रमुख के, जैसी भी दशा हो, पद ग्रहण करने के बारह महीने के भीतर ग्रहण नहीं किया जायगा ।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १५ के उपखन्ड (२) की दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में शब्द "की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई द्वारा" के स्थान पर शब्द " के बहुमत से कारणों सहित" रख दिया जाय ।

अधिष्ठाता महोदय , इसको रखने का अभिप्राय यह है कि आजकल आपने देखा होगा कि जो भी किसी भी समिति के अध्यक्ष है वे बड़ी परेशानी के वातावरण में रहते है । हर समय अविश्वास की नंगी तलवार उनके सिर पर लटकती रहती है और हर समय हर किसी भी मेम्बर को खुश करना बड़ा मुश्किल होता है । ऐसी अवस्था में एक तिहाई या एक चौथाई सदस्यों का नाराज होना बड़ी मामूली सी बात है । जब यह काम निकालने की भावना तमाम नागरिकों में है तो अध्यक्ष के लिये मजबूती के साथ अपना काम निभाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है । उसे यह डर लगा रहता है कि जब भी एक तिहाई सदस्य मेरे खिलाफ हो जायंगे उसी समय अविश्वास का प्रस्ताव आ सकेगा, इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि बजाय एक तिहाई के बहुमत रख दिया जाय और सदस्य बहुमत में हों तो अपना अविश्वास का प्रस्ताव रख सकें। लेकिन उसके साथ यह भी रखा गया है कि अविश्वास के प्रस्ताव में कारण भी लिखने होंगे ।

[श्री रामहेतसिंह]

खण्ड १५ के उपखन्ड (६) में आपने लिखा है "इस धारा के अधीन बुलायी गयी बैठक के प्रारम्भ होते ही, पीठासीन अधिकारी क्षेत्र समिति को वह प्रस्ताव पढ़ कर सुनायेगा, जिस पर विचार करने के लिये बैठक बुलायी गयी हो तथा यह घोषित करेगा कि उस पर वाद विवाद किया जा सकता है।" तो उस प्रस्ताव में कारण भी रख दिये जायं कि इन कारणों के कारण यह अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। इसलिये यह संशोधन मैंने पेश किया है ताकि अध्यक्ष ठीक ढंग से काम कर सके और मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

*श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---श्रीमन्, जो संशोधन रामहेत सिंह जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उनका संशोधन इस तरह का है कि बजाय एक तिहाई सदस्यों के अगर बहुमत में सदस्य अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में हों तो लाया जाय। ऐसा न होने से तमाम बवंडर खड़े होंगे। आप जानते हैं कि मेम्बरों का कितना जबरदस्त दबाव अध्यक्ष पर पड़ता है और उसके कारण एक तिहाई सदस्य रोज ही उसके खिलाफ रहेंगे और उसको इस कारण काम करने में बाधा पड़ेगी। अगर माननीय मंत्री जी इसको मान लें तो यह हितकारी होगा और मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको जरूर मान लें।

श्री अधिष्ठाता---(स्वायत्त शासन मंत्री से) आपके संशोधन के दो अंग हैं, एक-एक तिहाई के स्थान पर बहुमत और दूसरा कारणों सहित कृपा करके दोनों को देख लें।

श्री जयराम वर्मा---इसी तरह का एक संशोधन और माननीय रघुवीर सिंह जी का है, अगर वह भी, अधिष्ठाता महोदय पेश हो जाये तो ठीक रहेगा। मैं इकट्ठा जवाब दे दूंगा।

श्री रघुवीरसिंह---मैं पेश नहीं करना चाहता उसे।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, इस संशोधन द्वारा माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उसमें 'एक तिहाई' के स्थान पर शब्द 'बहुमत' रख दिया जाय। मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि बजाय एक तिहाई के उसमें १/२ रख दिया जाये। १/२ के लिये मैं तैयार हूं। मैं समझता हूं अब इस पर कोई विरोध नहीं होगा। यदि माननीय सदस्य अपने संशोधन में इसे स्वीकार कर लेते हैं तो वह मुझे स्वीकार होगा।

श्री रामहेतसिंह---मुझे यह स्वीकार है।

*श्री गेंदासिंह---मैं, श्रीमन्, इस संशोधन का विरोध करता हूं। अगर इसके लिये मैं यह कहूं कि पहले से यह लोग पेशबन्दी कर लेते हैं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। यह बन्धन लगाया जा रहा है कि जब तक आधे लोग अविश्वास के प्रस्ताव पर दस्तखत न कर दें तब तक वह नहीं आ सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले तो माननीय रामहेत सिंह जी ने यह कहा कि हर प्रस्ताव जो आता है वह अपने-अपने हित के लिये और अध्यक्ष को तंग करने के लिये आता है। मैं समझता हूं कि जनता जिन्हें चुन कर अपना सदस्य बनायेगी वह ऐसी गलती नहीं करेंगे कि उनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव रखे और यह उचित भी नहीं है। आखिर हम भी तो विधान सभा के सदस्य हैं, क्या हम कभी अपने हित के लिये अध्यक्ष को तंग करते हैं या अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं?

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, व्यवस्था का एक प्रश्न है। यह जो माननीय गेंदा सिंह जी कह रहे हैं, यह संशोधन तो आगे आने वाला है। आप चाहें तो जो खन्ड १५ के उपखन्ड (२) में संशोधन है उनको भी आ जाने दें। उसके बाद आप विवाद होने दें। इससे समय भी बच जायगा और हम अपनी बात भी एक साथ कह सकेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—आपके सुझाव पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, आपने जो निर्णय दिया, वह ठीक है, किन्तु माननीय उपाध्यक्ष की यह रूलिंग हो चुकी है कि एक खन्ड में जितने भी संशोधन हों, उन्हें एक साथ रखा जा सकता है ताकि उन पर एक साथ विवाद हो जाय और समय की भी बचत हो सके।

श्री अधिष्ठाता—अगर माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर सुना होता तो उनको यह कहने की आवश्यकता न होती। मैंने स्वयं कहा कि वह अवश्य विचारणीय है, लेकिन यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

माननीय गेंदासिंह अपना भाषण जारी रखें।

***श्री गेंदासिंह**—तो श्रीमन्, आपकी आज्ञा हो तो इस संशोधन को रख दूं ?

श्री अधिष्ठाता—अवश्य रख दें।

श्री गेंदासिंह—अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं :

खन्ड १५ के उपखन्ड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "तिहाई" के स्थान पर शब्द "चौथाई" रख दिया जाय।

तो श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो माननीय रामहेत सिंह का दृष्टिकोण है—चुने हुए सदस्यों के प्रति अविश्वास की भावना—उससे वह विचारते हैं कि माननीय अध्यक्ष जो होंगे उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा अगर थोड़े लोगों के दस्तखत से अविश्वास का प्रस्ताव आ सकेगा और मैं माननीय रामहेत सिंह जी और वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि जो आधे से अधिक पर आपने सम्मति दे दी....

श्री जयराम वर्मा—आधे पर।

श्री गेंदासिंह—आधे पर सही। इस विधान सभा में हमको ऐसी सुविधा प्राप्त है कि पांचवां हिस्सा इस विधान सभा की स्ट्रेंथ का खड़ा हो सके तो मिनिस्ट्री के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है, अध्यक्ष के ऊपर भी इसी तरह की व्यवस्था है। अगर इतना बहुमत लाना पड़े अविश्वास के प्रस्ताव के लिये तो मैं समझता हूं कि जितनी जिम्मेदार सरकार है और जितनी जिम्मेदार वह कुर्सी है जहां आप बैठे हुए हैं उससे ज्यादा जिम्मेदार कुर्सी मैं नहीं समझता हूं कि जिला परिषद् के अध्यक्ष और क्षेत्र समिति के अध्यक्ष की है। इसलिये मैं यह जरूरी समझता हूं कि यह आवश्यक ही है कि एक बड़ी भारी तलवार जिसका डर रामहेत सिंह जी को है वह अवश्य लटकती रहे और इस प्रजातंत्र के युग में विरोधी दल की तलवार लटकती रहती है। मनुष्य का स्वभाव है कि पावर मिलने के बाद ऐसे कामों में फंसता है, जैसा कि स्वयं आप कह रहे हैं कि हर मेम्बर अपने स्वार्थ की बात कहलाना चाहता है। तो अध्यक्ष की मजबूती के लिये उसके ऊपर एक खतरा भी होना चाहिये कि अगर वह गलत काम करेगा तो अविश्वास का प्रस्ताव आसानी से आ सकता है इसलिये अव्वल तो ऐसा करने की जरूरत

(इस समय २ बजकर ८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

नहीं पड़ेगी इसलिये एक तिहाई का तो सवाल ही नहीं है। विधेयक में अब उसको बदल करके माननीय वर्मा जी "आधे सदस्य" रख रहे हैं, इससे वह समझते हैं कि उन लोगों की बचत की व्यवस्था हो सकेगी जो प्रजातंत्र के मूल्यों की कम वकअत करते हैं और उनको जरा खौफ कम रहता है पब्लिक ओपीनियन का। एक चौथाई की काफी बड़ी संख्या है अध्यक्ष के ऊपर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये। इसलिये मैं अधिक बहस-मुबाहसा न करके यह समझता हूं कि इस मामले पर सरकार की राय बदलनी चाहिए मंत्री जी को भी राय बदलनी चाहिए और रामहेत सिंह जी भी बदलें और इस अपने संशोधन को वापस लें और एक-तिहाई की जगह पर जो एक चौथाई का संशोधन है उसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि मौके बे मौके वह हम लोगों को आश्वासन भी देते रहते हैं कि विरोधी पक्ष की ओर से अगर कोई सही बात कही जायगी तो उसको मान लेंगे, यह माननीय गेंदासिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है और उसके पक्ष में उन्होंने जो बातें कहीं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, यही कहना चाहता हूं कि विधान सभा में अधिकार हासिल है कि अगर एक बटा पांच सदस्य खड़े हो जाते हैं, लिखकर प्रस्ताव दे देते हैं तो सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव आ जाता है। मैं यह बात नहीं समझ पाया, जैसा कि मंत्री जी ने रामहेत सिंह जी के संशोधन पर कहा कि आधे चाहें तो वह मानने के लिये तैयार हैं, मैं समझता हूं कि वह उचित बात नहीं है। मंत्री जी को उदारतापूर्वक इस बात को मान लेना चाहिये कि जब पार्लियामेन्ट और विधान सभा में सदस्यों को यह अधिकार हासिल है कि एक बटा पांच सदस्य दस्तखत करके दे देते हैं तो अविश्वास का प्रस्ताव आ जाता है तो माननीय गेंदासिंह जी ने एक बटा चार ही रखा है, वह तो कुछ और आगे बढ़ आये हैं। इसलिये मंत्री जी को इसे मान लेना चाहिये, इसमें बदनामी का कोई सवाल नहीं है और कोई चीज बिगड़ने वाली नहीं है। मैं माननीय रामहेतसिंह से भी अपील करूंगा कि वह भी इस पर विचार करें और अपने संशोधन को वापिस ले लें और माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन को स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह इसको स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि संक्षेप में ही उनके भाषण हों क्योंकि बहुत बड़ा विधेयक पास करना है।

***श्री रामलक्षण तिवारी** (जिला बलिया)---मान्यवर, अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में जो चर्चा चल रही है इस संबंध में माननीयगेंदा सिंह जी ने एक बटा चार सदस्यों द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव ला सकने का संशोधन उपस्थित किया है। मैं दुर्भाग्य या सौभाग्य से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अध्यक्ष रह चुका हूं . . . .

श्री नन्दराम---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, इस विषय पर आगे भी और संशोधन हैं इसलिये मेरा निवेदन यह है कि खन्ड १५ पूरा ले लिया जाय तब विवाद हो जाय तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष---यह व्यवस्था तो नहीं है, आपका सुझाव है। इस प्रकार से व्यवस्था के नाम पर माननीय सदस्यों को रोकना अनुचित है। मैंने इस विषय के आगे के दो संशोधनों को लेना चाहा था माननीय सदस्यों को पुकारा भी, लेकिन वे थे नहीं और उसके आगे के संशोधन दूसरे विषय पर हैं, एक प्रकार के संशोधन एक साथ लेने का प्रयास किया गया है।

श्री रामलक्षण तिवारी---मुझे इस बात का अनुभव है कि किस प्रकार से अविश्वास के प्रस्ताव लाये जाते हैं और उसके क्या कारण बनाये जाते हैं। जितने भी वहां पर सदस्य बैठते हैं हर एक का जनता से कुछ न कुछ काम रहता है और कोई न कोई बात लेकर अध्यक्ष के पास रोजमर्रा पहुंचने के लिये उन्हें विवश होना पड़ता है। इसमें उनकी विवशता है परन्तु जहां तक शासन संचालित करने का संबंध है कोई भी अध्यक्ष तमाम सदस्यों की मांगों को पूरा करने में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कभी भी समर्थ नहीं हो पाता। आप केवल अध्यापकों के ट्रान्सफर की ही बात लेलें। एक सदस्य चाहता है कि एक अध्यापक दूर खदेड़ दिया जाय परन्तु दूसरा सदस्य तुरन्त आता है और कहता है कि नहीं साहब, उसका ट्रान्सफर नहीं होना चाहिये। इसमें अगर कुछ खिलाफ पड़ जाय तो सदस्य तुरन्त ही अविश्वास का प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अगर जिला बोर्ड के अध्यक्ष को आपने पूरा पूरा कानून के अनुसार संरक्षण नहीं दिया तो जिला बोर्ड का शासन सुचारु रूप से नहीं चल सकेगा।

मुझे मालूम है कि मेरे ऊपर भी दो बार अविश्वास का प्रस्ताव लाने की चेष्टा की गई। एक बार जब यह प्रस्ताव लाया गया तो जिन सदस्यों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे उनको मैंने बुला कर पूछना शुरू किया कि महाशय जी, मैंने कौन सी गलती की है जिसके कारण आप यह प्रस्ताव लाये। किसी ने कहा कि जब मैं बोलने खड़ा होता हूं तो आप पूरा बोलने नहीं देते, इसलिये वह नाराज थे। एक साहब ने कहा कि मैं जिन ट्रान्सफर्स के लिये कहता हूं वह नहीं होते, किसी ने कहा कि पोस्टिंग नहीं होती। उनमें से एक साहब तो ऐसे निकले—बल्कि अनेक साहब, जिन्होंने यह कहा कि एक बड़े आदमी आपके खिलाफ थे, मेरे दरवाजे पर चले गये, मेरी दाढ़ी पकड़ ली और मेरे पैरों पर पड़ने लगे। मैंने कहा कि इतना बड़ा आदमी जब दरवाजे पर आ गया तो भला दस्तखत करने में क्या होता है। उन्होंने मुझसे कहा कि दस्तखत भले ही कर दिये हैं लेकिन वोट नहीं दूंगा। तो उस प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं हो सके और वह नहीं आ सका।

दूसरी बार फिर प्रयास किया गया और आधे से एक ज्यादा ने दस्तखत किये लेकिन नोटिस जारी होने के पहले ही १३, १४ सदस्यों ने कलेक्टर के यहां जाकर दरख्वास्त दी कि हमसे ऐसे ही दस्तखत करा लिये गये। नतीजा यह हुआ कि वह प्रस्ताव नहीं आ सका यद्यपि रिट भी चला कि दस्तखत वापिस लेने का कोई हक उन सदस्यों को नहीं था। तो मेरा सरकार से उल्टे यह अनुरोध है कि सदस्यों को यह अवसर भी दिया जाय कि इतने दिनों में अपने दस्तखत वापस ले सकें। अगर वे कहते हैं कि सीरियस नहीं है तो प्रस्ताव हरगिज नहीं आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—वह आप रूल्स में करा लीजियेगा।

श्री रामलक्षण तिवारी—जिला परिषद् के कार्य के कुशलतापूर्वक संचालनार्थ यह आवश्यक है। यहां की मिसाल दी गई। यहां के लोगों का शासन से इतना निकट संबंध नहीं है जितना कि जिला स्तर पर होता है। यहां की परिस्थिति का वहां की परिस्थिति से मुकाबला करना या यहां के कानूनों से वहां के कानूनों को बनाने की चेष्टा करना बिलकुल अव्यावहारिकता कही जायगी। दुर्भाग्यवश गेंदासिंह जी शायद यह सोच रहे हैं कि वह दिन कभी नहीं आवेगा जब कि उनको भी उस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना पड़े। इसीलिये सम्भवतः इस प्रकार का संशोधन लाये हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कोई भी पार्टी सदैव नहीं रहती है। इसलिये ऐसा कानून बनाना चाहिये कि चाहे जिस दल का आदमी उस कुर्सी पर बैठे उसे कुशलतापूर्वक शासन संचालित करने का पूरा अवसर हो। इसलिये मैं गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आधे से अधिक का अगर कोई प्रस्ताव है तो उसका समर्थन करता हूं।

***श्री सैयद जरगाम हैदर** (जिला बहराइच)—मैं श्री गेंदासिंह की तरमीम की हिमायत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अदम-ऐतमाद के डिसीशन कुछ उसूलों पर हुआ करते हैं। एक तो यह है कि प्रेसीडेंट की पालिसी को वाजे तौर पर डिस्कस किया जाय। इसी उसूल पर हमारे विधान सभा के कायदों में यह है कि अगर १।५ मेम्बर खड़े हो जावें तो अदम-एतमाद की तजवीज हाउस के सामने डिस्कशन के लिये आ जाती है। उसके नतीजे तभी निकल सकते हैं जबकि वह पास हो जाय। नो-कान्फीडेंस का सुझाव आसानी से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में और म्यूनिसिपैलिटीज में और मौजूदा विधेयक में फर्क

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

यह है कि वहां आधे आदमियों के दस्तखत से रेजोल्यूशन पेश होता है और हाउस की एब्सोल्यूट मैजारीटी से ही नो-कान्फीडेंस का प्रस्ताव पास होता है। लेकिन इस समय यह सवाल है कि मोशन को डिस्कस करने के लिये एक तादाद मुकर्रर की गई है उसके पास होने के लिये। मंत्री जी इस बात को मानने के लिये तैयार हैं कि वह आधी तादाद कर दी जाय। लेकिन इससे नो-कान्फीडेंस का मोशन पास नहीं होगा। पास तो तभी होगा जबकि २/३ मेंबर उसे सपोर्ट करें। इसलिये डिस्कशन के लिये तो १/४ की तादाद पर एडमिट कर लिया जाय। यह जरूरी नहीं है कि वह पास ही हो जाय। इसमें समय भी खराब नहीं होगा। चूंकि जिला परिषद् पार्टी की बेसिस पर बनेंगे, पार्टी का मेन्डेन्ट होता है। एक्सेप्शनल केसेज जरूर होते हैं जहां किसी पार्टी की मैजारिटी न हो और कुछ इंडिपेंडेंट मिलाये जावें। इस हाउस की मिसाल भी हमारे सामने है, जैसा मैंने पहले अर्ज किया। यहां अविश्वास का प्रस्ताव आया और कांग्रेस के ९८ मेम्बरों ने भी कहा कि वे गवर्नमेण्ट की पालिसी से एग्री नहीं करते हैं लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ वोट नहीं किया चूंकि पार्टी का मैंडेंट था। लेकिन उन्होंने गवर्नमेण्ट की खामियां बताईं कि वह उन्हें दूर करें। इसी तरह से जिला परिषद् में प्रस्ताव पेश करने वाले को यही नहीं समझना चाहिये कि वह पास कराने के लिये ही पेश करता है। उसका मकसद यह है कि प्रेसीडेंट के कामों के ऊपर, या जो वहां का रुपया ठीक से खर्च नहीं हो रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन किया जा सके। इस वक्त भी इस विधेयक में यह रखा गया है कि सालभर के अन्दर दूसरा नो-कान्फीडेंस मोशन नहीं आ सकेगा। इसमें माकूलियत तभी हो सकती है जबकि सरकार यह मान ले कि आधे आदमियों की सपोर्ट से प्रेसीडेंट को हटा दिया जायगा। लेकिन जब सरकार इसके लिये २/३ की तादाद रख रही है तो हमारे डिस्कशन के राइट में उसे मदाखलत नहीं करनी चाहिये।

इसी सिलसिले में यह भी अर्ज कर दूं कि हमारे सामने इस वक्त काउन्सिल में प्रेसीडेंट के खिलाफ नो-कान्फीडेंस का मोशन अन्डर डिस्कशन है। एक रिट भी पेंडिंग है जिसमें यह एसर्ट किया जा रहा है कि १/३ या १/४ की तादाद गलत है। जिस तरीके से ओरिजनल मोशन आता है, उसी तरीके से यह भी आ जाय। इसलिये मैं माननीय गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और गुजारिश करता हूं कि उसको स्वीकार कर लिया जाय कि चौथाई मेम्बरों की तादाद पर डिस्कस हो जाना चाहिये।

*श्री नन्दराम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय रामहेतसिंह जी का संशोधन है उसके दूसरे अंश—'के बहुमत के कारणों सहित—' का मैं समर्थन करता हूं और तिहाई वाले का विरोध करता हूं और माननीय गेंदासिंह जी का जो संशोधन है उसका मैं समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा अनुभव तो नहीं है लेकिन हमारे राज्य की सबसे बड़ी पंचायत विधान सभा है और सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। मेरा दोनों का अनुभव है और दोनों में ही मैं कुछ न कुछ कार्य कर रहा हूं। विधान सभा में अविश्वास के प्रस्ताव के लिये पांचवां भाग है और ग्राम पंचायत में भी पांचवां भाग है। हो सकता है माननीय सदस्यों में से कुछ को इस बात का पता न हो लेकिन माननीय स्वायत्त शासन मंत्री को तो उसका पता ही है क्योंकि ग्राम पंचायतें उनके अधिकार में हैं। इसलिये मैं माननीय गेंदासिंह जी का जो संशोधन है मैं तो उसको भी ज्यादा समझता हूं लेकिन चूंकि उनका संशोधन है इसलिये उसका समर्थन करता हूं। अगर आधे वाली बात मान ली जाय तब तो ऐसी बात हो जायगी। "परम् स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मनै करो तुम सोई"। यह तो इसलिये रखा गया है कि उसके ऊपर एक अंकुश रहे। जब उसको आप इतना स्वतंत्र कर देंगे तो वह मन माने काम करेगा ही लेकिन जब उसको डर लगता रहेगा कि उसके खिलाफ भी अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है तो वह अवश्य न्याय करेगा। इसलिये यह प्रस्ताव बहुत ही उचित और व्यावहारिक है। तो जिस प्रकार से सबसे बड़ी पंचायत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा में और सबसे छोटी पंचायत—पंचायत में पांचवां भाग रखा गया है उसी प्रकार से जिला पंचायत और क्षेत्रीय पंचायत में भी रखा जाय । माननीय गेंदासिंह जी भी मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं ।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामहेतसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । उसके कारण हैं । माननीय गेंदासिंह जी से इस बात से सहमत हूं कि यदि प्रमुख या उपप्रमुख के विरोध में कारण हों और उनके विरुद्ध यदि उस प्रस्ताव के पास होने की संभावना हो तो उस प्रस्ताव को सभी सुविधायें मिलनी चाहिये । किसी जनतंत्र पद्धति में किसी भी व्यक्ति को, जो बहुमत पाने में असमर्थ है, उसको एक भी दिन उस स्थान पर गवारा नहीं किया जा सकता । मैं इस संशोधन से इसलिये सहमत हूं क्योंकि बगैर इसके जनतंत्र का उचित संचालन नहीं हो सकता । लेकिन इसके साथ ही जो माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे, उन्होंने एक बात का उल्लेख किया । उन्होंने कहा कि इस सदन में जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया उसका कारण यह था कि उन्हें एक मौका मिला कि जब वह गलती बता सकें शासन की, उनकी आलोचना कर सकें । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गलतियों से एक प्रकार का मौका मिलता है । जिससे कि हम शासन की आलोचना कर सकें, उसका यही लक्ष्य है । लेकिन अविश्वास के प्रस्ताव का वह उद्देश्य नहीं है । यदि अविश्वास के प्रस्ताव का उपयोग उस तरीके से किया जाता है तो मैं कहना चाहता हूं कि उससे जनतंत्र पद्धति में अविश्वास के लिये जो कारण रखे गये हैं वे कारण ही डिफीट हो जाते हैं उनका पराजय हो जाता है क्योंकि मैं जानता हूं कि अविश्वास का जो वायुमंडल पैदा होता है, अविश्वास के लिये जो प्रयत्न होते हैं उससे काफी बदमजगी पैदा होती है और झगड़े तथा कटुता भी पैदा होती है । हमको अपने खयाल में यह अवश्य रखना चाहिये कि अविश्वास का प्रस्ताव सदन में उसी वक्त आना चाहिये जब कि उसके पास होने की काफी सम्भावना हो । जब पूर्ण बहुमत की सम्भावना हो तभी फिर ऐसा प्रस्ताव आना चाहिये क्योंकि उसके जो आगे आने वाले परिणाम होते हैं वे बहुत अधिक उपयुक्त नहीं होते, आगे के काम चलाने के लिये । मैं माननीय गेंदासिंह जी से कहना चाहता हूं कि मेरा जो कुछ आशय है उसको वे समझें और वे देखें कि उससे कितना विषाक्त वातावरण होता है और केवल फब्तियां उड़ाने के लिये या प्रचार के लिये ही अविश्वास के प्रस्ताव का उपयोग नहीं होना चाहिये । अविश्वास के प्रस्ताव का उपयोग उसी वक्त होना चाहिये जब कि हम देखें कि प्रमुख को हटाने की सम्भावना है । इस दृष्टि से मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई बहुत बड़ी आवश्यकता सदस्यों की नहीं होती है, कोई जनता के पास नहीं पहुंचना है वोट के लिये । अधिकतर वहां की जो शिकायतें होती हैं उनके ऊपर विश्वास करेंगे । उनकी राय कुछ बनी हुई होती है प्रस्ताव के समर्थन और विरोध में । जब वे पर्याप्त समर्थन प्राप्त कर सकेंगे तब वह प्रस्ताव सामने आ जायगा । जब दूसरे पक्ष से भी प्रयत्न प्रारम्भ हो जायगा तब तो यह सम्भावना और भी अधिक है कि जो दस्तखत भी कर देते उनमें भी कमी रह जाय । मेरे खयाल से जब सदन में कम से कम प्रस्ताव पास होने की सम्भावना हो तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई व्यावहारिक कठिनाई नहीं होगी । इस आशय को लेते हुये और माननीय गेंदासिंह जी के आशय को लेते हुये कि उनका भी मतलब यही है कि यदि किसी को प्रमुख पर विश्वास न हो तो वह जबरन किसी रूप में किसी पर थोपा नहीं जा सकता है, यदि अविश्वास के प्रस्ताव के ऊपर वाकई में बहुमत है तो वह किसी को भी स्वीकार नहीं हो सकता, इसलिये मैं श्री रामहेतसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—मुझे कहना तो नहीं चाहिये लेकिन मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे आत्मसंयम से काम लें क्योंकि आगे बहुत महत्वपूर्ण काम है और इस पर मेरी समझ में काफी विवाद हो चुका है, इसलिये श्री गेंदासिंह अब जवाब दें तथा और कोई न बोलें तो अच्छा होगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, सात रोज से इस पर बहस हो रही है लेकिन एक किसान ब्राह्मण जो उनकी तरफ से ही आया है उसको बोलने का मौका नहीं मिला है । मैं उन देहाती किसानों का ही प्रतिनिधि हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—आप बोल लीजिये ।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, यह हमारा सीधा किसानों का मामला है । जो जिला परिषद् होती है वह किसानों की होती है । चुंगी होती है वह कस्बे की होती है, टाउन एरिया की होती है । गांव के उम्मीदवार टाउन एरिया में नहीं जाता है । टाउन एरिया का टाउन एरिया में रहे और शहर का शहर में रहे । श्रीमन्, यह हमारी चीज है । इसमें सबकी जरूरत नहीं है । यह तो सीधी किसानों की चीज है और उन्हें ही उसमें रखना चाहिये ।

कोई कहता है कि २/३ हो तब अविश्वास का प्रस्ताव आना चाहिये । कोई कहता है कि ३/४ हो तब आना चाहिये । अपने दिल को बहलाने के लिये कुछ करो, लेकिन मकान का दरवाजा तो उधर ही होगा जो पत्नी का पति चाहेगा । बहुमत से प्रस्ताव आ रहे हैं, हमारी कौन मानता है, ४-४ और ६-६ दिन बहस होती है और आखिर में "हां" और "न" में मसला खत्म हो जाता है । किसी बनिये ने एक गरीब से कहा कि घड़ा दूकान पर ले चलो दो आने मिलेंगे । उसने घड़ा रख लिया और विचार करने लगा कि २ आने की मुर्गी लूंगा, मुर्गी बच्चे देगी, फिर बकरी लूंगा, फिर निकाह पढ़ाऊंगा, फिर बीबी आयेगी, बच्चे होंगे, बच्चों से कहूंगा कि हुक्का भर ला, वह कहेगा कि लो अब्बा, मैं कहूंगा नहीं बेटे, नहीं बेटे । उसी समय गगरी गिर पड़ी । तो बनिये ने पूछा क्या हुआ । वह बोला कुनबा का नाश हो गया । कोई कहता है कि १/४ का होना चाहिये, कोई कहता है ३/४ का होना चाहिये । शुक्र और शनि जब आते हैं तो दुःख देते हैं और जब जाते हैं तो दुःख देते हैं । १२ वर्ष का स्टेट पर शनिश्चर आया था और अब तेरहवां साल लग रहा है, उतरने वाला है । अब कोई रोकने वाला नहीं है । आप लोग अब चूक गये तो फिर १२ वर्ष के पीछे पड़ जायगा और जिन्दगी भर नहीं छोड़ेगा ।

हमारी चीज को आप ले रहे हैं । उसमें वकील भी आ रहे हैं, डाक्टर भी आ रहे हैं, बाबू लोग भी आ रहे हैं । हल जोतना जानते नहीं हैं । डाक्टरी करते हैं वह कैसे सिंचाई करेंगे, कैसे राजगीरी करेंगे ? तो हम किसानों की चीज को किसानों के लिये छोड़ दिया जाय । किसानों का प्रधान हो और उसे पूरा अधिकार हो । चेयरमैन को पूरा अधिकार हो । आज गांव के चेयरमैन की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती है, उसके ऊपर एक नौकर, आई० सी० एस० रख दिया जाता है जिनके ऊपर ४ मिनट शासन नहीं चलेगा । यह लोग तो कलेक्टर से पूछ कर काम करते हैं । मथुरा के कलेक्टर को भेज दिया और वह यहां आकर क्लर्क हो गया । अगर इन को काम आता तो देश की यह हालत नहीं होती । एक सुझाव है यह सरकार मान ले, इनकी बात भी रख दे और फिर सन् १९६२ में हमारी सरकार होगी तो हम आपकी बात रख देंगे । केवल हां, नहीं से काम नहीं चलेगा । जो बात मुनासिब हो वह मानी जाय । और अगर जो स्थिति आज है यही बनी रही तो हम, तुम कोई नहीं रहेंगे । हमारी जिला परिषद् हमको दे दी जाय ।

*श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, समय कम लगे इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि अधिक इस पर कुछ न कहूं । मेरी धारणा यह है कि सरकार का पक्का इरादा है कि अविश्वास के प्रस्ताव. . . .

श्री उपाध्यक्ष—ऐसा आप पुजारी जी के भाषण के बाद तो नहीं कह सकते कि इरादा नहीं बदला ।

श्री गेंदासिंह—पुजारी जी के भाषण से बड़ी प्रेरणा मिल जाती है । माननीय पुजारी जी की तरह इतने जोर से तो मैं माननीय रामहेतसिंह जी का जवाब दे नहीं सकता, दोनों ही एक जिले के रहने वाले हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें सवाल नन्दगांव और बरसाने का भी है कि कौन कहां का रहने वाला है ।

श्री गेंदासिंह—मैंने समझा रामहेतसिंह जी पुजारी जी की बातों का ध्यान जरूर करेंगे और अपने संशोधन को वापस ले लेंगे ।

अब मैं थोड़ा-सा कह देना चाहता हूं जो कुछ मित्रों ने कहा उससे मेरा मतलब यह नहीं है कि कोई अध्यक्ष के प्रति रोज एक तलवार लटकाये रहना हमारा काम है । ऐसा नहीं है । जरगाम हैदर साहब ने कहा कि १ बटे ५ की संख्या आवश्यक है सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये । माननीय नन्दराम जी की सूचना यह है कि पंचायतों के लिये अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये इतनी बड़ी संख्या की जरूरत नहीं है । माननीय वर्मा जी इन्कार कर रहे हैं.....

श्री नन्दराम—मैं ला कर दिखा सकता हूं ।

श्री गेंदासिंह—मैंने तो पढ़ा नहीं । १ बटे ५ है पंचायतों में भी । तो मैं समझता हूं माननीय नन्दराम जी की बात बहुत मुनासिब है जो उन्होंने यह संशोधन रखा कि १ बटे ५ रखी जाय । मैंने १ बटे ४ कहा था । क्योंकि मैं बहुत डरता हूं । मैं नन्दराम जी की बात को बहुत पसन्द करता हूं बशर्ते कि सरकार १ बटे ५ माने । अगर इतना न माने तब तो मैं समझता हूं कि १ बटे ४ तो सरकार को मानना ही चाहिये । अगर न माने तो मैं समझ नहीं पाता कि अपने संशोधन को वापस ले लूं, अन्यथा जरूर वापस ले लेता । सरकार को फिर इस पर विचार करना चाहिये कि इस काम में बाधा न उत्पन्न करे ।

श्री रामहेतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनका आभारी हूं जिन माननीय सदस्यों ने मेरे संशोधन के पक्ष में कहा । खासतौर से हमारे माननीय गेंदासिंह जी ने जो यह कहा कि विधान सभा में भी ५वां हिस्सा और दूसरी जगह भी ऐसा ही है, लेकिन माननीय सदस्य पूरी तौर से परिचित हैं विधान सभा के लिये, पांचवां हिस्सा रखने से सरकार बदलने से संबंधित है, यहां सरकार बदलने का सवाल है । इसका पूरे प्रदेश पर असर पड़ता है जो सरकार द्वारा नीति निर्धारित होती है उस पर असर पड़ता है और उसका असर जो भी प्रदेश के अन्तर्गत होता हो सब पर पड़ता है लेकिन क्षेत्रीय समिति और जिला परिषद् के जो सम्बन्ध हैं वह केवल सीमित दायरे में हैं । उसका संबंध पूरे प्रदेश या पूरे सरकार द्वारा बनाये हुये नियमों से नहीं है । इसलिये उसमें आधे से अधिक बहुमत के लिये रखा था ।

माननीय जरगाम हैदर ने रखा है कि जब २/३ से पास हो सकता है तो पांचवां हिस्सा रखने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये क्योंकि उनका बनाना तो पार्टी बेसिस पर होगा, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताऊं कि यह उनको भ्रम है । यह जरूरी नहीं है कि जिला परिषदें या क्षेत्रीय समितियां पार्टी बेसिस पर ही बनें । उनमें गांव सभा के सदस्य भी होंगे, ब्लाक यूनियन के सदस्य भी होंगे, जिला समितियों के भी सदस्य होंगे और बहुत सी स्वतंत्र संस्थायें ऐसी होंगी जिनमें से सदस्य आयेंगे जो अपने को किसी भी पार्टी का उम्मीदवार नहीं कहेंगे । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि जो समितियां बनेंगी वे पार्टी बेसिस पर ही बनेंगी और जो भी प्रस्ताव वहां पर मूव किये जायेंगे वे पार्टी बेसिस पर होंगे, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । उसके भी अन्दरूनी मामले हो सकते हैं । मैं कोसी और सोरों की नगरपालिकाओं के दृष्टान्त माननीय सदस्यों के सामने रखता हूं । दो-दो और तीन-तीन सालों तक अविश्वास का प्रस्ताव रख कर जो धन का अपव्यय हुआ है वह माननीय सदस्यों को जाहिर है । तो यह विश्वास रखकर कि २/३ से ही होगा, उचित नहीं होगा कि इसको पांचवां हिस्सा कर दिया जाय । अज्ञातवास की बीमारी जो फैली हुई है यह क्षेत्रीय समितियों में जिला परिषदों में न पहुंचे इसीलिये मैंने यह समझा है कि कम से कम

[श्री रामहेतसिंह]

एक महीने का सरदर्द बढ़ा लिया जाय। साथ ही माननीय मंत्री जी भी सहमत हैं कि आधा हो, लेकिन उसका मतलब यह है कि १/४ और १/५ रख कर सरदर्द न बनाया जाय, उनका अपव्यय न किया जाय और इसीलिये मैंने सोचा कि कम से कम आधा रख दिया जाय ताकि यह किसी अध्यक्ष या किसी दूसरे दिलचस्पी रखने वाले हैं उनको तकलीफ सरदर्द न उठाना पड़े। इसीलिये मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने प्रस्तावों को वापस ले लेंगे लेकिन यह ऐसा मामला है कि जिसमें वे लोग निर्विघ्न होकर काम कर सकें और ठीक काम चल सके, इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार मेरे प्रस्ताव को मान ले और अगर सरकार नहीं मानती तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस भी ले सकता हूं।

श्री जयराम वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री रामहेतसिंह जी ने इशारा किया मैंने इन संशोधनों को देख कर यही मुनासिब समझा कि अपनी तरफ से एक तरमीम रखूं। वह आपके सामने भेज दिया है। मैंने पंचायत राज ऐक्ट और नियम दोनों मंगा लिये हैं। उसमें व्यवस्था उसी तरह की है जिस तरह की व्यवस्था इस संशोधन में है जिसको हम करने जा रहे हैं यानी वहां भी अविश्वास का प्रस्ताव उतने आदमियों के दस्तखत से होना चाहिये जो आधे से कम न हो यानी कम से कम आधे के दस्तखत होने चाहिये और वह भी पास होगा दो-तिहाई सदस्यों की संख्या से। यहां पर भी वही व्यवस्था की गयी है। तो यह जो सूचना दी गयी कि वहां उसके विपरीत कोई व्यवस्था है वह सही नहीं है। मिसाल इस माननीय सदन की भी दी गयी कि यहां १/५ सदस्य काफी हैं खड़े होने के लिये और अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार हो जायगा। तो इससे उसकी कोई समानता नहीं हो सकती है क्योंकि इस माननीय सदन में दस्तखत करने के लिये कोई संख्या निश्चित नहीं है। वहां पर वह संख्या निश्चित होगी और जब वह प्रस्ताव उपस्थित किया जायगा तो कलेक्टर उसकी तिथि निश्चित करेगा, मेम्बरों को उसकी सूचना देगा और परगना अधिकारी या किसी अन्य को उसकी अध्यक्षता करने के लिये भेजेगा। वैसी व्यवस्था यहां करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जो झंझट वहां पैदा होते हैं वह झंझट यहां नहीं पैदा होते। फिर यहां पर अविश्वास का प्रस्ताव पास होने का मतलब है सरकार का बदलना और उसके साथ ही साथ नीति का भी बदलना। क्षेत्र समितियों को कोई नीति का फैसला करने का अधिकार नहीं होगा। उनका अधिकार केवल रोजमर्रा की कार्यवाही करना होगा। तो हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि रोजमर्रा की कार्यवाही आसानी से चल सके। अगर यह अविश्वास का प्रस्ताव इतना आसान कर दिया गया तो यह रोज का खेल हो जायगा और रोजमर्रा का काम नहीं चल सकेगा। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिससे कि जो भी दल वहां चुनाव के द्वारा आये, चाहे वह कांग्रेस दल हो, चाहे प्रजा सोशलिस्ट दल हो, चाहे कोई अन्य दल हो, वह कुछ दिन तक निश्चिन्तता से काम कर सके। अगर उसके सिर पर रोज तलवार लटकती रही तो वह काम नहीं कर सकेगा।

जो दूसरा संशोधन था कि बहुमत से हो, तो उसके लिये मैंने इतना स्वीकार कर लिया है कि कम से कम आधे सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर हों। इतना काफ़ी है और इससे वहां की व्यवस्था ठीक रहेगी। एक-तिहाई भी शायद उतना अच्छा नहीं होता क्योंकि उसमें भी कुछ अनिश्चितता बनी रहेगी और इससे अनिश्चितता नहीं रहेगी। हमारी दूसरी संस्थाओं में सब जगह इस तरह की व्यवस्था है। तो जिससे इसका सम्बन्ध है उसके साथ सिमिलैरिटी रखी गयी है और मैं समझता हूं कि माननीय सदन इसको स्वीकार करेगा और जो यह प्रस्ताव रखे गये हैं कि उनकी संख्या कम कर दी जाय उनको अस्वीकार करेगा।

श्री रघुवीरसिंह—मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि तत्काल संख्या के आधे या कुल बाडी की संख्या के आधे। दूसरे यह कि पहले उन्होंने एक-तिहाई क्यों रखा था और फिर क्या सोच कर पीछे हट गये?

श्री उपाध्यक्ष—वह तो सब दलील हो गयी, बहरहाल मंत्री जी यह बता दें कि तत्काल संख्या के आधे या कुल संख्या के आधे होने चाहिये ?

श्री जयराम वर्मा—वह तो इसमें बिलकुल साफ कुल संख्या लिखा हुआ है।

श्री नन्दराम—मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं बहुत वर्षों से एक संस्था का अध्यक्ष हूं....

श्री उपाध्यक्ष—अब इसकी में इजाजत नहीं दूंगा। मुमकिन है कि आप पुराना ही जानते हों, नया न जानते हों। अब माननीय स्वायत्त शासन मंत्री यह बतायें कि उनका कौन सा संशोधन है ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, मैंने इतना संशोधन कर दिया है "के बहुमत से कारणों सहित" लिखा है, वह कम से कम आधे सदस्य होंगे।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री रामहेतसिंह से) आपने मंत्री जी का सुझाव मान लिया है ?

श्री रामहेतसिंह—जी हां।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, जो लफ्ज लिखे हैं एक तिहाई उसकी जगह पर आधे सदस्य हो जायंगे।

श्री उपाध्यक्ष—(माननीय मंत्री जी से) आप रामहेतसिंह जी के संशोधन में अपने मन्तव्य को शामिल कर लीजिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर यह कहना चाहता हूं कि जो संशोधन पेश ही नहीं हुआ है और जो मंत्री जी ने पायस विश जाहिर की है, उसको किस तरह से लिखेंगे ? अब क्या नया संशोधन वह रख सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—नया संशोधन नहीं है बल्कि माननीय रामहेतसिंह ने जो संशोधन पेश किया है उसमें मंत्री जी ने एक सुझाव दिया है जिसको रामहेतसिंह जी ने स्वीकार कर लिया है।

खण्ड १३—(क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—खंड १३ में जितने संशोधन विचाराधीन थे उस समय सरकार ने स्वीकृति दी थी कि इसके सम्बन्ध में एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाय। अगर वैसा हो जाय तो बाकी के संशोधन वापस हो जायंगे। इस संशोधन को वर्मा जी लिख लें। उस समय तक खंड १३ (घ) वाले संशोधन को ले लिया जाय।

श्री जयराम वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंड १३(घ) के सम्बन्ध में माननीय प्रतापसिंह तथा अवस्थी जी ने जो भाव प्रकट किये थे उनको सामने रख कर अब प्रस्ताव की यह शकल हो जाती है कि—

(घ) खंड १३ के भाग (घं) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(घ) वह सरकार अथवा किसी जिला परिषद्, क्षेत्र समिति, ग्राम सभा, न्याय पंचायत, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी समिति के अधीन किसी पद पर रहा हो और उसे भ्रष्टाचार या राजद्रोह के कारण पदच्युत कर दिया गया हो सिवाय उस दशा के जब पदच्युत किये जाने के समय से पांच वर्ष बीत चुके हों, या...."

श्री उपाध्यक्ष—इस पर मैं मत लिये लेता हूं। बाकी के तीनों संशोधन वापस ले लिये जायंगे।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ के भाग (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(घ) वह सरकार अथवा किसी जिला परिषद्, क्षेत्र समिति, ग्राम सभा, न्याय पंचायत, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या कोआपरेटिव सोसायटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी समिति के अधीन किसी पद पर रहा हो उसे भ्रष्टाचार या राजद्रोह के कारण पदच्युत कर दिया गया हो, सिवाय उस दशा के जब पदच्युत किये जाने के समय से पांच वर्ष बीत चुके हों, या . . . ."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मोतीलाल जी, प्रतापसिंह जी और रघुवीरसिंह जी के संशोधन वापस हो गये इसमें किसी को एतराज तो नहीं है।

(कोई एतराज नहीं किया गया और संशोधन वापस हुए।)

श्री उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (ङ) की प्रथम पंक्ति में शब्द "निधि-व्यवसायी" के स्थान पर शब्द "विधि-व्यवसायी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--श्रीमन्, माननीय नागेश्वर द्विवेदी जी की भावनाओं को ध्यान में रख कर मैंने यह रूप दिया है--

खंड १३ में नया खंड (च) इस प्रकार बढ़ा दिया जाय--

"(च) वह कोढ़ ग्रस्त हो, अथवा किसी ऐसे संसर्गजन्य रोगों में से किसी से ग्रस्त हो, जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे और सिविल सर्जन से अन्यून पद के किसी चिकित्साधिकारी (medical officer) ने उस रोग को असाध्य (incurable) घोषित कर दिया हो।"

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---जरा माननीय मंत्री जी इतना जोड़ दें कि अगर पागल हो। जिस भावना से उन्होंने लिया है, उसमें ल्युनेटिक भी है। इस प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशंस में ल्युनेटिक भी आता है।

श्री उपाध्यक्ष--- प्रश्न यह है कि खंड १३ में नया खंड (च) इस प्रकार बढ़ा दिया जाय---

"(च) वह कोढ़ ग्रस्त हो, अथवा किसी ऐसे संसर्गजन्य रोगों में से किसी से ग्रस्त हो, जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे और सिविल सर्जन से अन्यून पद के किसी चिकित्साधिकारी (medical officer) ने उस रोग को असाध्य (incurable) घोषित कर दिया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष-- नागेश्वर जी का संशोधन वापस हो गया। किसी को एतराज तो नहीं है।

(कोई एतराज नहीं किया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४—(क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—— प्रश्न यह है कि खंड १४ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "न्यायालय" तथा चौथी पंक्ति में "राज्य सरकार" के स्थान पर "उच्च न्यायालय" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—— प्रश्न यह है कि खंड १४ के उपखंड (३) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय——

"परन्तु सदस्य को उच्च न्यायालय में अपील करने का हक होगा और उच्च न्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—— प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १५—(क्रमागत)

श्री जयराम वर्मा—— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंड १५ के उपखंड (२) की दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में शब्द "की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई द्वारा" के स्थान पर "की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा" रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—— प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (२) की दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में शब्द "की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई द्वारा" के स्थान पर शब्द "की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—— इसके बाद माननीय गेंदासिंह जी का संशोधन निरर्थक हो जाता है।

अब आगे के संशोधनों के लिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर वह ठीक समझें तो कुछ तो वह पेश न करें और अगर पेश भी करें तो जो माननीय सदस्य पेश करें उनके और माननीय मंत्री जी के अलावा और माननीय सदस्य हिस्सा न लें तो अधिक उत्तम होगा।

***श्री प्रतापसिंह**——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है कि कम से कम समय हम लें। उसके साथ-साथ मैं निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं——

खंड १५ के उपखंड (२) तथा (३) में जहां भी शब्द "कलेक्टर" आया हो वहां शब्द "अध्यक्ष, जिला परिषद्" रख दिया जाय।

मान्यवर, यह अभी बहस हो रही थी कि प्रमुख और उप-प्रमुख के प्रति जब अविश्वास का प्रस्ताव पास होगा तो उसमें कुछ हस्ताक्षर होंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि वह हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव कलेक्टर को सुपुर्द किया जाय या किसको किया जाय? आज जब हम जनतांत्रिक परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं तो जिला परिषद् जिसको कि एक सुपरवाइजरी बाडी का रूप हमने दिया है, हम चाहते हैं कि उसके अध्यक्ष को वह सुपुर्द किया जाय और यह इसलिए हम चाहते हैं कि उनके बीच में आपस की एकता की कड़ी बनी रहे। इसमें प्रश्न यह भी उठ सकता है कि जितना इन्तजाम कलेक्टर करवाता है वह कौन करायेगा? बाकी जितना उसका प्रोसीजर होगा, तो उसका जवाब यह है कि जिला

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रताप सिंह]

परिषद् में एक मुख्य अधिकारी जिसको हम सचिव कहते हैं वह भी रहेगा। बाकी जितनी भी कार्यवाही होगी वह उसके द्वारा करायी जायगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि जिला परिषद् के अध्यक्ष को यह मालूम तो हो कि उसका भी कुछ अधिकार है क्षेत्रीय समितियों पर। अगर कलेक्टर को अधिकार देते हैं तो कलेक्टर को तो ला ऐंड आर्डर और रेवेन्यू के अलावा और सभी बातों से अलग रखना चाहिए। इसलिए मैं अधिक समय न लेकर केवल यही कहना चाहूंगा कि अगर जिला परिषद् की बात होती तब तो कलेक्टर कह सकते थे लेकिन यहां पर क्षेत्रीय समिति का प्रश्न है। आपने जिला परिषद्, क्षेत्रीय समिति तथा ग्राम पंचायतें तीन इकाइयां बनाई हैं, उनके अपने-अपने अधिकार हैं और जिला परिषद् एक सर्वोच्च संस्था है जिले में इसलिए उसके अध्यक्ष को यह अधिकार मिलना चाहिए कि जो अविश्वास के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो वह उसको समर्पित किया जाय और उसी को यह अधिकार हो कि वह आगे की कार्यवाही कर सके। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी हमारे संशोधन की पाक मंशा को समझते हुए और इस बात को समझते हुए कि इससे अध्यक्ष को कुछ अपने अधिकार का ज्ञान होगा, इसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री जयराम वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे संशोधन स्वीकार नहीं है। कलेक्टर को हटा कर के जिला परिषद् के अध्यक्ष को रख देने से कोई काम में जैसा कि समझते हैं कि आसानी होगी, सचमुच कोई आसानी नहीं होगी। बल्कि उससे दिक्कत हो सकती है। उपप्रमुख को छोड़ दीजिए, प्रमुख के खिलाफ अगर कोई अविश्वास का प्रस्ताव आता है वह तो जिला परिषद् का मेम्बर है। यदि जिला परिषद् के मेम्बर के खिलाफ प्रस्ताव उपस्थित किया जाय उसी अध्यक्ष के पास तो उसके लिए उसमें एक परेशानी पैदा होगी। बाहर हो का अधिकारी उसका इन्तजाम कर सके, उसी के पास वह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय और वही उसका प्रबन्ध करे तभी उचित बात होगी। और बारबार तो अविश्वास का प्रस्ताव आता है चुने हुये आदमी के विरुद्ध और कहीं-कहीं इस तरह की बात की जाती है कि अधिकारी को हटा कर चुना हुआ व्यक्ति रख दिया जाय। अभी कुछ देर पहले यह कहा जा रहा था कि सदस्यों के बारे में आपत्ति पर कार्यवाही न की जाय राज्य सरकार द्वारा, यहां पर दूसरी बात कही जा रही है। चुने हुये आदमी के प्रति हमारा विश्वास है तो उसके लिये इससे कठिनाई पैदा हो जायगी। जो अविश्वास का प्रस्ताव आवे उस पर उसको अख्तियार होना चाहिये जिससे कोई दिक्कत बीच में न हो सके। इसलिये बीच में यह कलेक्टर रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (२) तथा (३) में जहां भी शब्द "कलेक्टर" आया हो वहां शब्द "अध्यक्ष, जिला परिषद्" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री शिवराजबहादुर** (जिला बरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के उपखंड (३) में शब्द "तदुपरान्त कलेक्टर" के पश्चात् शब्द "उक्त प्रस्ताव की प्राप्त प्रतिलिपि न्यायाधीश को ३ दिन के अन्दर प्रेषित कर देगा" रख दिये जायं।

यह बड़ा मुनासिब सा संशोधन है। अगर इसको मंत्री जी मान लें तो बड़ा मुनासिब होगा। जिस वक्त किसी प्रमुख या उपप्रमुख के खिलाफ कोई अविश्वास का प्रस्ताव आवे तो उस प्रस्ताव को कलेक्टर अपने किसी दूसरे अधिकारी के सुपुर्द करने के बजाय प्राप्त होने के ३ दिन के अन्दर न्यायाधीश को भेज दें। आज भी जहां कहीं सभापति के खिलाफ अविश्वास

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का प्रस्ताव आता है तो सब न्यायाधीश को ही भेजते हैं। कलेक्टर न्यायाधीश के पास भेजता है और उसके बाद न्यायाधीश अपनी राय देता है तब वह पास होता है। बजाय इसके कि खुद कलक्टर मीटिंग बुलाये या एग्जिक्यूटिव स्टाफ के लोगों से कराये ज्यादा बेहतर है कि कलेक्टर न्यायाधीश के पास भेज दे ताकि वह उसमें अपनी मर्जी के अनुसार ठीक काम कर सके और जुडिशियल का जो मन्शा है वह पूरा हो सके। बस इतनी सी बात है।

श्री जयराम वर्मा— यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है। जहां तक क्षेत्र समितियों का सवाल है उसके लिये व्यवस्था यह है कि जब प्रमुख और उपप्रमुख के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आवे तो कलेक्टर को दिया जाय। कलेक्टर उसको भेजेगा वहां के परगना अधिकारी के पास और वह मीटिंग भी बुलायेगा। परगना अधिकारी वहां पर अध्यक्षता करेगा। जहां तक जिला परिषद् का सवाल है वह न्यायाधीश के पास जरूर भेजा जायगा और न्यायाधीश की अध्यक्षता में उस पर विचार होगा लेकिन जहां तक क्षेत्र समितियों का सवाल है उसमें केवल परगना अधिकारी के लिये व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था ठीक है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको प्रेस नहीं करेंगे और वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (३) में शब्द "तदुपरान्त कलेक्टर" के पश्चात् शब्द "उक्त प्रस्ताव की प्राप्त प्रतिलिपि न्यायाधीश को ३ दिन के अन्दर प्रेषित कर देगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री शिवराजबहादुर**—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के उपखंड (३) के भाग (१) के प्रारम्भ में शब्द "न्यायाधीश" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल है। थोड़ी बात कहने पर भी हमारी बात सुनी नहीं जाती है। अभी आपने फरमाया था कि मुख्तसर बात कही जाय। दो हरूफ में मैंने अपने संशोधन को पेश किया था। मैं यह समझता था कि यह बहुत मासूम बात है, इसको मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे। मैं यह चाहता था कि जल्दी से यह बिल पास हो जाय तो ज्यादा बोलना भी मैंने मुनासिब नहीं समझा। दूसरे आदमी अपनी राय भी जाहिर नहीं करेंगे तो यह भी एक मजबूरी थी। इस वजह से २, ४ बातें अब मैं कहना चाहता हूं।

प्रजातन्त्र के जमाने में इस बात की जरूरत है कि हर चीज का मुनासिब इस्तेमाल हो सके और उसके साथ-साथ सही इन्साफ भी हो सके। इस बात को मद्देनजर रखते हुए, और जैसा कि मैंने अपने पहले संशोधन को पेश करते समय कहा था कि म्युनिसिपैलिटियों वगैरह में उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष के खिलाफ जो विश्वास का प्रस्ताव आता है उसका फैसला एग्जीक्यूटिव साइड से आफिशिएल्स से न होकर न्यायाधीश द्वारा ही होता है, इसको माना जाय। जो चीजें सरकार बनाने के पहले हमारी सरकार कहा करती थी आज वह उसके विपरीत कहती है। वह कहते हैं कि हम एक आटोनामी लाना चाहते हैं और जब ऐसी संस्था में अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, या प्रमुख या उप-प्रमुख के खिलाफ कोई अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है तो वह एक गम्भीर बात होती है। उसमें सैकड़ों चीजें ऐसी होती हैं कि जिन पर गौर करना होता है और आज के दौर में जब जानिबदारी और दूसरी तरह की बातें हर एक के लिये जल्दी ही हो जाती हैं तो एक जुडिशियरी ही ऐसी है कि जिस पर लोगों को एतमिनान है और जिसके खिलाफ अंगुश्तनुमाई कम होती है। विधेयक में कहा गया है कि अविश्वास का प्रस्ताव जो आयेगा उस पर निर्णय जिलाधीश द्वारा होगा। क्षेत्र समिति की इंपार्टेंस भी इससे कम नहीं है और इसलिये उसकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए जब कोई अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया जाय तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ३० दिन के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराजबहादुर]

अन्दर अपनी मर्जी के मुताल्लिक किसी परगनाधीश को मुकर्रर करेगा कि जो इस काम को करेगा। तो जिलाधीश का मल्टीफेरियस एक्टिविटीज का नजरिया रहता है और इंसाफ के नजरिये से यह लाजिमी हो जाता है कि जिलाधीश प्रस्ताव हासिल होने के बाद किसी न्यायाधीश को दे दे और वह जिसे मुनासिब समझे खुद या दूसरों को भेज कर उसका फैसला करा सके तभी यह ठीक होगा।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, यह तो बैठता कहीं नहीं। कलेक्टर तो अपनी जगह पर रहेगा और कलेक्टर (शब्द) अपनी जगह पर रहने के बाद यह शब्द "न्यायाधीश" तो जुड़ता ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है। मैं इसको आउट आफ आर्डर घोषित करता हूं।

श्री रघुवीरसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के उपखंड (३) के भाग (१) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "का" और शब्द "न" के बीच "और पैंतीस दिन से अधिक का" रख दिया जाय। श्रीमन्, इससे मेरा अभिप्राय यह है कि एक समय निश्चित हो जाय। धारा १५ (३) के भाग (१) में यह दिया हुआ है कि क्षेत्र समिति की एक बैठक उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिये क्षेत्र समिति के कार्यालय में अपने द्वारा निश्चित दिनांक को बुलायेगा और यह दिनांक उपधारा (२) के अधीन उसे नोटिस दिये जाने के दिनांक से तीस दिन के बाद का न होगा; और बाद में यह भी है कि "क्षेत्र समिति के सदस्यों को ऐसी बैठक का कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस ऐसी रीति से देगा जो नियत की जाय।"

श्रीमन्, इसमें मुझे केवल इतना ही कहना है कि मंत्री जी ने इसमें कोई निश्चित अवधि नहीं दी है और इसमें बहुत से हेरफेर और टालमटोल की बात है। मैं निश्चितता लाने के लिये यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ऐसा कर दें कि जिस दिन अविश्वास का प्रस्ताव रखा जाय उस दिन से कम से कम तीस दिन और अधिक से अधिक ३५ दिन में वह आ जाना चाहिये। बात मान लेने की है, लेकिन अगर मंत्री जी अपने हठयोग पर दृढ़ हों तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सीधी सादी बात है अगर उधर के किसी सदस्य ने रखी होती तो शायद मान ली गयी होती।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, यह भी संशोधन कहीं फिट बैठता नहीं है। हमने जो तिथि रखी है वह ३० दिन के अन्दर की रखी है। यह चाहते हैं कि वह बजाय ३० के ३५ दिन कर दी जाय। लेकिन इस संशोधन से यह अर्थ नहीं निकलता। पता नहीं उनकी मंशा क्या है।

श्री उपाध्यक्ष---इस संशोधन को मैं अवैध घोषित करता हूं।

श्री गेंदासिंह---मैं अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष---क्या दूसरा भी पेश नहीं करेंगे।

***श्री गेंदासिंह**---उसे पेश करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्न संशोधन पेश करता हूं:---"खंड १५ के उपखंड (४) की पहली पंक्ति में शब्द "परगना अधिकारी" के स्थान पर शब्द "जुडिशियल आफिसर" रख दिया जाय। मैं समझता हूं मान्यवर, इसे स्वीकार करने में माननीय मंत्री जी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिये। जिस समय अविश्वास का प्रस्ताव पर विचार हो, उस समय जूडिशियल आफिसर को रहना चाहिये, ये मेरे कहने का मतलब है।

---

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जुडिशियल अफसर रखने का मेरा मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से नहीं है, बल्कि मुंसिफ से है । जिला परिषद् में भी आपने यह व्यवस्था की है कि उसमें न्यायाधीश यानी जज रहेगा । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इसमें परगना अधिकारी के स्थान पर जुडिशियल अफसर रख दिया जाय । यह बहुत छोटा सा संशोधन है और इसे माननीय मंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्न संशोधन पेश करता हूं :--

"खंड १५ के उपखंड (४) की पंक्ति में शब्द "परगना अधिकारी" के स्थान पर "अतिरिक्त जिलाधीश" कर दिया जाय । श्रीमन्, यह बहुत ही सीधा सादा संशोधन है और माननीय मंत्री जी को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये । श्रीमन्, परगना अधिकारी का संबंध उस परगने से रहता है, और क्षेत्र समिति से भी उसका संबंध रहता है । मैं यह नहीं कहता कि वे उस प्रस्ताव में कुछ दिलचस्पी रखते हैं, किन्तु चूंकि उनका उस क्षेत्रसे संबंध रहता है, इसलिये उनका रहना ठीक नहीं है । यह मुनासिब नहीं मालूम होता कि जब इस तरह का प्रस्ताव आये तो वे उसकी अध्यक्षता करें । उस पर कोई प्रभाव भी पड़ सकता है । इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि उसमें परगना अधिकारी की जगह पर अतिरिक्त जिलाधीश रख दिया जाय ।

श्री जयराम वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, ऊपर हम यह स्वीकार कर चुके हैं कि कलेक्टर रहेगा । वही मीटिंग बुलायेगा । तो फिर परगना अधिकारी के स्थान पर जुडिशियल आफिसर रख दिया जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे ठीक रहेगा । अगर यह होता कि कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जज को लिखता कि वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को वहां भेजे, ऐसी कोई व्यवस्था होती, तब तो ठीक होता, लेकिन कलेक्टर सीधे जुडिशियल आफिसर को नियुक्त कर दे, ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं होगी । जहां पर ऐसी व्यवस्था है, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जज को लिख देता है वह अपने आप निश्चय करता है कि किसको भेजे, उसको वह इन्फार्म करता है। जब कलेक्टर ऊपर है तो परगना अधिकारी यहां पर होना चाहिये ।

अब जो दूसरा संशोधन है कि अतिरिक्त जिलाधीश रख दिया जाय, तो "जिलाधीश" शब्द का प्रयोग हमनें इसमें कहीं किया नहीं है और न उसकी कोई परिभाषा की है । "कलेक्टर" की की है, तो ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं हो सकता है जिसकी कोई परिभाषा न हो । माननीय सदस्य की जानकारी के लिये इतना कहूंगा कि अगर वह खंड जिसका वह प्रमुख या उप-प्रमुख है, किसी एक परगना अधिकारी के क्षेत्र में नहीं पड़ता है तो लिखा हुआ है कि सहायक या अपर कलेक्टर उसकी अध्यक्षता करेगा और परगना अधिकारी न करेगा । लेकिन हर स्थिति में एडीशनल कलेक्टर हो जाय, तो इसमें दिक्कत होगी । इसलिये परगना अधिकारी का रहना आवश्यक है । मैं समझता हूं कि वह अपने संशोधन को वापस कर लेंगे और गेंदासिंह जी भी इस संशोधन को प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि अब उसकी गुंजायश नहीं रही जो वह चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--रामदुलारे मिश्र जी, आपके संशोधन पर मत ले लिया जाय ?

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--जरा उनसे पूछ लूं । माननीय रामदुलारे मिश्र, आप वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामदुलारे मिश्र--जी हां, मंत्री जी के सामने जब मजबूरी है तो वापस लेता हूं।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--मैं जानना चाहता हूं कि जो क्षेत्र समिति होगी, क्या एस० डी० ओ० उसका सदस्य होगा या नहीं होगा ? परगनाधीश उस क्षेत्र समिति का सदस्य होगा या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा---नहीं, उसका सदस्य नहीं होगा ।

***श्री गेंदासिंह**---श्रीमन्, मैं क्या कहूं ? कुछ जुडिशियल आफिसर, जुडिशियल जस्टिस के नाम से ही अरुचि हो गई है सरकार को । उसका नाम छुई-मुई हो गया है । उसको जिस जगह रख दिया जाय उससे सरकार भाग खड़ी होती है । आखिर वह भी सरकार का बनाया हुआ अंग है । मैं तो इस पर भी सुलह कर लेता हूं कि जो बिलकुल एग्जिक्यूटिव की तरह से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रखे गये हैं उन पर भी सरकार आ जाय तो मैं समझता हूं कि उससे भी यह कुछ बेहतर हो जाय । लेकिन एक तरफ एस० डी० एम० के लिये वर्मा जी बता रहे हैं कि उसका बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध ब्लाक कमेटियों से है और बगैर उसकी मर्जी के कोई चीज बहुत सी चीजों में नहीं हो सकती. . . .

श्री जयराम वर्मा---क्या संबंध है ?

श्री गेंदासिंह---उसका सारा संबंध तो डेवलपमेंट के काम से है । डेवलपमेंट का काम हमारी जिला परिषद् और ब्लाक कमेटी का रहेगा और उसमें सफलता, विफलता, उसका इन्तजाम, उसकी निगरानी का सारा भार उसी के ऊपर है । मेरी बदकिस्मती है कि इस पर भी वह सिर हिला रहे हैं । क्या सब-डिवीजनल आफिसर का काम विकास के कामों की निगरानी करना नहीं है ? उसका वह अपने परगने में आफिसर नहीं है ? जिस प्रकार जिलाधीश अपने जिले के लिये इन्चार्ज है, कमिश्नर अपनी कमिश्नरी के लिये इन्चार्ज है, उसी तरह से सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट अपनी डिवीजन के लिये इन्चार्ज है और ये ब्लाक कमेटियां, उनके प्रधान इनके विकास के काम को करेंगे और उनकी बद-इन्तजामी और खुश-इन्तजामी खूब-सूरती और बदसूरती की सारी जिम्मेदारी में वह भी शेयर करता है । तो मेरी समझ में नहीं आता कि जिले की लेवल पर न्यायाधीश को मौका दे रहे हैं । लेकिन जब वह अविश्वास का प्रस्ताव ब्लाक लेवल पर आवे तो हम उसमें परगना अधिकारी को फैसला करने के लिये दे देते हैं । मैं नहीं समझता कि सरकार इस बात से क्यों इन्कार करती है । यूं तो सरकार ने पूरी स्कीम, पूरा बिल पहले से तैयार कर लिया है और उसमें रत्ती भर भी इधर या उधर नहीं हटना चाहती. . . .

श्री विचित्रनारायण शर्मा---हर रोज तो संशोधन मंजूर कर रहे हैं ।

श्री गेंदासिंह---उस जगह हम आपके बहुत शुक्रगुजार होते हैं जब आप कोई संशोधन मान लेते हैं, कहीं न कहीं तो गुडसेन्स प्रिवेल करता है, कभी-कभी तो अच्छी बात समझ में आ जाती है लेकिन अधिकतर अच्छी बात बुरी ही मालूम होती है, ऐसी हमारी धारणा है । इसलिये मैं समझता हूं कि मुझे इस संशोधन पर जोर देना चाहिये और सदन से कहना चाहिये कि इसको स्वीकार किया जाय ।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमान जी, क्षेत्र समिति पर परगना अधिकारी को निगरानी करने का अधिकार नहीं है । इस विधेयक के द्वारा उनको कोई भी अधिकार नहीं दिये गये हैं, क्षेत्र समिति को पूरे अधिकार रहेंगे । इसलिये यह समझना कि क्षेत्र समिति पर उसका कोई कन्ट्रोल रहेगा या उसकी मर्जी से अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकेगा, ऐसी बात नहीं है । इससे कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है । हमारे उधर के भाई समझते हैं कि जब हम कोई उनका संशोधन मान लेते हैं तब गुडसेन्स प्रिवेल करता है तो मैं चाहता हूं कि कभी-कभी उधर भी गुडसेन्स प्रिवेल करना चाहिये, कभी-कभी संशोधन वापस ले लिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से गुडसेन्स प्रिवेल कर रहा है ।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं । उधर जो यह बार-बार दोहराया जाता है कि परगना अधिकारी का विकास के कामों से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, क्या यह जो खंड समितियां बनेंगी उनका विकास के कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं होगा और विकास के कार्य से परगना अधिकारी का कोई ताल्लुक है या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा--क्षेत्र समितियां ही सारा कार्य करेंगी, परगना अधिकारी का कोई नियंत्रण नहीं होगा । ऐसा समझना कि यह समितियां उसके कन्ट्रोल या निगरानी में होंगी, गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (४) की पहली पंक्ति में शब्द "परगना अधिकारी" के स्थान पर शब्द "जुडिशियल अफसर" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संशोधन वापस लिया जाय :--

"खंड १५ के उपखंड (४) की पंक्ति में शब्द "परगना अधिकारी" के स्थान पर "अतिरिक्त जिलाधीश" कर दिया जाय " ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--अब नन्दराम गुप्त का जो संशोधन है वह रामदुलारे मिश्र जी के संशोधन से मिलता-जुलता है, अब मैं समझता हूं इसकी आवश्यकता नहीं रह गई ।

श्री नन्दराम--श्रीमन्, यह दूसरा है । मैं धारा और प्रतिबन्ध को मिला रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--अच्छा आप पेश कीजिये ।

***श्री नन्दराम**--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १५ के उपखंड (४) की पहली पंक्ति में शब्द "अध्यक्षता" के आगे का सब अंश हटा दिया जाय और प्रतिबन्ध को भी हटा दिया जाय तथा निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :--

"कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई वैतनिक अपर या सहायक कलेक्टर करेगा ।"

श्रीमन्, खंड १५ का उपखंड (४) इस प्रकार से है :--

"ऐसी बैठक की अध्यक्षता उस परगने का परगना-अधिकारी करेगा जिसमें क्षेत्र समिति क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि क्षेत्र समिति एक से अधिक परगनों में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो, अथवा परगना अधिकारी किसी कारणवश अध्यक्षता न कर सकता हो, तो कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई वैतनिक अपर या सहायक कलेक्टर उक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा ।"

मैं तो यहां माननीय मंत्री जी को सहायता करने के लिये इस संशोधन को लाया हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी स्वयं परेशान हैं । बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो कई-कई तहसीलों में बंटे हुये हैं और कई-कई परगनाधीशों के अधिकार में हैं और हो सकता है किसी कार्यवश परगनाधीश न जाय । इसलिये मंत्री जी स्वयं चाहते हैं कि कलेक्टर नाम निर्देशित अपर या सहायक कलेक्टर करे । माननीय गेंदासिंह जी ने मेरे काम को हल्का कर दिया, जो कुछ उन्होंने कलेक्टर के बारे में कहा, प्रत्येक ग्राम सभा का चेयरमैन उसमें होगा और उसका सबसे बड़ा अधिकारी परगनाधीश है । जब ग्राम सभा का चेयरमैन वोट देने को होगा और उसका सबसे बड़ा आफिसर उसके सिर पर बैठा दिया जायगा तो यह किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त मंत्री जी के काम को भी मैं इसके द्वारा आसान बना रहा हूं । "न होगा बांस न बजेगी बांसुरी" लेकिन मंत्री जी है कि हजरते दाग जहां बैठ गये बैठ गये । वे तो टस से मस नहीं होते । जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है इससे उचित और न्यायपूर्ण कोई संशोधन हो नहीं सकता है, ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस निर्दोष, सही और मन के मुआफिक प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार कर लेंगे और मंत्री जी जिस बात को चाहते नहीं हैं वैसी नौबत ही न आने पायेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--आप परगनाधीश और सहायक कलेक्टर में क्या अन्तर समझते हैं ?

श्री नन्दराम--ए० डी० एम० (जे०) से मेरा मतलब है ।

श्री जयराम वर्मा--जो कुछ मैं कह चुका हूं उससे अधिक और इस बारे में मुझे कहना नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (४) की पहली पंक्ति में शब्द "अध्यक्षता" के आगे का सब अंश हटा दिया जाय और प्रतिबंध को भी हटा दिया जाय तथा निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :--

"कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई वैतनिक अपर या सहायक कलेक्टर करेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

***श्री नन्दराम**--श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव कुछ बदला हुआ है । वह इस प्रकार है :--

"खंड १५ के उपखंड (५), (७) तथा (८) निकाल दिये जायं तथा उपखंड (११) में "पारित हो" के आगे नीचे लिखा बढ़ा दिये जावें :--

"यदि दो तिहाई का बहुमत न हो तो बैठक स्थगित करके बुलाई जाय । स्थगित की हुई बैठक की अवस्था में समिति के तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक पारित हो ।"

श्री उपाध्यक्ष--आप इसको लिख कर मेरे पास भेज दीजिये ।

श्री नन्दराम--श्रीमन्, अभी मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता यदि माननीय गेंदासिंह जी का पहला प्रस्ताव जो चौथाई सदस्यों वाला था, वह मान लिया जाता ।

मैं यह देख रहा हूं, मेरा मंशा यह है कि कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह से आज की उत्तर प्रदेश विधान सभा हम लोगों पर एकछत्र शासन कर रही है. . . .

श्री उपाध्यक्ष--उत्तर प्रदेश विधान सभा शासन नहीं करती ।

श्री नन्दराम--मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जब पिछले वर्ष अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ था तो कांग्रेस पार्टी के ९८ सदस्यों ने उसके पक्ष में लिखित दिया था, फिर भी कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, तो इसको आप क्या कहेंगे ? यह एकछत्र राज्य नहीं है तो और क्या है ? प्रजातंत्र में कहीं भी इस तरह से एकछत्र राज्य होगा तो क्षेत्र समितियों में भी उसी तरह से प्रमुख और उप प्रमुख का एकछत्र राज्य रहेगा । मेरा खयाल है कि जिस तरह से अध्यक्ष के चुनाव में एक के बहुमत से उसका चुनाव होता है और उसमें दो तिहाई वोट की कोई शर्त नहीं होती उसी तरह से प्रमुख या उप-प्रमुख को भी बहुमत से हटाने का अधिकार होना चाहिये । लेकिन एक तरफ तो यह रखा गया है कि आधा हो तो अविश्वास का नोटिस आवेगा, दूसरी तरफ यह रख देना कि मीटिंग स्थगित नहीं होगी, विवाद स्थगित नहीं होगा और दो घंटे के लिये विवाद की बात रख कर इस तरह से सदस्यों को बिलकुल बांध देना कि प्रमुख और उप-प्रमुख निर्भीकता के साथ खुले तौर पर एकछत्र होकर अपना शासन और मनमानी करे उचित नहीं मालूम होता । इस लिये मेरा जो यह संशोधन है वह बहुत ही न्यायसंगत है । यह भी हो सकता है कि लोग एकदम इकट्ठा ही न हों कि दो तिहाई उनकी हो जायगी तो अविश्वास का प्रस्ताव आ जायेगा । इसलिये एक के बहुमत पर ही अविश्वास का प्रस्ताव आना चाहिये । तो मेरा यह प्रस्ताव है कि अगर दो तिहाई का बहुमत न हो तो मीटिंग स्थगित हो और दूसरी मीटिंग में बहुमत से, आधे से अधिक से वह प्रस्ताव पास होना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को मान लेंगे । वैसे तो मैं जानता हूं कि उन्होंने जो नियम बनाये हैं वही वे इस पर लागू करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--आप लिख कर भेजें । (श्री जयराम वर्मा से) कुछ समझ में आई आपके, जो उन्होंने कहा ?

श्री जयराम वर्मा--मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया और जिस तरह से यह संशोधन इसमें लिखा है वह तो आउट आफ आर्डर है । इसके अलावा अगर उन्होंने कुछ दूसरा पढ़ा है तो वह मैं समझ नहीं पाया ।

श्री उपाध्यक्ष--ठीक है, और बाकी का आप जवाब दे दें ।

श्री जयराम वर्मा--मैं समझ नहीं पाया कि वे उपखंड (५) को निकालने की बात क्यों कर रहे हैं । इस धारा में है कि "इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिये बुलाई गई बैठक स्थगित न की जायगी ।" यदि ऐसी व्यवस्था है तो क्या गड़बड़ी है ?

श्री नन्दराम--स्थगित कर दें तो हो सकता है कि दो तिहाई बहुमत न हो और जब स्थगित होने का सवाल नहीं रहेगा तो मीटिंग स्थगित नहीं होगी । मैं चाहता हूं कि दो तिहाई बहुमत न हो तो मीटिंग स्थगित की जाय और फिर दूसरी मीटिंग में बहुमत से पास हो ।

श्री जयराम वर्मा--जब मीटिंग बुला ली जाय तो मीटिंग होनी चाहिये चाहे प्रस्ताव पास हो या फेल हो । अगर प्रस्ताव फेल होगा तो एक साल तक अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकेगा और वह नहीं हटाया जा सकेगा । उसी तरह से उपखंड (७) और (८) को निकालने की बात भी समझ में नहीं आई । उसी तरह से उपखंड (११) को भी निकालने की बात समझ में नहीं आई । श्रीमन्, उपखंड (१) में लिखा है --"यदि प्रस्ताव, क्षेत्र समिति के तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई के समर्थन से पारित हो तो ।" अब उसके आगे क्या बढ़ाया जायगा ? उसका कुछ माने होता ही नहीं और वह किसी तरह से ठीक बैठता ही नहीं कि कहां क्या बढ़ाना चाहते हैं ।

श्री नन्दराम--मैं उनको समझा देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष --अभी तो आप लिख ही रहे हैं, क्या समझायेंगे आप ? फिर मैं आगे ले रहा हूं ।

***श्री नागेश्वरप्रसाद**--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से निम्न संशोधन पेश करता हूं :--

"खंड १५ के उपखंड (११) की पंक्ति दो के शब्द "कम से कम दो तिहाई" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "बहुमत" रख दिया जाय ।

मान्यवर, आप देखेंगे कि इसमें जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार यह है कि अगर अविश्वास का प्रस्ताव पेश हो और उसमें दो तिहाई के बहुमत से प्रस्ताव पास हो तभी वहां पर उसकी घोषणा हो जायेगी । अगर दो तिहाई का बहुमत नहीं होता, बल्कि बहुमत से पास होता है तो उसकी घोषणा नहीं होगी । अब तक जितने अविश्वास के प्रस्ताव लाये जाते थे उनमें सब में बहुमत ही रखा गया है, लेकिन क्षेत्र समिति में अगर किसी तरह बात आई और अधिक लोगों की राय यह आई कि प्रमुख का कार्य अच्छा नहीं है, तो बहुमत से होते हुये भी चूंकि दो तिहाई के बहुमत से पास नहीं होता, लिहाजा वह घोषित नहीं किया जायगा और मामला लटका रहेगा । मैं समझता हूं जैसी और जगह व्यवस्था है, परिषद् में, नगर या महानगरपालिका में, वही यहां भी रहनी चाहिये । इसीलिये मैंने इसको रखा है कि बहुमत से अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसको मान लिया जाय और तुरन्त वहीं घोषित कर दिया जाय । आशा है मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री भीखालाल--उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन अविश्वास के प्रस्ताव के पारण के सम्बन्ध में है । अभी अविश्वास के प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के समय उपधारा (२) के सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद हो चुका है और यह उसके पारण के सम्बन्ध में है । इसमें प्राविधान है कि अगर अविश्वास का प्रस्ताव दो तिहाई सदस्यों की संख्या से पारित होता है तब तो मान्य होगा अन्यथा नहीं । मैं समझता हूं, मंत्री जी इस सम्बन्ध में वही तर्क देंगे जो उपधारा (२) के सम्बन्ध में दे चुके हैं और यही कहेंगे कि प्रमुख के स्थान में स्थायित्व लाने के लिये यह रखा गया है । मैं नहीं समझता अगर किसी क्षेत्र समिति में आधे से अधिक सदस्य प्रमुख में अविश्वास रखते हैं, उसकी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं तो वह आधे से कम सदस्यों का विश्वास प्राप्त करके कैसे काम कर सकता है ? इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय मंत्री जी, उपमंत्री जी ने जनतंत्र का बहुत अलाप किया । मैं नहीं समझता कि यहां कौन सी डेमोक्रेसी है । अगर केवल एक बटे तीन से एकाध ही ज्यदा सदस्य प्रमुख के पक्ष में हैं और दो तिहाई से एक ही कम सदस्य विपक्ष में हैं तो वह प्रमुख हटाया नहीं जा सकता है । क्या यही डेमाक्रेसी है ? इसलिये मेरा संशोधन उचित है कि अगर बहुमत प्रमुख के खिलाफ है तो अविश्वास का प्रस्ताव बहुमत के समर्थनसेत पारित होना चाहिये और दो तिहाई का प्रतिबन्ध ठीक नहीं है ।

श्री जयराम वर्मा--अधिष्ठाता महोदय, यहां पर जो व्यवस्था की गई है कि अविश्वास का प्रस्ताव दो तिहाई के बहुमत से पास हो तभी वह अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ माना जायगा, उसके पीछे भावना यह है कि क्षेत्र समिति के काम में स्टेबिलिटी आ सके, उनके रोज के काम में कोई कठिनाई न हो । अब इस तरह की कोई यहीं नई व्यवस्था नहीं की गई है । अभी पहले गांव सभाओं का भी जिक्र हुआ । गांव सभाओं के प्रधान के खिलाफ भी अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये और पास करने के लिये यही व्यवस्था है । वहां भी दो तिहाई का बहुमत है । राजस्थान में भी अविश्वास के प्रस्ताव पारण के लिये यही व्यवस्था रखी गई है । इसलिये हमने कोई बिलकुल नई चीज कर दी हो ऐसी बात नहीं है । महज स्टैबिलिटी लाने के लिये ऐसा किया गया और मैं समझता हूं माननीय नागेश्वर प्रसाद जी इस बात को समझ कर अपने संशोधन को वापस लेंगे ।

***श्री नागेश्वर प्रसाद**--मान्यवर, जो संशोधन मैंने पेश किया है एक शब्द से कुछ भ्रम पैदा होता है । मंत्री जी अगर इसको स्पष्ट कर दें तो बहुत सा मामला साफ हो जाय । इसमें "तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या" शब्द है । तत्कालीन सदस्यों से क्या अर्थ है ? उस क्षेत्र समिति के जितने उपस्थित सदस्य हैं उनकी संख्या से मतलब है या उन सदस्यों की संख्या से मतलब है जो क्षेत्र समिति के सदस्यों की पूरी है । अगर मंत्री जी का मंशा केवल उस समय उपस्थित सदस्यों से हो कि उसमें के २।३ का बहुमत हो, तब तो मैं समझता हूं कि ठीक लगता है ।

श्री उपाध्यक्ष--तत्कालीन के माने जितने सदस्य हों वही होगा और क्या हो सकता है ? माननीय स्वायत्त शासन मंत्री इसको और स्पष्ट कर दें ।

श्री जयराम वर्मा--क्षेत्रीय समिति में उस समय जितने सदस्य हों, जितने मौजूद हों ऐसी बात नहीं है । मान लीजिये कुल ५० मेम्बर्स हैं जिनमें से ४ अनर्ह हो चुके हैं तो ४६ रह गये । इनका दो तिहाई होगा । यह नहीं कि उस समय जितने उपस्थित हों उनका दो तिहाई ।

श्री नागेश्वर प्रसाद--ऐसी हालत में मुझे ऐसा लगता है कि प्रमुखों के विरुद्ध अविश्वास लाने के लिये अनियंत्रित अधिकार हो जावेंगे । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी पुनः विचार कर लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जयराम वर्मा—क्षेत्रीय समितियों की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब न हो इस दृष्टि से वह किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लेंगे।

श्री नागेश्वरप्रसाद—माननीय मंत्री जी की बात को देखते हुये कि वे एक नया प्रयोग क्षेत्र समितियों में गांव पंचायतों के बाद करना चाहते हैं, मैं अपने संशोधन को वापस ले लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

***श्री गेंदासिंह**—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं—"खंड १५ के उपखंड (१२) की पंक्ति दो में शब्द "बारह" के स्थान पर शब्द "छः" रख दिया जाय।

श्रीमन्, यह बहुत सीधा सा मामला है। अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में बहुत से बन्धन रख दिये गये हैं और अब अविश्वास के प्रस्ताव जल्दी नहीं आया करेंगे। इस उपधारा में यह रखा गया है कि एक बार अविश्वास का प्रस्ताव आ जाने के बाद १२ महीने तक दूसरा अविश्वास का प्रस्ताव न आये। इतने बंधनों के बाद अगर ६ महीने बाद भी आवश्यकता पड़ेगी अविश्वास का प्रस्ताव लाने की तो उसका लाना बन्धनों के कारण आसान नहीं होगा, इसलिये इसकी व्यवस्था कर देनी चाहिये, इसी गरज से यह संशोधन मैंने रखा है। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। इसमें कोई रुकावट पैदा करने की दृष्टि से नहीं है। मैं समझता हूं कि यह उचित है और सरकार इस संशोधन को अवश्य मान लेगी।

श्री जयराम वर्मा—जिस दृष्टि से यह व्यवस्था की गयी है कि एक निश्चितता रहे उस व्यवस्था को फिर माननीय सदस्य डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जितनी जल्दी वह प्रस्ताव आ सकेगा उतनी ही अनस्टेबिलिटी होगी। अगर १२ महीने की जगह ६ महीने कर दिया गया तो उसमें दिक्कत पैदा हो जायगी। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको प्रेस नहीं करेंगे और इसे वापस लेंगे। मैं इसका विरोध करता हूं।

***कुंवर श्रीपाल सिंह**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे इस हाउस तक की यह प्रथा है कि ६ महीने में अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है तो इस परम्परा को वहां क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? जब हम प्रजातंत्र के प्रचार और प्रसार के लिये ही वहां यह संस्था कायम कर रहे हैं ताकि नीचे के लोगों को यहां ला सकें तो वहां आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अतः मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इसे तो जरूर ही मान लें, इसे तो उनको मानना ही चाहिये।

श्री ऊदल—मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। माननीय गेंदा सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है और माननीय कुंवर श्रीपाल जी ने भी जिसका समर्थन किया है मैं भी उसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लें, क्योंकि वे सारी की सारी बात अपनी ही मनवाते चले जा रहे हैं, इसलिये कम से कम इस संशोधन को तो मान लें। इसको मान कर ये जनतंत्र की आत्मा का हनन कर रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

***श्री शिवराजबहादुर**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह ने पेश किया है यह अपनी जगह पर बहुत अहम संशोधन है। मालूम ऐसा होता है कि सरकार यह चाहती है कि जो भी एक दफा पहुंच जाय और जब तक सरकार की मरजी हो उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराजबहादुर]

वक्त तक वह किसी सूरत से प्रजातांत्रिक ढंग से हटाया न जा सके। वैसे आगे चल कर इसमें इतना तक है कि सरकार जिस समय चाहे उसे डिजाल्व कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, इतने दिनों से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव नहीं हो पाये। आज भी उपाध्यक्ष की सूरत में अध्यक्ष की जगह लोग हैं। बहुमत की बात तो यहां रही नहीं लेकिन कम से कम दो-तिहाई सदस्य तो जब चाहें उस वक्त क्षेत्र समिति के प्रमुख या उपप्रमुख के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकें। एक मर्तबा अगर पास नहीं हुआ तो ६ महीने की अवधि में अगर दोबारा टाइम मिल जाय तो एक बार तो डेमोक्रेसी को जिन्दा किया जा सके और डेमोक्रेटिक ढंग से उनको हटाया जा सके। इसलिये यह बहुत मासूम अमेंडमेंट है और इसको मान लेना चाहिये।

*श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, माननीय शर्मा जी कह रहे हैं कि वापस ले लो। यह इतना दबाव है कि जिसको इन्कार करना मेरे लिये असम्भव हो रहा है, लेकिन मैं अपनी एक फीलिंग जरूर रखना चाहता हूं। जो पिछली बन्दिशें अविश्वास के प्रस्ताव पर लगायी गयी हैं उससे मुझे यह जरूर लगता है कि गैर-जिम्मेदारी बहुत बढ़ेगी और साधारण लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का भी अधिकार शायद नहीं मिल पायेगा, ऐसी मेरी फीलिंग है। लेकिन इस फीलिंग के बावजूद भी क्योंकि आगे बहुत से ऐसे काम आने वाले हैं जिनमें मैं शर्मा जी की कृपा चाहूंगा ताकि इस विधेयक को कुछ अच्छा बनाया जा सके। तो यह गुड जेस्चर जरूर करना चाहता हूं कि उनके इस आदेश पर मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (५), (७) तथा (८) निकाल दिये जायं तथा उपखंड (११) में 'पारित हो' के आगे नीचे लिखा बढ़ा दिया जाय—

"यदि दो तिहाई का बहुमत न हो तो बैठक स्थगित करके बुलाई जाय। स्थगित की हुई बैठक की अवस्था में समिति के तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक पारित हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

प्रमुख या उप-प्रमुख का हटाया जाना

१६—(१) यदि मंडल के आयुक्त की राय में किसी क्षेत्र समिति का प्रमुख या कोई उप-प्रमुख, अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का जान-बूझ कर पालन नहीं करता या पालन करने से इनकार करता है या अपने में निहित अधिकारों का दुरुपयोग करता है अथवा अपने कर्तव्यों के पालन में अनाचार का दोषी पाया गया है तो मंडल का आयुक्त, यथास्थिति प्रमुख या ऐसे उप-प्रमुख को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देने के पश्चात् और इस मामले में जिला परिषद् का परामर्श मांगने, और यदि उसकी राय ऐसा परामर्श मांगने के पत्र के भेजे जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्राप्त हो जाय तो उस राय पर विचार कर लेने के बाद, यथास्थिति, प्रमुख या उप-प्रमुख को आदेश द्वारा पद से हटा सकता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(२) मंडल का आयुक्त किसी प्रमुख या उप-प्रमुख को, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी हो, निलम्बित कर सकता है और इस प्रकार उसे उस कार्यवाही के पूरी होने तक प्रमुख या उप-प्रमुख के रूप में कार्य करने या क्षेत्र समिति के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से विवर्जित कर सकता है।

(३) राज्य सरकार मंडल के आयुक्त को क्षेत्र समिति के प्रमुख या उप-प्रमुख के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ करने का निदेश दे सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी दशा में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना इस धारा के अधीन कोई अन्तिम आदेश नहीं दिया जायगा।

(४) इस धारा के अधीन अपने पद से हटाया गया प्रमुख या उप-प्रमुख, अपने पद से हटाये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक प्रमुख या उप-प्रमुख के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र न होगा।

*श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं—

खंड १६ में जहां कहीं शब्द "मंडल का आयुक्त" आया हो उसके स्थान पर शब्द "जिले का न्यायाधीश" रख दिया जाय।

श्रीमन्, मैं आसानी के लिए इस खंड को पढ़ देता हूं—

"(१) यदि मंडल के आयुक्त की राय में किसी क्षेत्र समिति का प्रमुख या कोई उप-प्रमुख, अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों का जान-बूझ कर पालन नहीं करता या पालन करने से इनकार करता है या अपने में निहित अधिकारों का दुरुपयोग करता है अथवा अपने कर्तव्यों के पालन में अनाचार का दोषी पाया गया है तो मंडल का आयुक्त, यथास्थिति प्रमुख या ऐसे उप-प्रमुख को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देने के पश्चात् और इस मामले में जिला परिषद् का परामर्श मांगने, और यदि उसकी राय ऐसा परामर्श मांगने के पत्र के भेजे जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्राप्त हो जाय तो उस राय पर विचार कर लेने के बाद, यथास्थिति, प्रमुख या उप-प्रमुख को आदेश द्वारा पद से हटा सकता है।

(२) मंडल का आयुक्त किसी प्रमुख या उप-प्रमुख को, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी हो, निलम्बित कर सकता है और इस प्रकार उसे उस कार्यवाही के पूरी होने तक प्रमुख या उप-प्रमुख के रूप में कार्य करने या क्षेत्र समिति के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से विवर्जित कर सकता है।"

तीसरा यह है—"राज्य सरकार मंडल के आयुक्त को क्षेत्र समिति के प्रमुख या उप-प्रमुख के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ करने का निदेश दे सकती है :"

श्रीमन्, आगे भी इसी प्रकार की व्यवस्था है कि डिवीजनल कमिश्नर को एक प्रकार से असीमित अधिकार इस मामले में मिल रहे हैं। इस प्रकार असीमित अधिकार देकर निर्वाचित प्रतिनिधियों की बागडोर एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे देना है, उनकी नकेल उनके हाथ में दे देना है। यह हो सकता है कि डिवीजनल कमिश्नर सरकार का बहुत ही विश्वासपात्र हो, लेकिन जो भी दस बारह वर्ष का तजुर्बा है प्रजातन्त्र को चलाने का, उसके देखते हुए कहा जा सकता है कि शासनाधिकारियों की भावनाओं में और निर्वाचित प्रतिनिधियों की भावनाओं में काफी अन्तर है। उस अन्तर का कभी-कभी डिमान्स्ट्रेशन भी होता है। तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

एक बात तो यह है कि दोनों का समन्वय किया जाना चाहिए, हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि दोनों का समन्वय करके, दोनों का मतभेद दूर करके जनता के हितों में लगाया जाय। लेकिन इस विधेयक में जो यहां व्यवस्था की गयी है इसका एक मात्र उद्देश्य यह होगा, और अनिवार्य परिणाम यह होगा कि निर्वाचित प्रतिनिधि जो हैं वह एक प्रकार से उनके हाथ के खिलौने बन जायं, जब चाहें तब उनको मुअत्तल कर दें, हटा दें, उनको काम करने से रोक दें। मेरा कहना यह है कि जहां कहीं भी "मंडलायुक्त" आया हो उस जगह पर जिले का "न्यायाधीश" रखें। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं मालूम होती है। सरकार यह कह सकती है कि जिले के न्यायाधीश के पास बहुत ज्यादा काम है और उसके लिए मुश्किल पड़ेगा कि सारे कामों में हाथ डाले। लेकिन इंसाफ के लिए यह जरूरी हो जाता है और लोगों के साथ बेइन्साफी न हो। मैं यह नहीं कहता हूं कि मंडल के आयुक्त जितने हैं उनके यहां से सोलहो आने गैरइन्साफी की बात ही हो सकती है। उसमें कुछ परसेंटेज ऐसा भी हो सकता है जहां कि इन्साफ भी हो लेकिन इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मंडल के आयुक्त के ऊपर बड़े दबाव पड़ते हैं और यह दबाव किसका होगा यह जानी हुई बात है। तो इन्साफ की जगह पर श्रीमन्, इस बात को जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सारे देश की जनता को भी यह विश्वास हो कि जो कुछ हमारे साथ सलूक हो रहा है वह इन्साफ के दायरे में है और न्याय का खून नहीं हो रहा है। श्रीमन्, इस दृष्टि से मैंने इस बात को रखा है और मैं समझता हूं कि अगर इसको पसन्द किया जाय तो इस विधेयक की खूबसूरती बढ़ेगी, इस विधेयक पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा और बगैर किसी विवाद के, बगैर किसी झंझट के हमारे मन में एक बात ऐसी पैदा हो सकती है कि हम यह समझें कि इस विधेयक के जरिये जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा। इस उद्देश्य से मैंने यह संशोधन रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदन इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

(इस समय ४ बज कर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, हमारे दो प्रस्ताव इस सम्बन्ध में हैं। एक १६ के उपखंड (१) में और फिर एक १६ के उपखंड (२) में।

श्री अध्यक्ष---इस उपखंड (२) को अभी छोड़ दीजिए। अभी मैं (१) को ही ले रहा हूं।

श्री उग्रसेन--इसके कब्ल माननीय गेंदा सिंह जी का जो प्रस्ताव "जिले का न्यायाधीश रख दिया जाय" आ गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और प्रस्ताव को पेश नहीं करना चाहता हूं। मैं उसका समर्थन करते हुए कुछ कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष--पहले मैं और ले लूं।

श्री रामदुलारे मिश्र---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन पेश करता हूं---

खंड १६ के उपखंड (१) की पंक्ति ५ में शब्द "मंडल का आयुक्त" के स्थान पर शब्द "जिला परिषद्" कर दिया जाय।

श्रीमन्, जैसा कि बिल में बतलाया गया है विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है तो "मंडल का आयुक्त" यहां पर रखना उनके ऊपर और भी बड़ी जिम्मेदारी लाद देता है। जहां तक मंडल आयुक्त की बात है, तो मंडल आयुक्त का पद भी इस ओर हम अनावश्यक समझते हैं क्योंकि बीच में जिला परिषद् का और सरकार का सीधा सम्बन्ध होना चाहिए। इसी लिए मैंने यह संशोधन पेश किया है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे और माननीय मंत्री जी भी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री भीखालाल—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (१) की पंक्ति आठ में शब्द "भेजे जाने" के स्थान पर "प्राप्त होने" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, इस खंड में यह दिया हुआ है कि कमिश्नर किसी प्रमुख को अगर वह नियमों का उल्लंघन करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसको हटा सकता है, लेकिन जिला परिषद् से भी उसके बारे में पूछा जायगा। इसके साथ ही साथ यह प्रतिबन्ध लगाया है कि जिला परिषद् के पास जिस तारीख को मंडलायुक्त के यहां से चिट्ठी जाती है उस तारीख से ३० दिन के अन्दर जवाब नहीं आता है तो उसकी वक़अत नहीं होगी। इस संशोधन को रखने से मेरा मतलब यह है कि वह मियाद उस तारीख से जोड़ी जाय जिस दिन वह चिट्ठी परिषद् को मिल जाय। उस दिन से ही ३० दिन जोड़े जायं। यह हो सकता है कि किसी तरह से बीच में कोई शख्स दिलचस्पी रखता हो, शरारत कर दे और मंडलायुक्त के यहां से बीच में ही उसको रोके रहे और वहां पर पहुंचते-पहुंचते एक दो दिन का ही मौका रह जाय और जिला परिषद् के सम्बन्ध में जो आरोप लगाये गये हैं उन पर विचार करने का उसके पास मौका न रहे। इसलिये आयुक्त के यहां से मिलने के ३० दिन बाद तक यह मियाद जोड़ी जाय। मैं समझता हूं यह बहुत उचित संशोधन है और मंत्री जी इसको मान लेंगे।

साथ ही मैं गेंदासिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। जहां तक उस संशोधन का सम्बन्ध है, मंत्री जी ने प्रमुख के पद के संरक्षण के लिये बहुत सी बातें कहीं और यह भी कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि उसके प्रति अविश्वास किया जाय या उसको हटाने की बात जल्दी-जल्दी की जाय और उसके संरक्षण को कायम रखने के लिये और अविश्वास के प्रस्ताव को पास होने के लिये दो तिहाई का इसमें प्राविधान रखा है जो कि दूसरी धारा में माननीय सदन ने पास किया है, लेकिन इस धारा के जरिये से वही प्रमुख एक अधिकारी, जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, उसके अधिकार से उसको हटाया जा सकता है। इसमें संरक्षण का कोई विचार नहीं किया गया है। मैं यह समझता हूं कि गेंदासिंह जी का संशोधन बहुत ही न्यायसंगत है। अगर प्रमुख के हटाये जाने का सवाल पैदा होता है, अगर वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके निर्णय का अधिकार जिले के जज के हाथ में होना चाहिये और उसके पास उसका फैसला जाना चाहिये। अगर वह उचित समझता है कि हटाना मुनासिब है तब वह हटाया जा सकता है। यह हो सकता है कि कमिश्नर, जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, उस पर दबाव पड़ सकता है। इसलिये उसको इस किस्म का अधिकार देना प्रमुख के संरक्षण की जो बात कही है, उसके अनुकूल नहीं है। वह अधिकार न्यायाधीश के हाथ में होना चाहिये। इस कारण से मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री रामदुलारे मिश्र से) आपको यह संशोधन पेश करने जी जरूरत नहीं है। मैं यह मान लेता हूं कि आपने इसको उपस्थित कर दिया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मेरा भी एक संशोधन इस सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष—वह समय के अन्दर नहीं है। अगर मंत्री जी उसको मान लेते हैं तो मैं इजाजत दे दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—वह इसी खंड से सम्बन्ध रखता है।

श्री अध्यक्ष—वह समय के अन्दर नहीं आया है, इसलिये मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री जयराम वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन खंड १६ के सम्बन्ध में पेश किये गये हैं मैं उन सबका विरोध करता हूं। प्रमुख या उपप्रमुख के विषय में उनके

[श्री जयराम वर्मा]

कर्तव्य पालन करने या प्रनाचार का दोषी पाये जाने की स्थिति में मंडल आयुक्त को अधिकार दिया गया है कि यदि उनकी राय में ऐसी बातें होती हैं, तो उसको हटाने की कार्यवाही कर सकता है। यह प्रमुख या उपप्रमुख के हटाने का काम एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव काम है और वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के द्वारा ही होना चाहिये। उस काम को जिला न्यायाधीश को सौंपना उचित नहीं होगा। अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम न्यायाधीश करेगा तो जब न्याय का प्रश्न आयेगा तब वह कहां जायगा? पहले से ही अगर उसे इस काम से जोड़ दिया जाय तो अगर बाद में किसी झगड़े में न्याय पाने की जरूरत हो तो वह मामला कहां जायगा? इसलिये उसको न्याय करने के लिये अलग रखना ही चाहिये और यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव काम ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को करना चाहिये। अगर कहीं गलती होती है तो प्रमुख या उप प्रमुख को अधिकार होगा कि वह न्यायालय के पास जा सकते हैं, न्यायाधीश के पास जा सकते हैं और उस समय उसको हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। अब यह काम न्यायाधीश को सौंपना उचित न होगा।

दूसरे, अगर मंडल के आयुक्त की जगह पर जिला परिषद् को रखा जाय तो भी काम में बड़ी दिक्कत पैदा हो जायगी। क्षेत्र समिति का जो प्रमुख है वह जिला परिषद् का सदस्य होगा। अब जिला परिषद् को अपने सदस्य के खिलाफ कार्यवाही करने में बड़ी हिचक पैदा होगी। उसके लिये एक बड़ी दिक्कत पैदा हो जायगी कि वह कैसे अपने सदस्य के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार हो। लोगों को तरह-तरह की शिकायतें करने का मौका होगा, इसलिये उसकी पोजीशन को इससे अलग रखना चाहिये। ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के जिम्मे ही यह काम रखना चाहिये और जिला परिषद् को झगड़े के काम में नहीं लाना चाहिये।

जहां तक मंडल के आयुक्त का जिला परिषद् को राय लेने के लिये सूचना भेजने की बात है, उसमें भेजने के बाद ३० दिन के समय की सीमा है। माननीय भीखालाल जी ने जो प्रस्ताव किया है उसके अनुसार सूचना प्राप्त होने के ३० दिन के बाद की सीमा रखने की मांग है। तो यह प्राप्त हो जाने की बात मान लेने से काफी कठिनाई पैदा हो जायगी। प्राप्त किस दिन हुआ, यह मंडल के आयुक्त को कैसे मालूम पड़े? जिस सदस्य के खिलाफ कार्यवाही हो रही है वह जिला परिषद् का सदस्य है और उसे सूचना आने के बाद प्राप्त होने में भी दो, चार, छः दिन लग सकते हैं। इसलिये यह नहीं करना चाहिये। यह ठीक है कि यदि भेजने के ३० दिन के भीतर जिला परिषद् की राय आ जाती है तो मंडल आयुक्त उस पर विचार कर लेगा और अपना निर्णय करेगा।

इन बातों के साथ मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्यगण अपने-अपने प्रस्तावों को वापस कर लेंगे और अगर किसी तरह से वे इस बात के लिये तैयार न हों तो माननीय सदन उनको अस्वीकार कर देगा।

श्री अध्यक्ष--माननीय मंत्री जी क्या बतलायेंगे कि गोविन्दसिंह विष्ट जी ने आपको किसी नये संशोधन की सूचना दी है और क्या आपने उसे स्वीकार कर लिया है?

श्री जयराम वर्मा--मैंने स्वीकार नहीं किया। एक बड़ा लम्बा और एक पेज का संशोधन उन्होंने दिया है। मैं अभी उसे पढ़ भी नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष--तो आपने उसे स्वीकार नहीं किया है?

श्री जयराम वर्मा--जी नहीं।

श्री उग्रसेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय गेंदा सिंह जी ने जो यह प्रस्ताव रखा कि मंडल के आयुक्त के स्थान पर जिले के न्यायाधीश को रख दिया जाय उस दृष्टिकोण में और माननीय मंत्री जी ने जो दृष्टिकोण सदन के सम्मुख रखा उसमें काफी अन्तर है। अन्तर इस माने में है कि माननीय मंत्री जी का

यह कहना है कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है, शासन का प्रबन्धात्मक कार्य है और उसमें न्याय को बीच में नहीं लाना चाहिये ।

श्रीमन्, जब ऐसे अविश्वास के प्रस्ताव आते हैं तो उनमें किसी आफिस के प्रमुख या उस प्रमुख के वि द्ध कार्यवाही की जाती है और उनमें प्रशासन के साथ-साथ बहुत-सी न्यायोचित बातों का भी समावेश रहता है । अगर सिर्फ कमिश्नर के हाथ में ही यह अधिकार दे दिया जाय तो उसका मतलब यह होगा कि अधिकारी वर्ग, जिले का जिलाधीश या कार्य प्रमुख अधिकारी जो प्रमुख या उप-प्रमुख के खिलाफ रिपोर्ट लगाये होंगे उनका कंफर्मेशन हो जायगा और कमिश्नर उस पर मुहर लगा देगा, लगाता चला जायगा । कमिश्नर जब इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे तो उनकी जुडिशियल कैपेसिटी कहां है ? उनकी हैसियत तो विभागीय होगी । तो विभागीय हैसियत में उन प्रश्नों का ठीक से विचार नहीं कर पायेंगे कि आया इस प्रमुख और उप प्रमुख को हटाने में हम न्याय कर रहे हैं या विभागीय कार्यवाही का सम्पादन कर रहे हैं । और चुना हुआ जो आदमी होता है, पार्लियामेन्ट का मेम्बर, विधान सभा का सदस्य, नगर-पालिका का अध्यक्ष, जो भी हो उसके बारे में सवाल या तो एलेक्शन पेटीशन से उठता है संविधान के मुताबिक या कोई किसी जज की कोर्ट में, न्यायाधीश की कोर्ट में ही मामला ले जा सकता है । तो चुने हुए आदमी को विभागीय अधिकारी के हाथ में दे देना ठीक नहीं है । इसका परिणाम यह होगा कि जिस पर कलेक्टर खुश होंगे, कमिश्नर प्रसन्न होंगे चाहे वह कितनी ही धांधली करें वह बैठे रहेंगे और अगर वह विरोधी पार्टी का हुआ तो फौरन निकाल दिया जायगा और इसमें पक्षपात की गुंजायश है और दूसरे प्रजातंत्र में विश्वास जनता का उठ जायगा । लोग समझेंगे कि जनतंत्र तो एक शासक पार्टी की मैशीनरी के हाथ में चल रहा है, इसमें न्याय है कहां ? सोशलिस्ट पार्टी बार-बार इसीलिये मांग करती है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना चाहिये, इस नकली तरीके से नहीं, जैसा कि सरकार कर रही है । तो मंडलायुक्त से आप दो काम ले रहे हैं, एक तो कार्यपालिका का और एक न्यायपालिका का । तो अगर कोई एलेक्शन ट्रिब्युनल हो और उसका अध्यक्ष जिले का जज बना दिया जाय तो क्या एतराज है ?

कहा जाता है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा, तो अगर एलेक्शन ट्रिब्युनल के १० न्यायधीशों को काम देकर दूसरे रख दिये जायं, तो क्या वह सत्ता के विकेन्द्रीकरण की महत्ता के लिये जरूरी नहीं होगा ? तो यह तो लचर दलील है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसका । कोर्ट में मुकदमा होता है, दाखिल खारिज का होता है यह होता है कि यहां से हार जाइये तो दीवानी में जाइये । जब कार्यपालिका की छत्रछाया में थक हो जायेंगे तो न्याय पाने के लिये कहां दीवानी में जायंगे ? तो इस तरह से कितना फेवरिटिज्म होगा, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार होगा ? वह तब नहीं हो सकता है अगर उसकी अपील मुंसिफ और जज के यहां लग जाय और उसको अपनी सत्ता सिद्ध करने का अवसर दिया जाय ।

तो गेंदासिंह जी का प्रस्ताव न्याय के वमूजिब है, जनतांत्रिक पद्धतियों के आधार पर है । मैंने सोचा कि परिषद् की राय से वहां भी सब डिप्टी कलेक्टर का बहुमत हो जायगा, इसलिये मैंने अपना संशोधन वापस ले लिया और गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन किया है । मैं तो सच्चा न्याय चाहता था न्यायपालिका से, न्यायाधीश से, और मंत्री जी कार्यपालिका का डंडा इस सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर चाहते हैं । हमारे दृष्टिकोण और ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप के दृष्टिकोण में इतना ही फर्क है ।

इतना कहकर मैं गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है और उसके साथ-साथ जितने संशोधन पेश हुए हैं सब का विरोध मुझे करना पड़ रहा है ।

श्री बलदेवसिंह—अरे यार, कभी कभी तो मुआफिकत कर दो ।

श्री नवलकिशोर—मैं चाहता तो यही हूं, लेकिन उसूली बात है यह ?

मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा था कि माननीय गेंदा सिंह जी को इस बात का अन्देशा है कि चूंकि हमारा कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन में डिवीजन का हेड है इसलिये उस पर दबाव पड़ेगा और शायद न्याय नहीं हो पायेगा। मैं यह महसूस करता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वह एक माने में अपने जिले की जुडीशियरी का हेड है। अगर किसी प्रमुख या उप-प्रमुख के लिये कोई शिकायत हो तो जुडीशियरी में उसकी रेमेडी है, विधान में दिया हुआ है, उस रेमेडी को वह ढूंढ सकता है डिस्ट्रिक्ट जज के यहां।

मौजूदा सेट अप के सिलसिले में यह कहा जाता है, एक बड़ी मांग है कि जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग किया जाय। जुडीशियरी पर बड़ा विश्वास है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि जुडीशियरी को एग्जीक्यूटिव पावर्स देकर वह इस बात का एक मौका देना चाहते हैं यह कहने के लिये कि चूंकि जुडीशियरी को एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई इसलिये वह भी असर में आ गई और करप्ट हो गई। इसलिये मैं चाहता हूं कि वह जरा ठंडे दिमाग से सोचें कि जब एक एडमिनिस्ट्रेटर या शासक के नाते जिलाधीश या आयुक्त पर एक दल विशेष का असर पड़ सकता है तो फिर इस बात की क्या गारन्टी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज को एग्जीक्यूटिव पावर्स दे दें तो उस पर दबाव नहीं पड़ेगा। लिहाजा उनका जो यह दलील है कि कमिश्नर पर असर पड़ सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज पर असर नहीं पड़ सकता है, इस बात को मैं नहीं मानता। जुडीशियरी जो होती है उसको इस बात का हक है कि वह इस बात को देखे कि जो एक्शन हुआ कमिश्नर का वह सही है या नहीं। ऐसा करने से हम उसके माइन्ड को प्रेजुडिस करेंगे। फिर इसके माने यह होंगे कि अपील के लिये कोई और एजेन्सी ढूंढनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा कोई और जुडीशियरी पैदा करनी पड़ेगी जोकि उस बात को देखे। मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है।

अब जहां तक जिला परिषदों की बात कही गई, हम जानते हैं कि जिला परिषदों के जो चुनाव होंगे वह पार्टी लाइन्स पर होंगे, राजनैतिक दल अपना-अपना काम करेंगे उसमें संभव हो सकता है कि हमारा मानसिक स्तर उतना ऊंचा न रहे और सदस्य दलबन्दी में फंस जायं। इस बात का खतरा हो सकता है कि जिला परिषद् में जिस दल का बहुमत हो वह इस बात की कोशिश करे कि जितने प्रमुख दूसरी पार्टियों के उनके यहां हैं उनको आहिस्ता-आहिस्ता किसी न किसी बहाने से हटाया जाय और उसके बाद उनके स्थान पर अपने नुमाइन्दों को लाने की कोशिश की जाय। इस संबंध में मुझे यह कहना है कि जेनरल ऐक्ट्स जो हैं या जो और भी ऐक्ट्स हैं सब में यह क्लाज होता है कि अगर प्रमुख या सभापति गलती करे तो एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार उसको देखे, अब उसमें अगर कोई कमी हो तो उसके लिये हम और माननीय गेंदासिंह जी, चाहे हम किसी भी दल के हों, हमको यह कोशिश करनी चाहिये कि एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर जो है वह दलबन्दी में न पड़े, ऐसा कोड आफ कान्डक्ट भी है। फिर भी अगर कोई शिकायत हो तो उसकी शिकायत सरकार से की जा सकती है और उसकी जांच हो सकती है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है, जो उसके इन्चार्ज हैं उनके अधिकार में ही उसको होना चाहिये। यही उचित और मुनासिब भी है।

*श्री गेंदासिंह--श्रीमन्, मैंने माननीय नवलकिशोर जी की बातों को बहुत गौर से सुना और मैं समझता हूं कि अगर वह मेरी बातों को सुनेंगे तो वह अपनी राय बदल सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने इस गरज से यह संशोधन उपस्थित किया है कि कमिश्नरों को . . . .

श्री अध्यक्ष--आपका संशोधन यही है न कि जहां-जहां शब्द "मंडल का आयुक्त" आये हैं उनकी जगह "जिले का न्यायाधीश" कर दिया जाय। यानी जिले का न्यायाधीश ही नोटिस देगा और रिपोर्ट हासिल करेगा। यह सब इसका परिणाम होगा यह समझ लें, पहले आप।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गेंदासिंह—जी हां। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नवलकिशोर जी ने बारबार कहा है कि मंडल के आयुक्त का काम एडमिनिस्ट्रेटिव है। वर्मा जी ने भी वही दलील दी। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश को न्याय के लिये अछूता रखा जाय। यहां मैं एक उसूली बात यह कहना चाहता हूं कि क्षेत्र समिति के प्रमुख और उप-प्रमुख को डिसमिस करने का अधिकार आप मंडल के आयुक्त को दे रहे हैं। परन्तु मैं इसे बिलकुल शुद्ध न्याय का कार्य समझता हूं कि कौन प्रमुख को या उप प्रमुख को निकाल सके या निलम्बित कर सके। मैं आप से क्षमा चाहूंगा और आपसे इजाजत चाहूंगा कि अगर सरकार की मंशा भी यही है और वह मेरे इस कहने से एग्री करते हैं तो वैसा ही संशोधन का रूप बनाया जा सकता है। फिर निर्वाचित प्रतिनिधियों की हैसियत का भी कुछ खयाल रहेगा या नहीं? श्रीमन्, कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी कमिश्नर ने किसी सब-डिवजिनल मैजिस्ट्रेट को या तहसीलदार को भी निकाला हो। तहसीलदार तक को कमिश्नर बरखास्त नहीं कर सकता है। उसका केस भी सरकार को या बोर्ड आफ रेवेन्यू को जाता है। उसके लिये सरकार तक बात आती है। लेकिन क्षेत्र के प्रधान और उप-प्रधान को बरखास्त करने का अधिकार, उसकी जिन्दगी खत्म करने का अधिकार मंडल के आयुक्त को दिया जा रहा है। इससे मालूम यह होता है कि सरकार की निगाह से इन जन प्रतिनिधियों की कोई ज्यादा वकअत नहीं है। या यों कहिये कि सरकार का दिमाग उनके विरुद्ध इतना प्रेजुडिस हो गया है कि जिस समय जी में आवे उस समय वह क्षेत्र समितियों के प्रधान और उप-प्रधानों को निकाल देने का अधिकार एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के हाथ में रखना चाहती है जहां वह अपना असर इस्तेमाल कर सकती है, कहीं-कहीं दबाव में आकर या और किन्हीं कारणों से।

इस प्रकार इन लोगों को अपमानित करने की बात नहीं सोचनी चाहिये। १२, १३ वर्ष हमको स्वाधीन भारत में रहते हुए हो गये हैं। इस समय में हमारा विश्वास जुडिशियरी में बढ़ा है और एग्जीक्यूटिव में घटा है। एग्जीक्यूटिव स्वतंत्रतापूर्वक अपना काम नहीं करती है और दूसरे विचारों को ध्यान में रखकर निर्वाचित प्रतिनिधियों के विरुद्ध आचरण करती है, हमारी यह फीलिंग है और यह हमारी धारणा पुष्ट हुई है। इस फीलिंग से निर्वाचित प्रतिनिधि को इतना इत्मीनान तो अवश्य होना चाहिये कि अगर उसकी जान जानी ही है तो बेइंसाफी से नहीं जा रही है। अगर आपको जेलखाने भेजना ही है तो न्यायाधीश के जरिये से भिजवाइये, इन जापानी अफसरों के हाथों तो न भिजवाइये। हमें ऐसा खयाल तो न हो कि शर्मा जी के इशारे पर कमिश्नर ने ऐसा कर दिया है। इस भ्रम के लिये ही सही, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि ऐसे मंडलायुक्त भी हैं जिन पर शर्मा जी से कम हमारा विश्वास नहीं है। लेकिन यह चीज सारे प्रदेश में फैली हुई है और लोगों को भ्रम है। इसलिये उस विषय में विश्वास पैदा करने के लिये ऐसा किया जाना आवश्यक है।

श्री रामदुलारे मिश्र—अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय मंत्री जी ने कार्य संचालन में इससे कठिनाई बतायी है, इसलिये मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री भीखालाल—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन पेश किया है उसके विरोध में माननीय मंत्री जी ने एक ही कठिनाई बतायी कि वे यह कैसे निश्चित कर सकेंगे कि वह चिट्ठी जो कमिश्नर के यहां से भेजी गयी वह जिला परिषद् में किस तारीख को पहुंची। अगर ऐसी बात कोई मुझ जैसा नाचीज, कम बुद्धि वाला आदमी कहता तो यह कहा जा सकता था कि इसकी समझदारी सीमित है लेकिन इस समय माननीय मंत्री जी ऐसी बात कह रहे हैं कि मेरे पास कोई साधन नहीं है कि वह जान सकें कि चिट्ठी कब पहुंची। माननीय मंत्री जी जब चिट्ठी रजिस्ट्री से भेजेंगे तो उसकी रसीद में तारीख लिखी होगी, उससे वे निश्चित कर सकते हैं कि किस तारीख को उनको मिली। मैं उनकी इस दलील से तो यही समझा कि उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं था इसलिये सिर्फ इस बात से कि यह प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर से आया है इसलिये इसको नहीं मानना चाहिये। अगर यह बात हो तब तो ठीक ही है वरना मैंने जो संशोधन रखा है वह बिलकुल न्याय संगत है।

[श्री भीखालाल]

अगर कोई कमिश्नर किसी प्रमुख के खिलाफ हो जाता है या किसी कर्मचारी की दिलचस्पी उसको हटाने में हो जाती है तो वह चिट्ठी दरमियान में ही रह जायगी और परिषद् के पास ऐसे मौके पर पहुंचेगी जब कि रिप्लाई देने का अवसर ही न रहेगा। कार्यालयों के कर्मचारी ऐसे होते हैं। इस संबंध में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं रेवेन्यू विभाग में तहसीलदार था। एक नायब नाजिर की मैंने रिपोर्ट की, उसको लिफाफा पोस्ट करने को दिया। उसने उसमें से मेरी चिट्ठी निकाल ली और मेरी दस्तखती चिट्ठी डिप्टी कमिश्नर को भेज दी गयी और करेक्टर रौल में उसके अच्छी एन्ट्री हो गयी, जब कि मैंने उसको सस्पेंड करने के लिये लिखा था। इस प्रकार से वह चिट्ठी डिटेन की जा सकती है। अगर वह कुछ दिन बाद पहुंचेगी तो फिर प्रमुख को हटाये जाने के बारे में उत्तर देने का कोई मौका नहीं रह जायगा। इसलिये कमिश्नर को यह मालूम होना चाहिये कि परिषद् की राय क्या है। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि अगर कमिश्नर के हेड क्वार्टर से किसी जिला हेड क्वार्टर पर कोई चिट्ठी भेजी जायगी तो रजिस्टर्ड लेटर पहुंचने में तीन-चार दिन से अधिक समय नहीं लगेगा। मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता लग सकता है, तो इस तरह से ३० दिन के बजाय ३७ दिन हो जायगा तो उससे क्या बिगड़ जायगा? इसलिये प्राप्त होने के दिन से ३० दिन की बात मैंने अपने संशोधन में रखी है, जो उचित है। लेकिन सरकार ने अगर हठ कर लिया है कि विरोधी पक्ष की तरफ से चाहे अच्छी बात भी कही जाय, सही बात भी कही जाय, उसे नहीं मानना है तो मुझे कुछ कहना नहीं है। वरना यह संशोधन उचित है और इसको मान लेना चाहिये।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह प्रशासकीय कार्य है। प्रमुख या उप-प्रमुख ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी जिला न्यायाधीश को नहीं हो सकती। इसकी निजी जानकारी जो आने-जाने से मालूम हो सकती है वह मंडल आयुक्त को ही हो सकती है। वही प्रमुख या उप-प्रमुख के बारे में आसानी से जानकारी रख सकता है कि वह अपने कर्त्तव्य को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है और उसको मानने से इन्कार कर रहा है या नहीं इन्कार कर रहा है। इसकी जितनी जानकारी आसानी से मंडल आयुक्त को हो सकती है उतनी आसानी से जानकारी जिला न्यायाधीश को नहीं हो सकती। अब अगर इस तरह की उसकी कोई राय हो जाय तो वह इसके लिये उसे नोटिस देगा और उस प्रमुख या उप-प्रमुख से स्पष्टीकरण मांगेगा कि उसकी तरफ से यह गलती हुई है इसलिये उसके खिलाफ हटाने की कार्यवाही क्यों न की जाय? माननीय गेंदासिंह जी ने भी खुद इस चीज को कहा कि कुछ मंडल आयुक्त ऐसे हैं जिनके बारे में उनको भी पूरा विश्वास है लेकिन अगर किसी मंडल आयुक्त की तरफ से कोई गलती होती है तो उसके लिये न्यायालय तो खुला ही हुआ है। हर आदमी वहां जा सकता है, अगर प्रशासकीय कार्यवाही कोई गलत हुई हो तो दूसरी जगह उपाय है, वहां वह चाराजोई कर सकता है। अब यह कि जहां चाराजोई की गुंजाइश है उसको पहले ही बन्द कर दिया जाय तो फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में गलती होने पर उसके खिलाफ कहां चारा जोई करने के लिये कोई जा सकेगा? उसके लिये तो और दिक्कत पैदा हो जायगी इसलिये अगर उसके लिये कोई रास्ता रहता है तो उसे रहने देना चाहिये वरना उसकी सुनवाई के लिये जो कार्यवाही हो सकती है, उसमें रुकावट हो सकती है।

अब जहां तक कि मंडलआयुक्त के पत्र भेजने की बात है, माननीय सदस्य का यह खयाल है कि वहां के कर्मचारी पत्र भेजने में कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। लेकिन उस पत्र को रिसीव करने वाले कर्मचारी तो जिला परिषद् के ही होंगे। जब माननीय सदस्य को मंडल आयुक्त के कर्मचारियों पर अविश्वास है तो वे जिला परिषद् कार्यालय के कर्मचारियों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वे गड़बड़ी नहीं करेंगे। जिनका संबंध प्रमुख और उप-प्रमुख से बमुकाबले मंडल आयुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों के अधिक होगा। इसलिये माननीय सदस्य का यह सोचना कि मंडल आयुक्त के कार्यालय के कर्मचारी चिट्ठी-पत्री भेजने में गड़बड़ी करेंगे,

मुनासिब बात नहीं है। जहां तक जानकारी की बात है, जब प्रमुख या उप-प्रमुख के खिलाफ इस तरह का नोटिस आवेगा और उससे स्पष्टीकरण मांगा जायगा तो उसकी जानकारी जिला परिषद् को रहेगी ही, इसलिये यह खयाल करना कि भेजने की तारीख से ज्यादा समय देना चाहिये क्योंकि यह कम है और उस बीच में जिला परिषद् अपनी राय नहीं दे सकेगी, ऐसी बात नहीं है ।

प्राप्ति में कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं । इसलिये प्राप्ति वाली बात न रखकर भेजने वाली बात रखी गयी है। इतना कहने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी अपने शक को दूर करेंगे । न मालूम हर जगह उनको इतना शक क्यों है ? संशय हो जाने से काम नहीं चलेगा । हर जगह संशय न कीजिये, कहीं पर तो विश्वास कीजिये तभी काम चलेगा अन्यथा नहीं । इसलिये मैं चाहता हूं वह अपने अविश्वास के ऊपर आधारित संशोधन को वापस ले लें और भीखा लाल जी से भी यही प्रार्थना है क्योंकि उनका संशोधन मानने से काफी कठिनाई पैदा हो जायेगी । उनका यह खयाल कि विरोधी दल के संशोधनों को हम मानने को तैयार नहीं हैं, ठीक नहीं है, आज ही कई संशोधन मान चुके हैं । इसलिये उनकी यह शिकायत ठीक नहीं है। जो उचित होता है सरकार उसको मानती है । इस विधेयक को वह बनाना चाहते हैं और हम बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है । वह भी बनाना चाहते हैं, हम भी बनाना चाहते हैं, राय में भेद हो, सकता है । अतः माननीय सदस्य अपने संशोधनों को वापस ले लें और अगर नहीं लेते तो सदन से प्रार्थना है कि वह उनको अस्वीकार कर दे ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १६ में जहां कहीं शब्द "मंडल का आयुक्त" आया हो उसके स्थान पर शब्द "जिले का न्यायाधीश" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १६ के उप-खण्ड (१) की पंक्ति आठ में शब्द "भेजे जाने" के स्थान पर "प्राप्त होने" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री भीखालाल—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १६ के उपखण्ड (२) की पंक्ति (२) में शब्द "हो" तथा शब्द "निलम्बित" के बीच में शब्द "परिषद् की राय लेने के पश्चात्" रख दिया जाय ।

मान्यवर, मैं खण्ड १६ (२) आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं और उसके बाद मैं जो चाहता हूं उसका रूप क्या होगा वह ऐसा है:

"१६ (२) मंडल का आयुक्त किसी प्रमुख या उप-प्रमुख को, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी हो, निलम्बित कर सकता है और इस प्रकार उसे उस कार्यवाही के पूरी होने तक प्रमुख या उप-प्रमुख के रूप में कार्य करने या क्षेत्र समिति के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से विवर्जित कर सकता है ।"

इसमें यह है कि मंडल का आयुक्त किसी प्रमुख या उप-प्रमुख को निलम्बित कर सकता है । हमारे संशोधन का अर्थ केवल यह है कि परिषद् की राय लेने के पश्चात् ही उसको निलम्बित कर सकता है ।

हमने जैसा पिछले संशोधन पर जोर दिया कि परिषद् की राय ले लेना बहुत आवश्यक होगा उसके हटाने के पहले, इसी तरह से मैं इसमें भी जरूरी समझता हूं कि प्रमुख को निलम्बित करने से पहले परिषद् की राय ले लेना आवश्यक है क्योंकि प्रमुख व क्षेत्र समिति का सीधा सम्बन्ध परिषद् से है । उसके कामों की अवैधानिक कार्यवाही की जितनी जानकारी परिषद् को हो सकती है उतनी किसी को नहीं । इसलिये मैं चाहता हूं कि परिषद् की बगैर राय लिये हुये

[श्री भीखालाल]
मंडल आयुक्त को निलम्बित करने का अधिकार नहीं होना चाहिये । उसकी राय ले लेने के बाद ही यह अधिकार होना चाहिये ।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, खंड १६ के उपखंड (१) में जिला परिषद् की राय ली जायेगी ही और उसकी राय लेने के बाद ही वह अपनी कार्यवाही जारी करेगा । इसलिये दोबारा राय लेने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं मंडल का आयुक्त किसी प्रमुख या उप-प्रमुख को जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कार्यवाही आरम्भ हो चुकी हो, तो आरम्भ हो चुकी हो का मतलब यह है कि नोटिस दिया जा चुका हो, और परिषद् की राय ले ली गई हो तो बजाय उसको पद से हटाने के वह निलम्बित कर सकता है । इसलिये आपका यह संशोधन अनावश्यक-सा मालूम होता है ।

श्री भीखालाल—इसमें साफ लिखा है कि अगर हटाने से पहले आयुक्त को आवश्यकता पड़े उसके निलम्बित करने की तो हो सकता है कि ऐसा प्राइमाफेसी केस बन जाय और वह जरूरी समझे तो उसको निलम्बित कर दे । मैं समझता हूं कि इसे सस्पेंड करने से पहले उसको परिषद् की राय लेना जरूरी है । इसमें यह नहीं था, मैं यह चाहता हूं कि हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—इसमें लिखा है कि इस धारा के अधीन जिसके विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ हो चुकी है । इस खंड के अधीन उपधारा १ में अगर कार्यवाही हो चुकी है तो उसको निलम्बित कर सकता है बजाय इसके कि उसको हटा दे । मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट है और इसलिये आपका यह संशोधन अनावश्यक है । मैं इसको इजाजत नहीं दे रहा हूं कि इस पर राय ली जाय । आप इसको वापस ले लेंगे ।

श्री भीखालाल—जी हां, मैं वापस ले रहा हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री उग्रसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ का उपखंड (३) तथा इसी का प्रतिबन्धात्मक अंश निकाल दिया जाय । यह उपखंड इस प्रकार है —

"राज्य सरकार मंडल के आयुक्त को क्षेत्र समिति के प्रमुख या उप-प्रमुख के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ करने का निदेश दे सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी दशा में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना इस धारा के अधीन कोई अन्तिम आदेश नहीं दिया जायगा।"

इस संशोधन के सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि राज्य-सरकार को इसमें काफी अधिकार दिये गये इससे पहले, और हमारा जो प्रस्ताव इससे पहले आया हुआ था उसमें जिले के न्यायाधीश के पास ऐसे मामलों को रखने के लिये कहा था । इसी दृष्टि से इस संशोधन को मैं रखना चाहता हूं कि इसके बिना वह धारा अनावश्यक हो जाती है । इसी हेतु यह संशोधन है ।

श्री जयराम वर्मा—इसके उपखंड (३) में लिखा है—"राज्य सरकार मंडल के आयुक्त को क्षेत्र समिति के प्रमुख या उप-प्रमुख के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ करने का निदेश दे सकती है ।" तो मंडल आयुक्त इसके हिसाब से कार्यवाही करने से पहिले राज्य सरकार का अनुमोदन लेगा । इस तरह की व्यवस्था है । यह तो ठीक है और इसको हटाना मुनासिब नहीं है ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, यह तो राज्य सरकार मंडल आयुक्त को आदेश देगी । इसका मतलब यह हुआ कि मंडल आयक्त उससे स्वीकृति लेगा । इसमें राज्य सरकार को सारा

अधिकार है लेकिन हम तो चाहते हैं कि प्रमुख और उप-प्रमुख के सम्बन्ध में सारे मामले जिला न्यायाधीश से स्वीकृत करावे । अगर यह नहीं होता तो यह सब व्यर्थ हो जाता है । इसी सम्बन्ध में मेरा यह प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ का उपखंड (३) तथा इसी का प्रतिबन्धात्मक अंश निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—माननीय श्रीपालसिंह, आप इसका विरोध करेंगे ?

कुंवर श्रीपालसिंह—जी हां ।

श्री अध्यक्ष—अब एक ही मिनट बाकी रह गया है इसलिये आपके भाषण का प्रारम्भ भी नहीं हो सकेगा । मैं समझता हूं कि आप अपना भाषण कल दें ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
६ सितम्बर, १९६० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ.. ४२६ पर)

सूची

वनखंड का नाम	सड़क की किस्म	सड़क का नाम	मील
१	२	३	४
नैनीताल ..	१—मोटर रोड	सौड़धार तक पुरानी सड़क	२ मील × १२'से१४'
		ओखलकांडा-मनागेर सड़क का कुछ भाग ..	५ १/२ मील × १४' ४ १/२ मील × १४'
		विनायक-घुघुखान सड़क	४ मी० १२ चेन ५२' × १२'–१४'
उत्तरी गढ़वाल ..	१—मोटर रोड	—	—
	२—अन्य सड़कें	नागनाथ रेंज में कालोनादांदा और अगस्तमुनि निर्यात मार्ग	५ मी० × २–३'
		नागनाथ रेंज में त्रिशूल और मैथाना में लीसा निर्यात मार्ग	४ मी० × ४'
		चूरनी दांदा सड़क को चौड़ा करना ..	४ मी० × ४'
		धानपुर रेंज में श्रीकोट-रुद्रप्रयाग सड़क को चौड़ा करना	२ मी० × ४'
		नागनाथ रेंज में सुनला-नागनाथ सड़क ..	३ मी० × ४'
		पश्चिमी पिन्डर रेंज में नलगांव-कुंजकोट सड़क का प्रसार ..	२ मी० × ४'
		नागनाथ रेंज में गौचर सड़क	८ मी० × ४'
		घटकनौल सड़क को चौड़ा करना	(लगभग ५ मील)
		चमोली रेंज में गौना-कालियाघाट सड़क को पूरा करना	२ मी० × ४'
		पूर्वी पिन्डर रेंज में नीमदारा चूना सड़क ..	३ मी० × ४'
		चमोली रेंज में गौना-कालियाघाट सड़क का प्रसार ..	४० चेन ४३' × ६'
दक्षिणी गढ़वाल ..	१—मोटर रोड	पौड़ी रेंज में फुरखन्दाखालचरी मोटर मार्ग ..	१ मी० × १४'
		दिवा रेंज में लिसकोट-सूपखाल मोटर मार्ग ..	१ मी० × १४'
		पौड़ी रेंज में अदवानी-बंगानीखाल मोटर मार्ग ..	४० चेन × १४'

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वनखंड का नाम	सड़क की किस्म	सड़क का नाम	मील
१	२	३	४
		अमेली रेंज में चौबटखाल-दमदेवाल मोटर मार्ग	३ मी० ४० चेन × १२′ से १४′
		लिस्तियाखेत (पी०डब्ल्यू०डी० सड़क) से लिसखेत फारेस्ट रेस्ट हाउस तक अप्रोच मोटर मार्ग	५ फ० × १२–१४′
पश्चिमी अल्मोड़ा ..	१—मोटर रोड	सोमेश्वर रेंज में बसरखेत-पायाखाम मोटर मार्ग ..	१ मी० २५ चेन × १४′
		गणानाथ-पोखरी मोटर मार्ग का बचा हुआ भाग ..	२६ चेन ४८′ × १४′
		भिकियासेण-सूपखाल मोटर मार्ग ..	३ मी० × १४
उत्तरी अल्मोड़ा ..	१—मोटर रोड	चूका कोटकेन्द्री मोटर मार्ग को चौड़ा करना	५ मी० × १२″
		धूना पाट-साकदोना मार्ग (लगभग) ..	४ मी० × १४′
	२—अन्य सड़कें	लोहाघाट रेंज में डुंगराबक कम्पार्टमेंट २९ लीसा निर्यात मार्ग ..	३ मी० × ४′
		देवीधुरा रेंज में पूर्वी देवीधुरा कम्पार्टमेंट ४ निर्यात मार्ग	२ १/२ मी० × ४′
		देवीधुरा रेंज में मानदेवी कम्पार्टमेंट १ से ६ तक निर्यात मार्ग ..	२ १/२ मी० × ४′
		पश्चिमी पालोबेलन निर्यात मार्ग	४ मी० × ४′
		देवीधुरा रेंज में गौलदांदा निर्यात मार्ग ..	१ मी० × ४′
		देवीधुरा रेंज में माचिध निर्यात मार्ग ..	२ मी० × ४′
		देवीधुरा रेंज में पूर्वी पालो बेलन	१ मी० × ४′
		देवीधुरा रेंज में भद्दूला निर्यात मार्ग ..	२ मी० × ४′
		देवीधुरा रेंज में पश्चिमी देवीधुरा निर्यात मार्ग ..	१ मी० × ४′
		देवीधुरा रेंज में मुलाकोट निर्यात मार्ग ..	३ मी० × ४′

उत्तर प्रदेश विधान मंडल

वनखंड का नाम	सड़क की किस्म	सड़क का नाम	मील
१	२	३	४
		देवीधुरा रेंज में उत्तरी खुजेठी निर्यात मार्ग ..	३ मी० × ४′
		देवीधुरा रेंज में ढोलीगांव निर्यात मार्ग ..	३ मी० × ४′
		देवीधुरा रेंज में मीरनौला निर्यात मार्ग ..	४ मी० × ४′
		पिठौरागढ़ रेंज में लोरी हनियाधुरा निर्यात मार्ग	१ मी० ६० चेन × ४′
		पिठौरागढ़ रेंज में सोरलेख में निरीक्षण मार्ग ..	१ मी० × ४′
		मछियाड़ में निरीक्षण मार्ग	१ मी० × ४′
		अस्कोट रेंज में पायां मजठाम सड़क ..	३ मी० × ६′
दक्षिणी अल्मोड़ा ..	१—मोटर रोड	वजूला-जिन्तोली मोटर मार्ग को चौड़ा करना	
		जागेश्वर रेंज में दोड़म—छड़ोंज मोटर सड़क ..	२ मी० × १२′
	२—अन्य सड़कें	कपकोट रेंज में पान्डुथल अश्व-मार्ग ..	४ मी० × ६′

उत्तर प्रदेश सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १६० एल० ए०—१९६०—८४५ ।